

अध्याय-3

राजस्व क्षेत्र के विभागों से संबंधित अनुपालन
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अध्याय-3

राजस्व क्षेत्र के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग

3.1 पंजीकृत लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टांप शुल्क एवं निबंधन शुल्क के न्यूनारोपण से संबन्धित विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1.1 प्रस्तावना

स्टाम्प शुल्क (स्टा शु) और निबंधन शुल्क (नि शु) की प्राप्तियां, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, (भा स्टा अधि), पंजीकरण अधिनियम (पंजी अधि), 1908 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू हैं, के अनुसार विनियमित की जाती है। उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार, विलेखों के निष्पादन पर स्टा शु एवं नि शु आरोपणीय होता है। सम्पत्ति का मूल्यांकन, उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत, जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्कल दरों के अनुसार किया जाता है। विलेखों का उचित वर्गीकरण, पंजीकृत किए जा रहे विलेखों पर उचित स्टा शु एवं नि शु आरोपित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गलत वर्गीकरण से राज्य सरकार को राजस्व हानि हो सकती है।

3.1.2 कर प्रशासन

शीर्ष स्तर पर, सचिव, वित्त, विभाग का प्रमुख होता है जो शासन स्तर पर अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के समग्र प्रशासन का उत्तरदायित्व महानिरीक्षक निबंधन (म नि नि) का होता है। वह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त निबंधन कार्यालयों पर सामान्य अधीक्षण का कार्य करता है और अधिनियम (पंजी अधि, 1908 की धारा 69) के अनुरूप नियम बनाने की शक्तियां रखता है। उसकी सहायता हेतु एक अपर महानिरीक्षक निबंधन (अ म नि नि), एक उप महानिरीक्षक निबंधन (उ म नि नि) कुमाऊं क्षेत्र, पांच सहायक महानिरीक्षक निबंधन (स म नि नि), 13 जिला निबंधक (जि नि) और 49 उप-निबंधक (उ नि) होते हैं।

3.1.3 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की वर्ष 2019-20 से 2021-2022 की कुल प्राप्तियाँ तालिका-3.1.1 में दी गयी है:

तालिका-3.1.1: वर्षवार राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22
स्टांप शुल्क	790.15	812.36	1,120.14
निबंधन शुल्क	221.92	237.28	296.10
योग	1,012.07	1,049.64	1,416.24

3.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) यह सुनिश्चित करने के लिए निष्पादित की गई थी कि क्या:

- पंजीकरण के लिए प्रस्तुत विलेखों को अधिनियम के अनुसार उचित रूप से वर्गीकृत किया गया था;
- दस्तबरदारी, तितिम्मा (शुद्धि पत्र), विभाजन, व्यवस्थापन एवं बंधक विलेख पत्रों पर स्टा शु और नि शु का संबंधित अधिनियमों, संहिताओं और नियमावली के अनुसार आरोपण, संग्रहण और लेखांकन किया गया और शासन के हित की रक्षा की गई;
- उ नि द्वारा विलेखों को कलेक्टर स्टांप को भा स्टा अधि, 1899 की धारा 47-क के अंतर्गत निर्दिष्ट करते समय उचित प्रक्रिया का पालन किया गया;
- उपनिबंधक कार्यालय (उ नि का) में प्रयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में तितिम्मा विलेख को उसके मूल विलेख से मिलान हेतु प्रावधान हैं; एवं
- स्टांप और निबंधन विभाग द्वारा क्रेता और विक्रेता के मतदाता पहचान पत्र आधार/पैन/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण के सत्यापन हेतु प्रावधान हैं।

3.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष के मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए:

- भारतीय स्टांप अधिनियम (भा स्टा अधि) 1899;
- भारतीय स्टांप अधिनियम (भा स्टा अधि) उत्तराखण्ड संशोधन 2016;
- पंजीकरण अधिनियम (पंजी अधि) 1908;
- पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2011;
- उत्तराखण्ड पंजीकरण नियमावली में दिये गए पंजीकरण नियम;
- सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882;
- उत्तराखण्ड स्टांप सम्पत्ति मूल्यांकन नियमावली, 2015;
- स्टा शु एवं नि शु की अनुसूचियाँ एवं
- उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत किए गए परिपत्र एवं आदेश।

3.1.6 लेखापरीक्षा आच्छादन एवं पद्धति

- स्टांप एवं निबंधन विभाग में “कोर निबंधन प्रणाली (को नि प्र)” के माध्यम से पंजीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान पंजीकृत विलेखों के वर्गीकरण से संबंधित स्टाम्प और निबंधन विभाग की गतिविधियों एवं कामकाज को आच्छादित करने हेतु मई 2022 से अक्टूबर 2022 के मध्य एस एस सी ए का निष्पादन किया गया था। लेखापरीक्षा पद्धति में प्रतिस्थापन के साथ आकार के समानुपाती प्रायिकता (पी पी एस डब्ल्यू आर) विधि के आधार पर चयनित 49 उ नि का में से 13¹ नमूना जांच किए गए उ नि का में पंजीकृत विलेखों से संबंधित दस्तावेजों और आंकड़ों की जांच और विश्लेषण शामिल था, जो यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया गया कि विलेखों/लिखतों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया था एवं स्टा शु और नि शु, भा स्टा अधि 1899, पंजी अधि, 1908 और विभिन्न जिलों के सर्किल दरों और बाजार मूल्य दिशानिर्देशों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आरोपित, संग्रहित और लेखबद्ध किए गए। दिनांक 06 मई 2022 को सचिव, वित्त एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ प्रवेश गोष्ठी आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र, मानदंड और पद्धति पर चर्चा की गई। 09 फरवरी 2023 को बहिर्गमन गोष्ठी आयोजित किया गया।
- 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान, चयनित 13 उ नि का में दस्तबरदारी, तितिम्मा, व्यवस्थापन, बंधक और विभाजन से संबंधित कुल 8,797 विलेख पंजीकृत किए गए थे। इनमें से 1,426 (16.21 प्रतिशत) विलेखों का नमूना परीक्षण यह आकलन करने के लिए किया गया था कि क्या विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.7 प्रणालीगत प्रकरण

- **सॉफ्टवेयर में तितिम्मा विलेख को उसके मूल विलेख से मिलान करने का प्रावधान** भा स्टा अधि 1899 की अनुसूची 1 ख के अनुच्छेद 34-क में, शुल्क के साथ प्रभार्य एक लिखत जिसके संबंध में उचित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, विशुद्ध रूप से लिपिकीय त्रुटि के सुधार के लिए प्रावधान है। किसी विलेख को तितिम्मा विलेख

¹ उ नि-प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, देहरादून, उ नि-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, रुड़की, उ नि-प्रथम एवं द्वितीय विकासनगर, उ नि रुद्रपुर, बागेश्वर, सितारगंज एवं ऋषिकेश।

के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु दोनों विलेखों के तथ्यों और आंकड़ों की तुलना करने के लिए मूल विलेख के साथ तितिम्मा विलेख का मिलान होना चाहिए। यह पाया गया कि पंजीकरण सॉफ्टवेयर में तितिम्मा विलेख को उसके मूल विलेख से मिलान करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) में राज्य सरकार ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि विभागीय सॉफ्टवेयर में इसके लिए प्रावधान मौजूद है। तथापि, जब सभी डेटा का डिजिटलीकरण हो जाता है (डेटा डिजिटलीकरण की प्रक्रिया गतिमान है), तो उपर्युक्त समस्या का समाधान हो जाएगा।

- **भू-अभिलेखों के सत्यापन हेतु निबंधन प्रणाली का “भूलेख” अभिलेखों से एकीकरण न होना**

“भूलेख” अभिलेखों का निबंधन प्रणाली के साथ एकीकरण किया जाना आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विक्रेता सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी है एवं बेची जा रही भूमि का रकबा (क्षेत्रफल) सम्पत्ति स्वामी के संबन्धित खसरा/खतौनी से अधिक नहीं है। म नि नि, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के कार्यालय से एकत्रित अभिलेखों एवं सूचनाओं की जांच में पाया गया कि बिक्री की जा रही भूमि के भू-अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए पंजीकरण प्रणाली का भू-अभिलेखों के साथ एकीकरण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, लेखपत्रों के पंजीकरण के समय, भूमि अभिलेख के विवरण का सत्यापन नहीं किया जा सकता है जिससे विक्रेता की वास्तविकता एवं यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेची गई भूमि का रकबा, बिक्री की जा रही भूमि के खसरा/खतौनी के क्षेत्रफल से अधिक नहीं है।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) में राज्य सरकार ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि विभागीय डेटा के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया गतिमान है एवं राजस्व विभाग के डेटा का पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण किया जाना शेष है।

- **विक्रेता, खरीदार और गवाहों की पहचान के सत्यापन के लिए निर्वाचन प्राधिकारी, आयकर प्राधिकारी, परिवहन प्राधिकारी एवं यू आई डी ए आई के साथ कोई वेब सेवा लिंक न होना**

दस्तावेजों के पंजीकरण के समय विक्रेता, खरीदार और गवाहों की पहचान सत्यापित करने के लिए, मतदाता पहचान पत्र/आधार/पैन/ड्राइविंग लाइसेंस डेटा का स्टाम्प और

निबंधन विभाग के साथ लिंक होना चाहिए। कार्यालय, महा नि० नि, स्टॉप एवं निबंधन विभाग से एकत्र किए गए अभिलेखों और सूचनाओं की जांच में पाया गया कि पहचान के सत्यापन के लिए निर्वाचन प्राधिकारी, आयकर प्राधिकारी, परिवहन प्राधिकारी और यू आई डी ए आई के साथ कोई वेब सेवा लिंक नहीं थी ताकि पंजीकरण के समय विक्रेता, खरीदार और गवाहों द्वारा प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड का सत्यापन हो सके एवं संभावित धोखाधड़ी और प्रतिरूपण को रोका जा सके।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) में राज्य सरकार ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि बिना ए डी वी (आधार डेटा वॉल्ट) और एच एस एम (हार्डवेयर सुरक्षा मॉड्यूल) के यू आई डी के साथ एकीकरण नहीं किया जा सकता है। उक्त की खरीद और कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

- **लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के प्रकरण, कलेक्टर, स्टॉप को स्टा अधि की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत निर्दिष्ट नहीं किए गए थे**

भा स्टा अधि, 1899 की धारा 47-क (1) (घ) के अंतर्गत पंजीकरण अधिकारियों को, लेखपत्रों के पंजीकरण से पहले उस पर देय उचित शुल्क के निर्धारण के लिए, स्टा शु कमी के प्रकरणों को कलेक्टर, स्टॉप को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है एवं वह धारा 33 (1) के अंतर्गत उसे जब्त कर सकता है, जबकि धारा 47-क (3) के अंतर्गत कलेक्टर, स्टाम्प स्वप्रेरणा से प्रकरणों को मँगा कर परीक्षण कर सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पंजीकृत लेखपत्रों पर उचित शुल्क का भुगतान किया गया है।

तेरह चयनित उ नि का में से ग्यारह² में यह पाया गया कि ऐसे लिखत जो गलत वर्गीकरण के कारण उचित रूप से स्टॉपित (मुद्रांकित) नहीं थे, पंजीकरण के पश्चात, भा स्टा अधि, 1899 की धारा 47-क (3) के अंतर्गत कलेक्टर को निर्दिष्ट किए गये थे जो अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध हैं। अपर जिला अधिकारियों (अ जि अ) (वित्त और राजस्व)³ ने निर्दिष्ट किए गए प्रकरणों को धारा 47क (1) और 47क (3) के अंतर्गत विभाजित करके विवरण प्रस्तुत नहीं किया। पुनः, यह भी पाया गया कि अधिनियम की गलत धाराओं के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रकरणों को भी अ जि अ

² उ नि-प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, देहरादून, उ नि-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, रुड़की, उ नि-प्रथम एवं द्वितीय विकासनगर, उ नि रुद्रपुर, एवं उ नि ऋषिकेश।

³ अ जि अ (वि एवं रा)-देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर।

(वि एवं रा)⁴ द्वारा स्वीकार किया गया था, जिससे अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफलता हुई। इसके परिणामस्वरूप आम जनता का उत्पीड़न हो सकता है।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) में राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि गलत वर्गीकरण के वादों को उचित धाराओं में निर्दिष्ट करने हेतु, विभाग समस्त उ नि को निर्देश जारी करेगा।

3.1.8 अनुपालन के प्रकरण

मई 2022 से अक्टूबर 2022 के दौरान चयनित 13 उ नि का की 2019-20 से 2021-22 तक की अवधि के अभिलेखों के नमूना परीक्षण में, 1,426 प्रकरणों में से 343 प्रकरणों (24.05 प्रतिशत) में ₹ 6.63 करोड़ के स्टा शु और नि शु के न्यूनारोपण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला। अनुपालन प्रकरणों से संबंधित निष्कर्षों का सारांश तालिका-3.1.2 में वर्गीकृत और चित्रित किया गया है।

तालिका-3.1.2: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(₹ लाख में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1.	दस्तबर्दारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण	106	422.39
2.	बंधक विलेखों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण	61	25.86
3.	नए विलेखों के तितिम्मा विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण	125	101.28
4.	व्यवस्थापन विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण	14	33.78
5.	विभाजन विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण	15	39.84
6.	पृथक हिस्सों को एक हिस्से के रूप में वर्गीकरण के परिणामस्वरूप नि शु का न्यूनारोपण	16	8.30
7.	परिवार के अधीन सदस्यों के बीच हस्तांतरण के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण	05	9.58
8.	मुख्तारनामा के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण	01	22.12
	योग	343	663.15

⁴ भा स्टा अधि 1899 की धारा 2(9) (ख) के अनुसार अ जि अ (वि एवं रा) कलेक्टर स्टांप के रूप में कार्य करते हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है। इंगित किए गए प्रकरण लेखापरीक्षा द्वारा किए गए नमूना परीक्षण पर आधारित हैं।

3.1.8.1 दान एवं विभाजन विलेखों को दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण

भा स्टा अधि 1899 की अनुसूची 1 (ख) के अनुच्छेद 55 के अनुसार दस्तबरदारी विलेख एक ऐसा विलेख है जिसमें कोई व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति पर या किसी निश्चित सम्पत्ति पर, दावे को त्याग दे। दस्तबरदारी की आवश्यक शर्तें⁵ यह हैं कि त्यागकर्ता और त्यागग्रहीता सम्पत्ति का सह-स्वामी होना चाहिए और सह-स्वामी को सभी सह-स्वामियों के पक्ष में दावे का त्याग करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति का अधिकार, स्वामित्व या हित समाप्त नहीं होता है, जिसके पास सम्पत्ति का स्वामित्व अधिकार है और सम्पत्ति को त्यागग्रहीता के पक्ष में अंतरित नहीं किया जा सकता है। त्याग करने का दावा किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में वृद्धि नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय ने टी मम्मो बनाम वी के रामास्वामी प्रकरण में प्रतिपादित किया है कि यदि विलेख में, अधिकार हस्तांतरित करने की मंशा व्यक्त की गई है तो इसे हस्तांतरण विलेख माना जाना चाहिए। भा स्टा अधि, 1899 की अनुसूची 1 (ख), अनुच्छेद 33 के अनुसार ऐसा पंजीकृत विलेख जिसके द्वारा त्यागकर्ता ने अपने अधिकार, स्वामित्व या हित को त्यागग्रहीता के पक्ष में बिना किसी प्रतिफल के त्याग दिया हो, का वास्तविक प्रभाव सम्पत्ति का दान के रूप में अंतरण होगा। किसी व्यक्ति की निर्वसियत मृत्यु हो जाती है तो सम्पत्ति का हस्तांतरण, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 एवं 16 के अनुसार होता है। उत्तराधिकार के रूप में सम्पत्ति अर्जित करने वाले उत्तराधिकारी सह स्वामी होते हैं एवं प्रत्येक सह स्वामी का हिस्सा निर्धारित⁶ होता है। उनमें से प्रत्येक का हिस्सा पृथक एवं स्पष्ट है। केवल एक कानूनी उत्तराधिकारी को सम्पत्ति पर अधिकार या स्वामित्व तभी मिल सकता है यदि अन्य कानूनी उत्तराधिकारी इसे बिक्री या दान विलेख के माध्यम से हस्तांतरित करते हैं। भा स्टा अधि 1899 की धारा 27 के अनुसार उ नि द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे तथ्य जो विलेख पर शुल्क की प्रभार्यता प्रभावित करते हों, सम्पूर्णतया एवं सत्यतापूर्वक

⁵ ए आई आर 1986 आन्ध्र प्रदेश 42 ।

⁶ ए आई आर 1979 इलाहाबाद 305 ।

व्यक्त किए गए हैं एवं भा स्टा अधि 1899 की धारा 3 से संबन्धित अनुसूची 1 (ख) में उल्लिखित वर्गीकरण के आधार पर शुल्क आरोपित किए गए हैं। स्टा शु और नि शु की उपयुक्त दरों को आरोपित करने हेतु लेखपत्रों के सही वर्गीकरण के लिए उ नि को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत लेखपत्रों की गहन जांच करनी चाहिए। दस्तबरदारी विलेख पर देय स्टा शु, ₹ 2,500 तक दावे के मूल्य या धनराशि पर सात प्रतिशत है और उसके पश्चात अधिकतम ₹ 210 है और नि शु केवल ₹ 100 है।

ग्यारह उप नि का में निष्पादित 501 दस्तबरदारी विलेखों की जांच में पाया गया कि लेखपत्रों को पंजीकृत करते समय उचित स्टा शु एवं नि शु आरोपित करने हेतु 106 प्रकरणों में लेखपत्रों के वर्गीकरण के संबंध में उपर्युक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.22 करोड़ के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ। निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

अ उत्तराधिकार के माध्यम से अर्जित सम्पत्ति के अधिकार, स्वत्व (स्वामित्व विलेखों) एवं स्वामित्व हस्तांतरण का दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

पाँच कार्यालयों के 16 प्रकरणों में यह पाया गया कि सम्पत्ति के स्वामी की निर्वसीयत मृत्यु हो गई, हिंदू, उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 और 16 में निर्धारित उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार सम्पत्ति हस्तांतरित की गई। निर्धारित हिस्सा वाले कानूनी उत्तराधिकारियों ने बिना किसी प्रतिफल के अपने हिस्सों को अन्य उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया था और दस्तबरदारी विलेखों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सभी अधिकार, स्वत्व और स्वामित्व को दूसरे उत्तराधिकारी के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया। इसे दस्तबरदारी विलेख के स्थान पर दान विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। दान विलेख पर आरोपणीय स्टा शु की दर, सम्पत्ति के बाजार मूल्य का पाँच प्रतिशत है, जबकि पारिवारिक सदस्य के प्रकरण में दर, सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत⁷ है और देय नि शु धनराशि का दो⁸ प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25,000 है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.48 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ (परिशिष्ट-3.1.1)।

⁷ उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-9 संख्या XXVII(9)/2013/स्टांप-20/2010 देहरादून: दिनांक 23 जुलाई 2013 ।

⁸ उत्तर प्रदेश शासन अधिसूचना संख्या SR 3814/11-95 दिनांक 15 सितम्बर 1995 ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि **परिशिष्ट-3.1.1** के क्रम संख्या 4, 5 और 12 से 16 के प्रकरण लेखापरीक्षा द्वारा इंगित जाने के पश्चात कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किए गए थे, जबकि **परिशिष्ट-3.1.1** के क्रमांक 1,2,3 और 6 से 11 तक के प्रकरणों को कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया जाएगा।

ब ऐसे लेखपत्र, जिनमें सह-स्वामियों में से एक द्वारा त्याग किया गया हिस्सा अन्य सभी सह-स्वामियों के पक्ष में नहीं था, का दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

चार कार्यालयों के 16 प्रकरणों में यह पाया गया कि सम्पत्ति के सह-स्वामियों में से एक ने बिना किसी प्रतिफल के अपना हिस्सा अन्य सभी सह-स्वामियों के स्थान पर कुछ सह-स्वामियों के पक्ष में त्याग कर दिया और सम्पत्ति का सभी अधिकार, स्वत्व और स्वामित्व भी हस्तांतरित कर दिया। इसे दान विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.04 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ (**परिशिष्ट-3.1.2**)।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि **परिशिष्ट-3.1.2** के क्रम संख्या 3 से 8 तक के प्रकरणों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया गया था, जबकि **परिशिष्ट-3.1.2** के क्रम संख्या 1, 2 एवं 9 से 16 के प्रकरणों को कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया जाएगा।

स ऐसे लेखपत्र, जिसमें त्यागकर्ता एवं त्यागग्रहीता सम्पत्ति के सह-स्वामी नहीं थे, का दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

दो कार्यालयों के दो प्रकरणों⁹ में यह पाया गया कि त्यागकर्ता द्वारा सम्पत्ति को बिना किसी प्रतिफल के त्यागग्रहीता के पक्ष में त्याग कर दिया गया था। जबकि, त्यागकर्ता और त्यागग्रहीता सम्पत्ति के सह-स्वामी नहीं थे। इसे दान विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.81 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

⁹ विक्रय पत्र सं 4257/2020, ₹ 0.29 लाख, उ नि-प्रथम विकासनगर एवं 933/2022, ₹ 0.52 लाख, उ नि-तृतीय, देहरादून।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि दोनों प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया जाएगा।

द ऐसे लेखपत्र, जिनमें त्यागग्रहीता को त्यागकर्ता द्वारा राजस्व अभिलेखों में सम्पत्ति के उत्परिवर्तन का अधिकार दिया गया था, का दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

सात कार्यालयों के 70 प्रकरणों में यह पाया गया कि त्यागकर्ता द्वारा त्यागग्रहीता के पक्ष में बिना किसी प्रतिफल के सौंपी गई सम्पत्ति को या तो भूमि अभिलेखों में त्यागग्रहीता के पक्ष में उत्परिवर्तित कर दिया गया था या उत्परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी, जो दस्तबरदारी विलेखों के प्रावधानों के विरुद्ध था। त्याग दिया गया दावा भू-राजस्व अभिलेखों में किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में वृद्धि नहीं कर सकता है। इसे दान विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.82 करोड़ के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ (परिशिष्ट-3.1.3)।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि **परिशिष्ट-3.1.3** में उल्लिखित 70 प्रकरणों में से, क्रमांक 44 और 45 पर उल्लिखित दो प्रकरणों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया गया था। शेष प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया जाएगा।

य विभाजन विलेख का दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

भा स्टा अधि, 1899 की धारा 2(15) के अनुसार, विभाजन विलेख का अर्थ उस विलेख से है जिससे किसी सम्पत्ति के सह-स्वामी उस सम्पत्ति को अलग-अलग भागों में विभाजित करे या विभाजित करने का इकरार करे। पुनः, विभाजन उन सह-स्वामियों के बीच संभव है जिनके पास पूर्ण या समान अधिकार नहीं हैं। भा स्टा अधि 1899 की अनुसूची-1 ख के अनुच्छेद 45 के अनुसार, पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त विभाजन के लिखत पर देय स्टा शु सम्पत्ति के अलग किए गए हिस्से या हिस्सों की धनराशि या मूल्य के बराबर धनराशि का सात प्रतिशत है। नगरपालिका की सीमा के भीतर पारिवारिक सदस्यों¹⁰ के प्रकरण में देय स्टा शु की

¹⁰ अधिसूचना सं. 35/XXVII (9)/2011/स्टाम्प-20/2010 दिनांक 24 जनवरी 2011 ।

दर एक प्रतिशत है, जो ₹ 10 करोड़ तक के लिखत पर अधिकतम ₹ एक लाख और ₹ 10 करोड़ से अधिक मूल्य के लिखत पर ₹ तीन लाख है और नगरपालिका सीमा के बाहर, देय स्टा शु की दर 0.25 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25,000 है जबकि देय नि शु सम्पत्ति के मूल्य का दो प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25,000 है।

दो कार्यालयों के दो प्रकरणों¹¹ में यह पाया गया कि सम्पत्ति के सह-स्वामियों के बीच विभाजन था और उक्त विलेखों को दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.06 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि दोनों प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

3.1.8.2 बंधक विलेखों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण

नौ उ नि का में निष्पादित 180 बंधक विलेखों की जांच में पाया गया कि दस्तावेजों के वर्गीकरण के संबंध में भा स्टा अधि 1899 के सुसंगत प्रावधानों का 61 विलेखों में पालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.86 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

अ) बिना कब्जा, बंधक विलेखों का कब्जा सहित बंधक विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण

भा स्टा अधि, 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 40 (क) और 40 (ख) में कब्जे के साथ या बिना कब्जे बंधक पत्रों का वर्गीकरण किया गया है। जब ऐसे विलेख में उल्लिखित सम्पत्ति या सम्पत्ति के किसी हिस्से का कब्जा बंधककर्ता द्वारा दिया जाता है या देने के लिए सहमति दी जाती है, तो देय स्टा शु ऐसे विलेख की कुल धनराशि पर पांच प्रतिशत है, जबकि बिना कब्जे के बंधक पत्र पर स्टा शु की दर सात प्रतिशत और देय नि शु ऐसे विलेख की कुल धनराशि पर दो प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25,000 है।

¹¹ विक्रय पत्र सं. 657/2020, ₹ 3.48 लाख, उ नि-तृतीय, देहरादून & 134/2021, ₹ 0.58 लाख उ नि ऋषिकेश।

छ: उप नि का में 46 प्रकरणों में यह पाया गया कि बिना कब्जे वाले बंधक विलेखों को कब्जे वाले बंधक विलेखों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.35 लाख के स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण हुआ (परिशिष्ट-3.1.4)।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि **परिशिष्ट-3.1.4** के क्र सं 30 से 44 तक के प्रकरणों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया गया था, जबकि क्र सं 1 से 29 और क्र सं 47 को जाँच हेतु कलेक्टर स्टॉप को निर्दिष्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, क्र सं 45 और 46 के प्रकरणों के संबंध में राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि उक्त प्रकरण स्वत्व पत्रों के निक्षेप से संबंधित थे क्योंकि विलेखों में इसका उल्लेख किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलेख को, भा स्टा अधि, 1899 के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया था एवं सात प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत की दर से स्टा शु वसूला गया था।

ब) प्राप्त की गई धनराशि के स्थान पर बंधक रखी गई सम्पत्ति के मूल्य पर शुल्क का अधिरोपण

जब किसी विलेख में उल्लिखित सम्पत्ति या सम्पत्ति के किसी हिस्से का कब्जा बंधककर्ता द्वारा दिया जाता है या देने के लिए सहमति दी जाती है, तो ऐसे विलेख द्वारा प्राप्त की गई धनराशि पर स्टा शु देय होता है और इस हेतु सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर विचार नहीं किया जाता है। एक विलेख¹² की जांच के दौरान यह पाया गया कि ₹ 30 लाख की ऋण धनराशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन गिरवी रखी गई सम्पत्ति का मूल्य ₹ 8,96,000 था जो ऋण धनराशि से कम था। इसके अतिरिक्त, ₹ 30 लाख के स्थान पर ₹ 8,96,000 पर सात प्रतिशत की दर से स्टा शु आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 लाख के स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि प्रकरण को जाँच हेतु कलेक्टर स्टॉप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

¹² विक्रय पत्र सं 5488/2021, उ नि रुद्रपुर।

स) बंधक विलेख पर बॉन्ड पर लागू स्टाम्प शुल्क का अधिरोपण

भा स्टा अधि, 1899 की अनुसूची 1 ख के अनुच्छेद 40 (ख) के अनुसार, बिना कब्जे वाले बंधक विलेख पर बांड¹³ पर लागू दर से ही स्टा शु देय है जो विलेख द्वारा सुरक्षित धनराशि पर आरोपित होता है। अधिसूचना संख्या के एस बी-5-3706/11-1998, दिनांक 31 अगस्त 1998 द्वारा बॉन्ड पर भुगतान योग्य स्टा शु को घटाकर चार प्रतिशत कर दिया गया था। उक्त अधिसूचना में यह विशेष रूप से उल्लिखित किया गया था कि कम की गई दरें केवल अनुच्छेद 15 द्वारा आच्छादित लिखतों पर लागू होंगी और किसी अन्य अनुच्छेद के अंतर्गत प्रभार्य अन्य वर्ग के लिखतों पर लागू नहीं होंगी भले ही वे बांड के रूप में शुल्क के लिए प्रभार्य हों।

तीन उ नि का में 14 प्रकरणों में यह पाया गया कि बंधक विलेख के रूप में पंजीकृत विलेखों पर बांड पर लागू स्टा शु की दर से गणना करते हुए सात प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत की दर से स्टा शु की वसूली की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.97 लाख के स्टा शु का न्यूनारोपण हुआ (परिशिष्ट-3.1.5)।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि क्र सं 1 से 5 तक के प्रकरणों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया गया था, जबकि क्र सं 6 से 14 तक के प्रकरणों को जाँच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

3.1.8.3 नए विलेखों के तितिम्मा विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण

भा स्टा अधि, 1899 की अनुसूची 1 (ख) के अनुच्छेद 34-क के अनुसार, किसी लिखत में विशुद्ध रूप से लिपिकीय त्रुटि को तितिम्मा विलेख द्वारा ठीक किया जा सकता है। तितिम्मा विलेख के परिणामस्वरूप मूल विलेख के सापेक्ष, पक्षों के अधिकार और कानूनी स्थिति, सम्पत्ति के विवरण तथा सम्पत्ति के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड पंजीकरण नियमावली में उल्लिखित पंजीकरण नियम 350 के अनुसार, जहां विवरण की त्रुटि को ठीक करने और मूल मंशा को परिवर्तित करने के लिए पक्षकारों की सहमति से पंजीकरण के पश्चात, विलेख में परिवर्तन किया जाता है तो यह परिवर्तन लिखत को पहले से पंजीकृत

¹³ बांड में ऐसा विक्रय पत्र शामिल है जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरे को धन अदा करने के लिए आबद्ध करता है।

विलेख से भिन्न बनाता है। परिवर्तित विलेख पर स्टा शु और नि शु नए सिरे से लगाया जाना चाहिए। तितिम्मा विलेख पर देय स्टा शु और नि शु ₹ 100 है जबकि नए लिखत¹⁴ पर भा स्टा अधि, 1899 की धारा 3 से संबन्धित अनुसूची 1(ख) में उल्लिखित लेन-देन की प्रकृति के अनुसार स्टा शु देय होता है एवं नि शु संपत्ति के मूल्य का दो प्रतिशत की दर और अधिकतम ₹ 25,000 है।

तेरह उ नि का में निष्पादित 655 तितिम्मा विलेखों की जांच में पाया गया कि 13 कार्यालयों के 125 प्रकरणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन यथा क्षेत्रफल, माप, सीमा, विक्रेता, क्रेता, गाँव के नाम, खसरा संख्या, खेत संख्या, भूखंड संख्या, स्थान के नाम आदि परिवर्तित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, मूल विलेखों की तुलना में तितिम्मा विलेखों में नए तथ्यों को शामिल किया गया था और इसके बावजूद उन्हें तितिम्मा विलेखों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जबकि, उक्त विलेखों को एक नए विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ (परिशिष्ट-3.1.6)।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने कुल 125 आपत्तियों में से 95 को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि 13 प्रकरणों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया गया है, जबकि 82 प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया जाएगा। शेष 30 प्रकरणों में, राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि सुधार लिपिकीय प्रकृति के थे और उत्तराखण्ड पंजीकरण नियमावली के नियम 351 के अंतर्गत विवरण की त्रुटि को ठीक करने के लिए पूरक विलेख निष्पादित किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित मूल विलेखों की तुलना में उक्त विलेखों में महत्वपूर्ण¹⁵ परिवर्तन भी थे, जो उनकी मूल मंशा को परिवर्तित करने के लिए किए गए थे जिससे परिणामस्वरूप उक्त विलेख, उत्तराखण्ड पंजीकरण नियमावली के नियम 350 के अनुसार, नए विलेख थे।

¹⁴ लिखत के अंतर्गत प्रत्येक दस्तावेज़ और अभिलेख शामिल है जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सृष्ट, अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है।

¹⁵ महत्वपूर्ण परिवर्तन में माप, सीमा, भूखण्ड संख्या, क्षेत्रफल आदि शामिल है, जैसा कि परिशिष्ट 3.1.6 में वर्णित है।

3.1.8.4 व्यवस्थापन विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण

आठ उ नि का में निष्पादित 46 व्यवस्थापन विलेखों की जांच में पाया गया कि 14 विलेखों में व्यवस्थापन विलेखों के रूप में लेखपत्रों के वर्गीकरण के संबंध में भा स्टा अधि 1899 के सुसंगत प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.78 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

अ) व्यवस्थापन विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण

भा स्टा अधि, 1899 की धारा 2 (24) में उल्लिखित आवश्यक शर्तों में से एक के अनुसार, व्यवस्थापन का अर्थ चल या अचल सम्पत्ति का लिखित रूप में कोई गैर वसीयतनामा¹⁶ प्रबंध¹⁷ है, जिसका उद्देश्य व्यवस्थापक की सम्पत्ति को उसके परिवार के बीच वितरित करना, या उन लोगों के लिए जिनके लिए वह प्रावधान करना चाहता है या उस पर निर्भर किसी व्यक्ति के लिए प्रावधान करना है। यह उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए जो सम्पत्ति का एकमात्र स्वामी है और लाभार्थी उसके पारिवारिक सदस्य हैं या वे हैं जिनके निर्वाह की वह व्यवस्था करना चाहता है। इसका निष्पादन पारिवारिक विवादों के समाधान हेतु नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 58 के अनुसार, पारिवारिक सदस्य के अतिरिक्त व्यवस्थापन विलेखों पर देय स्टा शु व्यवस्थापित की गई सम्पत्ति के मूल्य या धनराशि के बराबर धनराशि का सात प्रतिशत है, जबकि पारिवारिक सदस्य के प्रकरण में यह 0.5 प्रतिशत¹⁸ है जो ₹ 10 करोड़ मूल्य तक के लिखत पर अधिकतम ₹ एक लाख और ₹ 10 करोड़ मूल्य से अधिक के लिखत पर ₹ तीन लाख और देय नि शु व्यवस्थापित की गई सम्पत्ति की धनराशि या मूल्य के बराबर धनराशि का दो प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25,000 है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सम्पत्ति के सह-स्वामियों के बीच विभाजन के तीन प्रकरण¹⁹ थे जिनमें से दो गैर-परिवार सदस्यों के मध्य थे और इन सभी प्रकरणों को व्यवस्थापन विलेख के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा पारिवारिक सदस्यों से जुड़े एक प्रकरण में ₹ 1,000 के स्टा शु का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त,

¹⁶ 'गैर वसीयतनामा' का अर्थ एक ऐसा विक्रय पत्र है जो निष्पादक की मृत्यु के बाद प्रभाव में आने के लिए नहीं है।

¹⁷ व्ययन स्थानांतरण के विचार को व्यक्त करता है।

¹⁸ अधिसूचना सं.36/XXVII(9)/2011/स्टांप-20/2010 दिनांक 24 जनवरी 2011 ।

¹⁹ विक्रय पत्र सं 3221/2019 (₹ 0.99 लाख), 9083/2021 (₹ 4.06 लाख) एवं 7162/2021 (₹ 5.11 लाख), उ नि विकासनगर।

गैर-पारिवारिक सदस्यों के शेष दो प्रकरणों में प्रत्येक में ₹ 1,100 का भुगतान किया गया। इन प्रकरणों में भुगतान किया गया स्टा शु न तो विभाजन पर लागू होता है और न ही परिवार के भीतर या बाहर के व्यवस्थापन पर। तथापि, इन विलेखों को व्यवस्थापन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.16 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि समस्त प्रकरणों को जाँच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

ब) गैर पारिवारिक सदस्यों से जुड़े प्रकरणों का पारिवारिक सदस्यों के मध्य व्यवस्थापन विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

लेखापरीक्षा द्वारा दो कार्यालयों के दो²⁰ प्रकरणों में पाया गया कि पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त अन्य के मध्य व्यवस्थापन विलेखों को पारिवारिक सदस्यों के मध्य के प्रकरणों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.01 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

स) दान विलेख का व्यवस्थापन विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 के अनुसार, दान किसी विद्यमान चल या अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण है जो स्वेच्छा से और बिना प्रतिफल के दाता द्वारा दान प्राप्तकर्ता को किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भा स्टा अधि, 1899 की अनुसूची 1(ख) का अनुच्छेद 33, दान विलेख से संबंधित लेन-देन को विनियमित करता है। दान विलेख पर देय स्टा शु सम्पत्ति के बाजार मूल्य का पाँच प्रतिशत है जबकि पारिवारिक सदस्य के प्रकरण में एक प्रतिशत है। प्रभार्य नि शु सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25,000 है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सह-स्वामियों में से एक द्वारा व्यवस्थापन विलेखों के माध्यम से अन्य के पक्ष में सम्पत्ति के हस्तांतरण के छः प्रकरण थे, जिनमें से पांच प्रकरण पारिवारिक सदस्यों के मध्य थे। लेखपत्रों के तथ्यों से ज्ञात हुआ कि ये विभाजन के प्रकरण थे और इसमें दान विलेखों के माध्यम से सम्पत्तियों का

²⁰ विक्रय पत्र सं. 498/2021 (₹ 2.26 लाख)-उ नि तृतीय देहरादून एवं 3222/2021 (₹ 0.74 लाख)-उ नि ऋषिकेश।

हस्तांतरण भी शामिल था। तथापि, उक्त लेखपत्रों को पंजीकृत करते समय दान विलेखों से संबंधित तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.17 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ (परिशिष्ट-3.1.7)।

इसके अतिरिक्त, तीन प्रकरणों²¹ में यह पाया गया कि पारिवारिक विवाद से बचने के लिए निष्पादित विलेखों को व्यवस्थापन विलेख के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि उक्त को दान विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.44 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि सभी प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

3.1.8.5 विभाजन विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण

तेरह उ नि का में निष्पादित 39 विभाजन विलेखों की जांच में पाया गया कि विभाजन विलेखों के वर्गीकरण के संबंध में भा स्टा अधि, 1899 के सुसंगत प्रावधानों का 15 विलेखों में पालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 39.84 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

अ) दान विलेख पर देय स्टा शु का विभाजन विलेख पर आरोपण

भा स्टा अधि, 1899 की अनुसूची 1 (ख) के अनुच्छेद 45 के अनुसार, पारिवारिक सदस्य के अतिरिक्त विभाजन विलेख पर देय स्टा शु सम्पत्ति के अलग किए गए हिस्से या हिस्सों की धनराशि या मूल्य के बराबर धनराशि का सात प्रतिशत है और देय नि शु सम्पत्ति के विभाजन के पश्चात शेष सबसे बड़े हिस्से पर दो प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25,000 है, जबकि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत दान विलेख पर देय स्टा शु, सम्पत्ति के बाजार मूल्य का पांच प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा द्वारा तीन प्रकरणों²² में पाया गया कि गैर-पारिवारिक सदस्यों के बीच विभाजन था और उ नि ने उक्त को दान विलेख मानते हुए स्टा शु आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.47 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

²¹ विक्रय पत्र सं. 6350/2019 (₹ 1.21 लाख) & 5674/2021(₹ 9.11 लाख) - उ नि रुद्रपुर एवं 5152/2020 (₹ 6.12 लाख) - उ नि तृतीय देहरादून।

²² विक्रय पत्र सं. 4229/2019, ₹ 0.56 लाख, 3866/2020, ₹ 0.61 लाख, 7204/2020, ₹ 7.3 लाख, उ नि ऋषिकेश।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि समस्त प्रकरणों को जांच हेतु लिए कलेक्टर स्टॉप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

ब) विभाजन विलेख में गैर-कृषि भूमि का कृषि भूमि के रूप में गलत वर्गीकरण

सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा जारी सम्पत्ति के मूल्यांकन किए जाने सम्बन्धी (सर्किल दरों पर) सामान्य निर्देशों के अनुसार, यदि हस्तांतरित की जा रही सम्पत्ति का क्षेत्रफल 1,000 वर्ग मीटर या उससे कम है, तो कृषि भूमि का मूल्यांकन, गैर-कृषि दर पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नगरीय क्षेत्र के बाहर स्थित कृषि भूमि का मूल्यांकन, गैर-कृषि दर पर किया जाएगा यदि हस्तांतरित की जा रही सम्पत्ति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर या उससे कम है।

लेखापरीक्षा द्वारा दो कार्यालयों के पांच प्रकरणों में पाया गया कि सम्पत्ति के सह-स्वामियों के बीच सम्पत्ति का विभाजन किया गया था। विभाजन के पश्चात सम्पत्ति के सह-स्वामियों का हिस्सा 500 वर्ग मीटर से कम था और उक्त सम्पत्तियां नगरीय क्षेत्र के बाहर स्थित थीं। पृथक किए गए हिस्से के मूल्यांकन हेतु गैर-कृषि दर के स्थान पर कृषि दर लागू की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.52 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ (परिशिष्ट-3.1.8)।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि समस्त प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टॉप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

स) गैर-पारिवारिक सदस्यों के मध्य विभाजन से संबन्धित प्रकरणों को पारिवारिक सदस्यों के मध्य विभाजन के रूप में गलत वर्गीकरण

गैर-परिवार सदस्य के मध्य विभाजन की लिखत पर देय स्टा शु, सम्पत्ति के पृथक किए गए हिस्से या हिस्सों की धनराशि या मूल्य के बराबर धनराशि का सात प्रतिशत है, जबकि पारिवारिक सदस्यों के प्रकरण में यह एक प्रतिशत है, जो नगरपालिका सीमा के भीतर ₹ 10 करोड़ तक के लिखत पर अधिकतम ₹ एक लाख और ₹ 10 करोड़ से अधिक के लिखत पर ₹ तीन लाख है और नगरपालिका सीमा के बाहर 0.25 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25,000 है। जबकि नि शु, सम्पत्ति के विभाजन के पश्चात शेष सबसे बड़े हिस्से का दो प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25,000 है।

लेखापरीक्षा द्वारा तीन प्रकरणों²³ में पाया गया कि पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों के मध्य विभाजन विलेख को पारिवारिक सदस्यों के मध्य विभाजन के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.47 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा एक विलेख²⁴ में स्टा शु और नि शु की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि विभाजित की जा रही भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं किया गया था।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि समस्त प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

द) ऐसे लिखत जिसमें सम्पत्ति के स्वामी, सह-स्वामी नहीं थे, का विभाजन विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

भा स्टा अधि, 1899 की धारा 2 (15) के अनुसार, विभाजन विलेख का अर्थ ऐसे विलेख से है, जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के सह-स्वामी, ऐसी सम्पत्ति को कई हिस्सों में विभाजित करते हैं या विभाजित करने के लिए सहमत होते हैं। विभाजन का सार यह है कि संयुक्त स्वामित्व को पूर्ववर्ती सह-स्वामियों के पृथक स्वामित्व द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विभाजन, उन सह-स्वामियों के मध्य संभव है जिनके पास पूर्ण या समान अधिकार नहीं हैं।

कार्यालय, उ नि-द्वितीय, देहरादून में निष्पादित एक विभाजन विलेख²⁵ की जांच में पाया गया कि दो व्यक्तियों द्वारा निष्पादित तीन विलेखों के माध्यम से तीन सम्पत्तियों को पृथक-पृथक क्रय किया गया था और उक्त को संयुक्त सम्पत्ति माना गया था। इसके अतिरिक्त, पूर्व से ही पृथक स्वामित्व वाली सम्पत्ति को प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के मध्य विभाजित किया गया था जिसमें क्रमशः तीन व्यक्ति और दो व्यक्ति शामिल थे। जबकि, वे सम्पत्ति के सह-स्वामी नहीं थे, अतः उक्त विलेख को दान विलेख के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.45 लाख²⁶ के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

²³ विक्रय पत्र सं. 2807/2020, ₹ 0.82 लाख उ नि-प्रथम, विकासनगर, 4073/2020, ₹ 4.25 लाख, उ नि द्वितीय, देहरादून, 1996/2020, ₹ 18.40 लाख, उ नि, सितारगंज।

²⁴ विक्रय पत्र सं. 6257/2021 ।

²⁵ विक्रय पत्र सं. 2023/2019 ।

²⁶ स्टा शु ₹ 4,200+₹ 4,200+₹ 6,620=₹ 15,020, नि शु ₹ 8,390+₹ 8,390+₹ 13,238= ₹ 30,018, स्टा शु + नि शु ₹ 15,020+₹ 30,018= ₹ 45,038 ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि प्रकरण को जांच हेतु कलेक्टर स्टॉप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

य) अन्य सह-स्वामियों को सहमति के माध्यम से दी गई सम्पत्ति का विभाजन विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

कार्यालय, उ नि-द्वितीय, देहरादून में निष्पादित दो विभाजन विलेखों²⁷ की जांच में पाया गया कि माँ और उसके दो बेटे सम्पत्ति के संयुक्त स्वामी थे। माँ ने सहमति से बेटों को सम्पत्ति में अपना हिस्सा दिया और सम्पत्ति को बेटों के मध्य विभाजित कर दिया गया। माँ द्वारा बेटों को अपना हिस्सा दान में देने के पश्चात ही सम्पत्ति को बेटों के मध्य विभाजित किया जा सकता था। इस प्रकार, माता के हिस्से को विभाजन से पहले दान विलेख माना जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.93 लाख²⁸ के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि दोनों प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टॉप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

3.1.8.6 पृथक हिस्सों को एकल हिस्से के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप नि शु का न्यूनारोपण

पंजी अधि 1908, की धारा 78 के अनुसार, राज्य सरकार दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए शुल्क तय करेगी। देय नि शु, प्रतिफल या सम्पत्ति के बाजार मूल्य में से जो भी अधिक हो, का दो प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25,000 है। कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित कोई भी विलेख जिसमें उनके हिस्से पृथक हैं, या उनका हिस्सा सुनिश्चित है, पर प्रभार्य नि शु की धनराशि उस धनराशि का योग होगी जो उस विलेख से संबन्धित या उसमें शामिल पृथक विलेखों पर इस अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य है।

लेखापरीक्षा द्वारा आठ कार्यालयों के 16 प्रकरणों में पाया गया कि सम्पत्ति के हस्तांतरण के विलेख कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक के पास सम्पत्ति में पृथक हिस्सा था। फिर भी, ऐसे विलेखों पर पृथक रूप से नि शु आरोपित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.30 लाख के नि शु का

²⁷ विक्रय पत्र सं. 4006/2021, 1657/2022 ।

²⁸ देय स्टा शु, (₹ 1,09,08,841+₹ 33,57,667)x1 प्रतिशत=₹ 1,42,665 अर्थात ₹ 1,42,670 देय नि शु, ₹ 25,000+₹ 25,000= ₹ 50,000 ।

न्यूनारोपण हुआ, जिसमें से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात तीन प्रकरणों में ₹ 0.75 लाख²⁹ जमा कर दिये गए थे (परिशिष्ट-3.1.9)।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात 16 प्रकरणों में से, तीन प्रकरणों में ₹ 0.75 लाख की धनराशि वसूल की गई थी, दो प्रकरणों को कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया गया था एवं 10 प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, क्रम संख्या 9 पर उल्लिखित एक प्रकरण में, यह उत्तर दिया गया कि सभी विक्रेता और सहमतकर्ता ने संयुक्त रूप से प्रतिफल प्राप्त किया था। इस प्रकार, पृथक रूप से नि शु आरोपणीय नहीं था। प्रतिफल के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों ने अलग-अलग प्रतिफल प्राप्त किया था।

3.1.8.7 पारिवारिक हस्तांतरण प्रकरणों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण

लेखापरीक्षा द्वारा तीन उ नि का के पांच प्रकरणों में पाया गया कि परिवार के भीतर हस्तांतरण से संबंधित लेखपत्रों के वर्गीकरण के संबंध में भा स्टा अधि, 1899 के सुसंगत प्रावधानों का पांच विलेखों में पालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.58 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

अ) गैर-पारिवारिक सदस्यों को सम्पत्ति के हस्तांतरण का परिवार के भीतर हस्तांतरण के रूप में गलत वर्गीकरण

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या वित्त अनुभाग-9/सं.34/XXVII(9)/2010/स्टांप-20/2010 दिनांक 24 जनवरी 2011 के अनुसार पारिवारिक सदस्यों, जो सम्पत्ति के सह-स्वामी हैं और उनके हिस्से सम्पत्ति में निर्दिष्ट हैं, के बीच निष्पादित बिक्री विलेख पर, प्रतिफल या सम्पत्ति का बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर 0.25 प्रतिशत की दर से स्टा शु आरोपणीय है जो अधिकतम ₹ 1,000 है। देय नि शु प्रतिफल या सम्पत्ति के बाजार मूल्य में से जो भी अधिक हो, का दो प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25,000 है।

²⁹ विक्रय पत्र सं. 755/2020 उ नि द्वितीय देहरादून, 523/2021 एवं 4773/2021 उ नि तृतीय रुड़की।

लेखापरीक्षा द्वारा एक कार्यालय के दो प्रकरणों³⁰ में पाया गया कि बिक्री विलेख गैर-पारिवारिक सदस्यों के बीच निष्पादित किए गए थे लेकिन उन्हें पारिवारिक सदस्यों के मध्य निष्पादित माना गया था। तदनुसार, मात्र ₹ 1,000 का स्टा शु आरोपित किया गया था, जबकि प्रतिफल या बाजार मूल्य जो भी अधिक पर पांच प्रतिशत की दर से स्टा शु, आरोपणीय था। इसके अतिरिक्त, एक प्रकरण³¹ में, यह पाया गया कि बिक्री विलेख, पारिवारिक सदस्यों द्वारा निष्पादित किया गया था जो सम्पत्ति के सह-स्वामी नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.14 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि तीनों प्रकरणों को कलेक्टर स्टाम्प को जांच हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा।

ब) बिना प्रतिफल के सम्पत्ति के हस्तांतरण का पारिवारिक सदस्यों के बीच विक्रय विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के अनुसार, बिक्री को भुगतान किए गए या वादा किए गए मूल्य या आंशिक भुगतान और वादा किए गए हिस्से के बदले स्वामित्व के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा एक कार्यालय के दो प्रकरणों³² में पाया गया कि पारिवारिक सदस्यों के बीच बिना किसी प्रतिफल (विक्रय मूल्य) के सम्पत्ति का हस्तांतरण किया गया था और इसे बिक्री विलेख के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चूंकि कोई प्रतिफल नहीं था, इसलिए इसे दान विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था, जिस पर ₹ 1,000 के स्थान पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत की दर से स्टा शु आरोपित किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.44 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि दोनों प्रकरणों को कलेक्टर स्टाम्प को जांच हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा।

³⁰ विक्रय पत्र सं.7263/2020, ₹ 1.52 लाख & 3314/2019, ₹ 0.39 लाख, उ नि, ऋषिकेश।

³¹ विक्रय पत्र सं.1380/2021, ₹ 0.23 लाख, उ नि-प्रथम, विकासनगर।

³² विक्रय पत्र संख्या 1727/2020 & 1728/2020, ₹ 3.72 लाख प्रत्येक, उ नि, रुद्रपुर।

3.1.8.8 अखंडनीय मुख्तारनामा को खंडनीय मुख्तारनामा के रूप में वर्गीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण

भा स्टा अधि, 1899 की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 48 (ड) और (ड ड) के अनुसार, जब अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए मुख्तारनामा या तो प्रतिफल लेकर या अखंडनीय अधिकार के माध्यम से दिया जाता है, तो उस पर हस्तांतरण के समान आरोपणीय दर से अर्थात् प्रतिफल या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का पाँच प्रतिशत स्टा शु देय होगा एवं देय नि शु, प्रतिफल या सम्पत्ति के बाजार मूल्य में से जो भी अधिक हो, का दो प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25,000 है।

एक विक्रय विलेख³³ की जांच में पाया गया कि मुख्तार द्वारा, अचल सम्पत्ति, मुख्तारनामा के द्वारा विक्रय की गई। इसके अतिरिक्त, मुख्तारनामा जो कि विलेख³⁴ के माध्यम से निष्पादित किया गया था, खंडनीय पाया गया एवं उक्त पर ₹ 50 स्टा शु एवं ₹ 50 नि शु भुगतान किया गया। तथापि, संव्यवहार की सम्पूर्ण धनराशि मुख्तार द्वारा प्राप्त की गई थी, जैसा कि शपथ पत्र में उल्लिखित था। इस प्रकार, मुख्तारनामा अखंडनीय अधिकार के साथ वर्गीकृत होना चाहिए था, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के पाँच प्रतिशत की दर से स्टा शु आरोपित किया जाना चाहिए था और नि शु भी देय था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 22.12 लाख³⁵ के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि प्रकरण को परीक्षण हेतु कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया जाएगा।

3.1.9 विभिन्न प्राधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी में कमी

उत्तराखण्ड बजट नियमावली के प्रस्तर 81 के अनुसार, विभाग के नियंत्रक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सरकार को देय सभी धनराशियों का नियमित रूप से एवं शीघ्र मूल्यांकन किया जाए, वसूला जाए और विधिवत रूप से सरकारी खाते में जमा किया जाए।

³³ विक्रय पत्र संख्या 3889/2019 उ नि, रुद्रपुर।

³⁴ विक्रय पत्र संख्या 108/2018, बुक IV में रजिस्ट्रीकृत।

³⁵ $3.9770 \text{ हेक्टेयर} \times ₹ 1,10,00,000 = ₹ 4,37,47,000 \times 5 \text{ प्रतिशत} = ₹ 21,87,350-50 + ₹ 25,000-50 = ₹ 22,12,250$ ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V भाग-I के परिशिष्ट XIX ख के प्रस्तर 82 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी को पूर्ण और स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए है कि उसकी लापरवाही या धोखाधड़ी के कारण सरकार को हुई किसी भी क्षति के लिए, वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा, और किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी क्षति के लिए उस सीमा तक जितना कि उसके कार्य या लापरवाही से हानि हुई है, व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

उत्तराखण्ड शासकीय सेवक से वसूली - उत्तराखण्ड शासकीय सेवक सेवा नियमावली, 2003 के बिन्दु 3(क) के अनुसार शासकीय सेवक द्वारा आदेशों के उल्लंघन के कारण होने वाली हानि की वसूली पूर्ण या आंशिक रूप से उसी से की जानी चाहिए।

प्रशासन और अधीक्षण से संबंधित नियम- म नि नि को उ नि के प्रशासन और अधीक्षण हेतु पंजी अधि के नियम 69 के अंतर्गत अधिकार प्रदान किए गए हैं। उत्तराखण्ड पंजीकरण नियमावली के नियम 285 के अनुसार, उ नि को यह सुनिश्चित करना है कि पंजीकरण के लिए प्रस्तुत लेखपत्रों पर उचित स्टा शु आरोपित किया गया है और उत्तराखण्ड पंजीकरण नियमावली के नियम 385 और 387, जि नि को उ नि का के अभिलेखों और पंजिकाओं की जांच हेतु अधिकृत करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजीकृत लेखपत्र पर यथाविधि मोहर लगी हो।

ये नियम प्राधिकारियों के हानि को कम करने हेतु प्रारम्भिक चरण में गलतियों का पता लगाने और रोकने में अधिकारियों को सक्षम बनाते हैं। प्रणालीगत और अनुपालन प्रकरणों से संबंधित प्रस्तर क्रमशः 3.1.7 और 3.1.8 में इंगित त्रुटियों से पता चलता है कि नियंत्रक अधिकारी बजट नियमावली के प्रस्तर 81 और पंजी अधि के नियम 69 में परिकल्पित कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, जि नि और उ नि यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि पंजीकरण के लिए प्रस्तुत लेखपत्र पर यथाविधि मोहर लगी थी जैसा कि क्रमशः उत्तराखण्ड पंजीकरण नियमावली के नियम 385, 387 और 285 में परिकल्पना की गई थी।

इस प्रकार, उ नि का के कामकाज का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण एवं अधीक्षण करने में अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप विलेखों की नमूना जांच में बड़ी संख्या में त्रुटियां पायी गई, जिसके कारण राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई।

3.1.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में कई प्रणालीगत प्रकरण पाए गए जैसे कि सॉफ्टवेयर में तितिम्मा विलेख को उसके मूल विलेख से मिलान का कोई प्रावधान नहीं है, भू-अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए पंजीकरण प्रणाली के साथ भू-अभिलेख का कोई एकीकरण नहीं है, पहचान के सत्यापन हेतु निर्वाचन प्राधिकारी, आयकर प्राधिकारी, परिवहन प्राधिकारी और यू आई डी के साथ कोई वेब सेवा लिंक नहीं है। इसके अतिरिक्त, विलेख के गलत वर्गीकरण के कारण स्टा शु और नि शु के न्यूनारोपण से संबंधित अनुपालन प्रकरण जैसे दस्तबरदारी, बंधक, तितिम्मा, व्यवस्थापन और विभाजन विलेख, सुभिन्न हिस्से, पारिवारिक हस्तांतरण प्रकरण और मुख्तारनामा प्रकरण पाये गए।

इस प्रकार, उचित स्टा शु और नि शु आरोपित करने के लिए लेखपत्रों के वर्गीकरण के लिए पंजीकरणकर्ता अधिकारियों द्वारा अधिनियमों, नियमों और नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का दृढ़ता से पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹ 6.63 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

3.1.11 अनुशंसाएं

राज्य सरकार निम्न पर विचार कर सकती है:

- पंजीकरण सॉफ्टवेयर को उन्नत किया जा सकता है ताकि तितिम्मा विलेख का उसके मूल विलेख के साथ संबद्ध किया जा सके, भू-अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए पंजीकरण प्रणाली के साथ “भूलेख” अभिलेखों का एकीकरण और पहचान के सत्यापन के लिए निर्वाचन प्राधिकारी, आयकर प्राधिकारी, परिवहन प्राधिकारी और यू आई डी के साथ वेब सेवा लिंक का प्रावधान किया जाए;
- उ नि का द्वारा लेखपत्रों को पंजीकरण के पश्चात, अधिनियम की गलत धारा के अंतर्गत कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किए जाने के बजाय स्टाम्प ड्यूटी की प्रभार्यता के संबंध में पंजीकरण से पूर्व लेखपत्रों की विस्तृत जांच की जानी चाहिए;
- कलेक्टर स्टाम्प को गलत धारा के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रकरणों का संज्ञान लेना चाहिए और म नि नि द्वारा उ नि को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रकरणों को निर्दिष्ट करने हेतु निर्देश जारी किया जा सकता है;
- इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक चरण में त्रुटियों का पता लगाने के लिए म नि नि को स म नि नि द्वारा निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार के विलेखों की जांच हेतु मानदंड निर्धारित करना चाहिए;

- अतः, राज्य सरकार/विभाग यह जांच करने के लिए सभी इकाइयों की विस्तृत समीक्षा कर सकता है कि यदि इसी प्रकार की त्रुटियां/चूक अन्यत्र भी हुई हैं तो उन्हें दूर किया जाए।

खनन विभाग

3.2 रॉयल्टी की वसूली न होना

रॉयल्टी की वसूली न किये जाने के कारण ईंट भट्टा संचालकों को ₹ 10.04 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया जाना।

उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोलडर, ईंट आदि) नीति, 2015³⁶ के नियम 7(1) के अनुसार, ईंट भट्टों से ईंटों का उत्पादन ईंट के पायों के आधार पर आगणित किया जाएगा। ईंट भट्टे से न्यूनतम 15 पाये हेतु 20 लाख ईंट उत्पादन का मानक निर्धारित करते हुए और प्रति पाया एक लाख ईंट अतिरिक्त मानते हुए गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2016³⁷ में संशोधन करके ईंटों पर रॉयल्टी की दर ₹ 100 प्रति हजार उत्पादित ईंट निर्धारित की गयी थी।

जिला खनन अधिकारियों (डी एम ओ), हरिद्वार (अक्टूबर 2020 एवं अगस्त 2021) एवं ऊधम सिंह नगर (सितम्बर 2021) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ईंट भट्टा संचालकों ने उपर्युक्त अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अन्तर्गत, ईंटों के उत्पादन के लिए रॉयल्टी जमा नहीं की थी। विवरण नीचे दिया गया है:

(अ) डी एम ओ, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान 148 ईंट भट्टा संचालकों द्वारा 81.86 करोड़ ईंटों का उत्पादन किया गया था जिसके सापेक्ष निर्धारित दर के अनुसार ₹ 8.19 करोड़ की रॉयल्टी देय थी, किन्तु उक्त भट्टा संचालकों द्वारा कोई रॉयल्टी जमा नहीं की गयी (परिशिष्ट-3.2.1 का क्रम संख्या 1 और 2)। इसके अतिरिक्त, डी एम ओ, यू एस नगर में यह भी पाया गया कि आठ ईंट भट्टा संचालकों ने वर्ष 2020-21 के लिए कोई रॉयल्टी जमा नहीं की, यद्यपि 2.24 करोड़ ईंटों का उत्पादन किया गया था, जिसके सापेक्ष भट्टा संचालकों द्वारा ₹ 0.22 करोड़ की रॉयल्टी जमा की जानी थी (परिशिष्ट-3.2.1 का क्रम संख्या 5)।

³⁶ कार्यालय ज्ञाप सं. 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 दिनांक 31 जुलाई 2015 के द्वारा जारी।

³⁷ अधिसूचना संख्या 1754/VII-1/16/24-ख/07 टी सी दिनांक 08 दिसंबर 2016 द्वारा।

(ब) डी एम ओ, ऊधम सिंह नगर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि भट्टा संचालको³⁸ द्वारा 28.34 करोड़ ईटों के उत्पादन के लिए देय ₹ 2.83 करोड़ की रॉयल्टी के सापेक्ष वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भट्टा संचालकों द्वारा ₹ 1.20 करोड़³⁹ की रॉयल्टी जमा की गयी थी (परिशिष्ट-3.2.1 का क्रम संख्या 3 एवं 4)।

इस प्रकार, ईट भट्टा संचालकों को ₹ 10.04 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय से एक व्यापक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और इसकी समीक्षा की जा रही है। इस प्रकरण पर निर्णय की सूचना नियत समय में लेखापरीक्षा को दी जायेगी।

राजस्व विभाग

3.3 अनियमित व्यय

आयुक्त कार्यालय के जीर्णोद्धार कार्य में आयुक्त, कुमाऊं मंडल द्वारा ₹ 4.23 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियमावली, 2018 के अनुसार, सरकारी भवन पर कोई भी व्यय करने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI के अनुसार, स्थायी सरकारी भवन को राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ प्राधिकारी जिसे शक्ति प्रदान की गई है, के आदेश के अंतर्गत ध्वस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2018 के अनुसार कोई भी मूल कार्य, मरम्मत, या रख-रखाव कार्य, सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने, एक उचित रूप से विस्तृत डिजाइन की स्वीकृति प्राप्त होने; विभिन्न वस्तुओं के विस्तृत विनिर्देश और मात्रा वाले अनुमानों को पी डब्ल्यू डी या किसी अन्य विशेष एजेंसी द्वारा स्वीकृति होने तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 (iii) के अनुसार किसी भी प्राधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लाभ के लिए आदेश पारित करने की स्वीकृति देने की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

³⁸ वर्ष 2019-20 के दौरान 52 ईट भट्टा संचालक और वर्ष 2020-21 के दौरान 53 ईट भट्टा संचालक।

³⁹ वर्ष 2019-20 के दौरान 52 ईट भट्टा संचालकों द्वारा ₹ 48.50 लाख की रॉयल्टी जमा की गई और वर्ष 2020-21 के दौरान 53 ईट भट्टा संचालकों द्वारा ₹ 71.55 लाख की रॉयल्टी जमा की गई।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अनुसार, एक नई योजना पर शामिल व्यय, एक नई नीति को अपनाने में, एक नई सुविधा का प्रावधान, या किसी मौजूदा सुविधा की प्रकृति या विस्तार में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन को सामान्यतः "नए व्यय" के रूप में माना जाएगा। राज्य बजट के खण्ड III में 'नए व्यय' की अनुदानवार सूची है।

बजट मैनुअल के अनुसार, नई परियोजनाओं/ नए व्यय की लागत-लाभ विश्लेषण, लागत मानदंड की उपलब्धता, आवर्ती व्यय और इसकी संरचना, आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता, धन के लिए मूल्य जैसे मानकों पर विस्तृत जांच होनी चाहिए।

आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल (आयुक्त) के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2022) में पाया गया कि आयुक्त के कार्यालय का जीर्णोद्धार ₹ 4.23 करोड़ की लागत से किया गया था। जीर्णोद्धार की लागत नैनीताल और उधम सिंह नगर⁴⁰ के जिला विकास प्राधिकरणों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन की गई थी।



आयुक्त कुमाऊं के कार्यालय भवन का नवीनीकरण कार्य

⁴⁰ आयुक्त कुमाऊं को क्रमशः अधिसूचना संख्या 1814 (2)/वी-2/05 (आ.) और 1814 (2)/वी-2/05 (आ.) दिनांक 13 नवंबर 2017 के माध्यम से अध्यक्ष, डी डी ए नैनीताल और अध्यक्ष, यू एस नगर का कर्तव्य सौंपा गया है।

उक्त नवीनीकरण में निम्नलिखित अनियमिततायें थीं:

- अ. वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018 के प्रस्तर 3.12 और उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रस्तर 40 (1) में उल्लिखित राज्य सरकार का अनुमोदन/ स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी,
- ब. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI के प्रस्तर 280 के अन्तर्गत उल्लिखित कार्यालय भवन के एक हिस्से को हटाने/ध्वस्त करने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन/ स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।
- स. सरकार की स्वीकृति/अनुमोदन के बिना ध्वस्त की गई सामग्री का निपटान किया गया था,
- द. इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि उक्त नवीनीकरण तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार और सरकारी गैर-आवासीय भवनों पर लागू पैमाने/विनिर्देशों के अनुसार था, क्योंकि सरकार की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त नहीं की गई थी।

इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने आयुक्त का उत्तर अग्रेषित कर दिया। इसी तरह, आयुक्त ने अपने उत्तर में अपनी टिप्पणी दिए बिना जिला विकास प्राधिकरण (डी डी ए) का उत्तर अग्रेषित कर दिया। डी डी ए ने अपने उत्तर में कहा कि डी डी ए, नैनीताल की 8वीं बोर्ड बैठक⁴¹ में, अध्यक्ष, डी डी ए, नैनीताल (पदेन रूप से मण्डल आयुक्त) के कार्यालय भवन का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, उक्त कार्य के लिए ₹ 63.90 लाख का अनुबंध⁴² किया गया था (अक्टूबर 2020)। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने अपनी 11वीं और 13वीं बैठक में उक्त कार्य के लिए क्रमशः ₹ 3.12 करोड़ और ₹ 4.95 करोड़ के संशोधित अनुमानों की स्वीकृति दी। डी डी ए नैनीताल ने दावा किया कि ये निर्णय "उत्तराखण्ड शहरी और देश योजना और विकास अधिनियम, 1973" (अधिनियम) के खण्ड IV⁴³ के अनुसार थे और इसलिए, किसी अन्य प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

⁴¹ 08 जून 2020 को संपादित।

⁴² ई-निविदा, अनुबंध संख्या 05/2020-21 के माध्यम से चयनित।

⁴³ राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य के सभी विकास क्षेत्रों के लिए 'उत्तराखण्ड आवास और शहरी विकास प्राधिकरण' नामक एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है, जिसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर हो जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और किसी भी विकास क्षेत्र के लिए स्थानीय विकास प्राधिकरण।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकारी भवनों पर होने वाले व्यय से संबंधित वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम का खण्ड 4 नगर नियोजन के संदर्भ में अधिसूचित क्षेत्र के विकास की वकालत करता है और इसकी व्याख्या जिला विकास प्राधिकरण को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी सरकारी परिसर को संशोधित करने/बदलने/ध्वस्त करने का अधिकार देने के लिए नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, आयुक्त ने बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 (iii) में उल्लिखित वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का उल्लंघन किया था।

इस प्रकार, कुमाऊं मण्डल के आयुक्त (डी डी ए, नैनीताल और उधम सिंह नगर के पदेन अध्यक्ष) ने सरकारी कार्यालय भवन के नवीनीकरण कार्यों पर ₹ 4.23 करोड़ का अनियमित व्यय करने के लिए डी डी ए, नैनीताल और यू एस नगर की निधियों का उपयोग किया।

3.4 डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक अभिलेख कक्ष की स्थापना और उपयोग पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

विभागीय स्तर पर अप्रभावी योजना के कारण पायलट जिलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों (एम आर आर) की स्थापना का कार्य अधूरा रहा। आधुनिक अभिलेख कक्षों में फर्म द्वारा स्थापित उपकरण/ सामग्री निष्क्रिय पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप फर्म को अनुबंधित धनराशि ₹ 4.82 करोड़ के सापेक्ष भुगतानित धनराशि ₹ 2.75 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए फर्म को संचालन अग्रिम बिना ब्याज के ही नहीं बल्कि बिना बैंक गारंटी के भी उपलब्ध कराया गया। पायलट जिलों के अतिरिक्त, राज्य के शेष जिलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना में सिविल कार्य के निष्पादन में अनावश्यक देरी हुई। इसके अतिरिक्त, सिविल कार्य के निष्पादन में मितव्ययिता का पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.48 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ। आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना के लिए केंद्रीय-कृत अधिप्राप्ति के दौरान, अनावश्यक और अतिरिक्त सामग्री क्रय की गई थी, जिन्हें दो वर्षों से उपयोग में नहीं लाया गया था और उक्त अधिप्राप्ति पर किया गया ₹ 13.80 करोड़ का व्यय निरर्थक था।

3.4.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन एल आर एम पी), जिसे 2008 में स्वीकृति दी गई थी, जिन्हें दो योजनाओं क्रमशः भूमि अभिलेखों का

कम्प्यूटरीकरण (सी एल आर) और राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण एवं भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण को विलय करके प्रारम्भ किया गया था और तदुपरान्त इसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम⁴⁴ (डी आई एल आर एम पी) के रूप में परिवर्तित किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न घटक शामिल हैं जो प्रभावी रूप से निम्नलिखित गतिविधियों में परिवर्तित होते हैं:

(i) अधिकारों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण; (ii) भू-कर मानचित्रों का डिजिटलीकरण; (iii) अधिकारों और भू-कर मानचित्रों के अभिलेखों का एकीकरण; (iv) सर्वेक्षण/ पुनर्सर्वेक्षण; (v) आधुनिक अभिलेख कक्ष (एम आर आर) (vi) तहसील, उप-मंडल, जिले में कंप्यूटर केंद्र और राज्य स्तर पर डेटा सेंटर; (vii) राजस्व कार्यालयों के बीच कनेक्टिविटी (जुड़ाव); (viii) उप-निबन्धक कार्यालयों और तहसीलों के बीच पंजीकरण और कनेक्टिविटी का कम्प्यूटरीकरण (ix) पंजीकरण और भूमि अभिलेखों का एकीकरण।

अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा (नवंबर 2021) की गयी थी। इसके अतिरिक्त, तीन जिलों (पौड़ी, टिहरी और नैनीताल जिले में प्रत्येक में चार तहसीलों) में भौतिक निरीक्षण भी किया गया था। डी आई एल आर एम पी के अंतर्गत एक प्रमुख गतिविधि, एम आर आर की स्थापना से संबंधित अभिलेख की जांच में पाया गया कि राज्य के सभी 128 तहसील कार्यालयों में एम आर आर स्थापित किए जाने थे और इन्हें अभिलेखों और मानचित्रों के भौतिक भंडारण के लिए कॉम्पैक्टर/भंडारण उपकरणों, कंप्यूटर/सर्वर, स्टोरेज एरिया नेटवर्क (एस ए एन), प्रिंटर आदि के साथ एक परिचालन क्षेत्र और दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतीक्षा/स्वागत के लिए एक सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के साथ स्थापित/उच्चिकृत किया जाना था। उक्त उद्देश्य के लिए, राजस्व बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून ने (नवंबर 2015) प्रत्येक तहसील में एम आर आर के लिए स्थान की न्यूनतम आवश्यकता 700 वर्ग फुट⁴⁵ निर्धारित की थी।

3.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

⁴⁴ 01 अप्रैल 2016 से शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण वाली एक केंद्रीय योजना।

⁴⁵ भंडारण और संचालन क्षेत्र के लिए 500 वर्ग फुट का एक कमरा तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के लिए 200 वर्ग फुट का एक कमरा।

- कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व चरण में सभी संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई।
- आवंटित धनराशि मितव्ययिता और प्रभावी ढंग से व्यय की गई।
- कार्यों के निष्पादन में सुसंगत नियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों और आदेशों का अनुपालन किया गया।
- उपकरण/सामग्री की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया विवेकपूर्ण थी, और प्रक्रियाओं में विक्रेताओं के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई।

3.4.3 डी आई एल आर एम पी के अन्तर्गत एम आर आर घटक की वित्तीय स्थिति 31 मार्च 2022 तक

डी आई एल आर एम पी के अन्तर्गत एम आर आर घटक की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय स्थिति तालिका-3.4.1 में दी गई है।

तालिका-3.4.1: डी आई एल आर एम पी के अन्तर्गत एम आर आर घटक की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय स्थिति

(₹ लाख में)

स्वीकृत धनराशि		अवमुक्त धनराशि			किया गया व्यय	शेष धनराशि
स्वीकृति का वर्ष	धनराशि	केंद्रीय अंश	राज्य अंश	कुल अवमुक्त		
2014-15	500.00	125.00	250.00	375.00	281.11	93.89
2019-20	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00	1,379.84	1,320.16
योग	3,200.00	2,825.00	250.00	3,075.00	1,660.95	1,414.05

जून 2014 में, पौड़ी (गढ़वाल) और अल्मोडा (प्रत्येक पायलट जिले की 10 तहसीलों में) के पायलट जिलों में एम आर आर स्थापित करने के लिए ₹ 5.00 करोड़ स्वीकृत किए गए थे और उक्त धनराशि जनवरी 2015 से मार्च 2019 तक तीन किस्तों में जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य की शेष 108 तहसीलों में एम आर आर स्थापित करने के लिए ₹ 27.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई (जून 2019)। उक्त धनराशि जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक दो किस्तों में जारी की गई थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

3.4.4 पायलट जिलों में एम आर आर की स्थापना

3.4.4.1 ₹ 2.75 करोड़ का अलाभकारी व्यय

चूँकि राज्य के सभी जिलों के तहसील कार्यालयों में एम आर आर स्थापित किए जाने थे, अतः अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून (बोर्ड) ने प्रारंभ में इस उद्देश्य के

लिए दो जिलों को पायलट जिलों⁴⁶ के रूप में चिन्हित किया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने राज्य के सभी एम आर आर में स्थापित किए जाने वाले उपकरणों⁴⁷ और अन्य आवश्यक सामग्री की केंद्रीयकृत अधिप्राप्ति करने का निर्णय लिया।

संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पायलट जिलों की 20 तहसीलों में कार्य⁴⁸ के निष्पादन के लिए एक फर्म⁴⁹ के साथ ₹ 4.82 करोड़⁵⁰ (प्रति तहसील ₹ 24.10 लाख) की धनराशि से एक अनुबंध गठित किया गया था (जून 2017)। दिसम्बर 2018 तक सभी तहसीलों में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। विभिन्न अंतरालों⁵¹ पर उक्त कार्य के लिए ₹ 3.75 करोड़⁵² की धनराशि मार्च 2019 तक अवमुक्त की गई। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- पर्याप्त जगह की अनुपलब्धता के कारण आठ तहसीलों⁵³ में कोई कार्य शुरू नहीं किया गया, जो दर्शाता है कि तहसील कार्यालयों में एम आर आर स्थापित करने के लिए पर्याप्त जगह की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना फर्म को ठेका दिया गया था।
- पौड़ी जिले की चार तहसीलों⁵⁴ में, जहां कार्य पूर्ण हो चुका था, संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जनवरी 2022) के दौरान पाया गया कि सिविल/इलेक्ट्रिक निर्माण कार्यों के निष्पादन, उपकरणों की स्थापना और भूमि अभिलेखों की स्कैनिंग में 11 से 23 महीने तक की देरी हुई।

⁴⁶ एम आर आर स्थापित करने के लिए प्रत्येक पायलट जिले, पौड़ी और अल्मोडा में 10 तहसीलों का चयन किया गया था और प्रति तहसील ₹ 25.00 लाख की दर से ₹ 5.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी (जुलाई 2014), जिसमें केंद्र और राज्य का अंश 50-50 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

⁴⁷ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉम्पेक्टर, एयर कंडीशनर, यू पी एस आदि।

⁴⁸ समझौते के अनुसार एम आर आर में सिविल कार्य और विद्युतीकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉम्पेक्टर, एयर कंडीशनर आदि की स्थापना शामिल है। आवश्यक उपकरणों के साथ एम आर आर स्थापित करने के बाद, फर्म द्वारा भूमि रिकॉर्ड की स्कैनिंग के संबंध में सेवाएं भी प्रदान की जानी थीं।

⁴⁹ जी आई एस कंसोर्टियम इंडिया प्रा. लिमिटेड।

⁵⁰ ₹ 24.10 लाख x 20 ।

⁵¹ जनवरी 2015, मार्च 2015 और मार्च 2019 में अवमुक्त हुई।

⁵² केंद्रीय अंश ₹ 1.25 करोड़ और राज्य अंश ₹ 2.50 करोड़।

⁵³ पौड़ी जिले की तहसील चौबट्टाखाल एवं चाकीसेण; जिला अल्मोडा की तहसील सोमेश्वर, जैती, भनोली, सल्ट, अल्मोडा और स्याल्दे।

⁵⁴ पौड़ी, श्रीनगर, लैंसडाउन, कोटद्वार।

- संबंधित तहसीलों के एम आर आर में भूमि अभिलेखों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा था और स्थापित उपकरण निष्क्रिय पाए गए थे, जैसा नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाया गया है।



चित्र-1: तहसील लैंसडाउन



चित्र-2: तहसील पौड़ी



चित्र-3: तहसील कोटद्वार

राज्य सरकार ने आपत्ति स्वीकारते हुए अवगत कराया कि (जुलाई 2023) आठ तहसीलों में एम आर आर स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं था, इन तहसीलों में वैकल्पिक स्थान की पहचान करने के पश्चात, कार्यदायी संस्था ने इस आधार पर कार्य शुरू करने से मना कर दिया कि एजेंसी चार वर्ष पहले उद्धृत/सहमत दरों पर काम निष्पादित नहीं कर सकती है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था को अंतिम भुगतान कर दिया गया है तथा विभाग द्वारा आमंत्रित निविदा, केवल 12 तहसीलों में कार्य पूर्ण होने के पश्चात निरस्त कर दी गयी है।

विभाग का उत्तर स्वतः स्पष्ट करता है कि तहसीलों में स्थान की उपलब्धता का आकलन किये बिना ही कार्य आवंटित कर दिया गया था। वैकल्पिक स्थान की पहचान के बावजूद, लेखापरीक्षा की तिथि तक, इन तहसीलों में एम आर आर स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। चूँकि अन्य तहसीलों में स्थापित उपकरण भी निष्क्रिय पाए गए, अतः विभागीय स्तर पर योजना की कमी के कारण एम आर आर स्थापित करने का पूरा उद्देश्य विफल हो गया। अतः अनुबंध के सापेक्ष, फर्म को किया गया ₹ 2.75 करोड़ का भुगतान आतिथि तक अलाभकारी रहा।

3.4.4.2 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करते हुए संचालन अग्रिम प्रदान करना

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (अध्याय 3 के प्रस्तर 53) में प्रावधान है कि ठेकेदारों को अग्रिम दिया जाना वर्जित है और भुगतान केवल किए गए कार्य के सापेक्ष ही किया जाना चाहिए। हालांकि, अपवाद के रूप में, अग्रिम धनराशि, धनराशि की कटौती या समायोजित होने तक, ब्याज के भुगतान के अधीन होगी। अग्रिम को

चुकाने या समायोजन को सुरक्षित करने के लिए बैंक गारंटी या अग्रिम का समायोजन लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी (फरवरी 2007) कार्यालय ज्ञापन⁵⁵ के अनुसार, संचालन अग्रिम पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाना चाहिए, जो निविदा धनराशि के 10 प्रतिशत तक सीमित है। हालांकि, यह पाया गया कि:-

- फर्म को उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में बैंक गारंटी के बिना सितम्बर 2017 में अल्मोड़ा और पौड़ी जिलों की 20 तहसीलों में एम आर आर तैयार करने के लिए ₹ 48.20 लाख (प्रति तहसील ₹ 2.41 लाख) का ब्याज मुक्त संचालन अग्रिम दिया गया था।
- उक्त अग्रिम में आठ तहसीलों में एम आर आर की स्थापना के लिए ₹ 19.28 लाख शामिल थे, जहां एम आर आर की स्थापना के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी। यह अग्रिम चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद जनवरी 2022 में वसूला/समायोजित किया गया। ₹ 19.28 लाख के उक्त अनियमित भुगतान पर, प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से ₹ 8.35 लाख⁵⁶ का साधारण ब्याज लगाया जाना अपेक्षित था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इन तहसीलों के लिए ठेकेदार को अग्रिम का अनियमित भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप चार वर्षों से अधिक समय तक धनराशि अवरुद्ध रही।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि (जुलाई 2023) निविदा सूचना में संचालन अग्रिम के सापेक्ष बैंक गारंटी प्रदान करने की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। उत्तर स्वयं पुष्टि करता है कि बोर्ड ने अधिप्राप्ति नियमों की अनदेखी की थी और ठेकेदार को ब्याज मुक्त संचालन अग्रिम प्रदान करके और इसके लिए बैंक गारंटी प्राप्त करने की शर्त को छोड़कर अनुचित लाभ प्रदान किया था।

3.4.5 शेष जिलों में एम आर आर की स्थापना

3.4.5.1 वास्तविक आवश्यकता का विश्लेषण किए बिना कार्य का निष्पादन

पायलट जिलों हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को तहसीलों में स्थान⁵⁷ की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया ताकि खरीदे जाने वाले उपकरणों को कार्यस्थल पर स्थापित किया जा सके। हालांकि, यह देखा गया कि:

⁵⁵ संख्या डी जी डब्ल्यू/एम ए एन/143 दिनांक 05 फरवरी 2007।

⁵⁶ 19.28 लाख × 10% × (52 महीने ÷ 12)।

⁵⁷ प्रत्येक तहसील में 700 वर्ग फुट।

राज्य की शेष 108 तहसीलों में एम आर आर की स्थापना के लिए ₹ 27.00 करोड़⁵⁸ की धनराशि स्वीकृत की गई (जून 2019)। उक्त धनराशि दो चरणों में अवमुक्त की गई। ₹ 16.20 करोड़⁵⁹ जनवरी 2020 में और शेष धनराशि जुलाई 2021 में अवमुक्त की गई।

हालाँकि, अधिकतम उपलब्ध स्थान⁶⁰ के आधार पर, एम आर आर की स्थापना के लिए 65 तहसीलों पर विचार किया गया था। शेष तहसीले, जो स्वयं के भवनों में संचालित नहीं हो रही थी, को उक्त उद्देश्य के लिए नहीं लिया गया। सिविल निर्माण कार्यों⁶¹ के निष्पादन के लिए, मार्च 2020 से मई 2020 की अवधि के दौरान सभी संबंधित जिलाधिकारियों को ₹ 1.48 करोड़⁶² की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

तहसील कार्यालयों में एम आर आर के सिविल कार्यों को जिलाधिकारी कार्यालय की देखरेख में किया जाना था। एम आर आर के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि उक्त उद्देश्य के लिए अवमुक्त की गई धनराशि का उपयोग कार्य की अवांछनीय मदों पर किया गया था।

<p>तहसील टिहरी, धनोल्टी (जिला टिहरी), बेतालघाट एवं कोश्या कुटोली (जिला नैनीताल) में संगमरमर के फर्श को हटाकर टाइलें बिछायी गयी।</p>	
<p>तहसील नैनीताल में एम आर आर को लकड़ी की फॉल्स सीलिंग से सजाया गया था जैसा कि तस्वीरों में दिखाया गया है। इसे इंगित किये जाने पर राज्य सरकार ने अपने उत्तर में अवगत कराया (जुलाई 2023) कि भारत सरकार द्वारा जारी डी आई एल आर एम पी योजना के दिशा-निर्देशों में एम आर आर की स्थापना से संबंधित कार्य हेतु कोई निर्धारित मानक नहीं दिये गये हैं।</p>	

⁵⁸ ₹ 25.00 लाख प्रति तहसील के आधार पर।

⁵⁹ स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत।

⁶⁰ 450 वर्ग फुट से कम।

⁶¹ उपलब्ध स्थान की मरम्मत कार्य, कमरों का विभाजन, विद्युत कार्य, पेंटिंग कार्य आदि।

⁶² 65 तहसीलों के लिए ₹ 2.27 लाख प्रति तहसील।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह अधिप्राप्ति के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, [उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 और 2017 अध्याय-1, पैरा 3 (13)] जिसमें उल्लेख किया गया है कि अधिप्राप्ति करने वाले प्राधिकारी को 'वित्तीय औचित्य के मानकों' का कड़ाई से ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी धन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि भविष्य के कार्यों के पूर्वानुमान में। बोर्ड ने तहसील कार्यालयों में कार्य आरंभ करने से पहले आवश्यकता का विश्लेषण नहीं किया और जिलाधिकारी स्तर पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण निगरानी की कमी थी। इस प्रकार, यह दर्शाता है कि वास्तविक आवश्यकता के बिना निधियों का उपयोग किया गया था।

3.4.5.2 उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु अनुचित योजना

बोर्ड ने अपने स्तर पर उपकरण⁶³ और अन्य आवश्यक सामग्री की केंद्रीयकृत अधिप्राप्ति करने का भी निर्णय लिया।

जाँच में पाया गया कि:

- तहसीलों में उपकरणों सहित एम आर आर स्थापित करने के लिए बोर्ड ने कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉम्पेक्टर, ए सी, यू पी एस इत्यादि की केंद्रीयकृत अधिप्राप्ति हेतु धनराशि ₹ 13.11 करोड़ (जी एस टी सहित) की ई निविदा की प्रक्रिया, नीचे दी गई शर्तों के साथ आरंभ की (दिसम्बर 2019):
 - पिछले तीन वर्षों से उत्तराखण्ड में स्थित केंद्र या राज्य सरकार के विभागों को आपूर्ति।
 - उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय एवं सेवा केन्द्र की स्थापना; और
 - तीन वर्ष से अधिक समय से उत्तराखण्ड से संबंधित टिन पंजीकरण होना।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लाभ से कीमतों में कमी होती है और फर्मों को उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं।

उक्त शर्तों ने प्रतिस्पर्धी निविदा के दायरे को सीमित कर दिया।

⁶³ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉम्पेक्टर, एयर कंडीशनर, यू पी एस आदि।

निर्धारित मानकों के अनुसार एम आर आर की स्थापना सुनिश्चित किए बिना और एम आर आर में सिविल कार्य प्रारम्भ होने से पहले ही, उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए दो चरणों⁶⁴ में, ₹ 13.11 करोड़ की धनराशि के क्रय आदेश जारी किए गए थे।

- बोर्ड को सूचित किया गया (मार्च 2020) कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत नैनीताल जिले की तहसील हल्द्वानी का पुनर्निर्माण किया जाना था और पुनर्निर्माण कार्य के दौरान एम आर आर स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया गया क्योंकि उक्त तहसील के लिए क्रय आदेश पहले ही जारी




चित्र-4: तहसील हल्द्वानी

- किया जा चुका था (मार्च 2020)। साथ ही यह पाया गया कि जून 2020 में तहसील हल्द्वानी को आपूर्ति किए गए ₹ 20.00 लाख के उपकरण सीलबंद बक्सों में निष्क्रिय पड़े थे।
- अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 65 तहसीलों को मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक उपकरण सीधे आपूर्ति किए गए थे। केवल 26 तहसीलों में उपकरणों की स्थापना पूरी हो पाई थी और शेष तहसीलों में एम आर आर में सिविल कार्य पूरा न होने के कारण स्थापना अधूरी थी। अप्रैल 2021 तक फर्म को ₹ 12.32 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण स्थापित उपकरण भी उपयोग में नहीं लिए गए थे। चूंकि उपकरण या तो डंप कर दिये गये थे या उपयोग में नहीं लाये गये थे। अतः उपकरण की वारंटी भी सामग्री की आपूर्ति की तिथि से एक से पाँच वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली थी।
- अनुबंध की शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को सहमत धनराशि का 90 प्रतिशत भुगतान उपकरण/ सामग्री की प्राप्ति पर और शेष 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान उनकी स्थापना के बाद किया जाना था। संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मार्च 2020 से अगस्त 2020 के दौरान सभी 65 तहसीलों में

⁶⁴ जनवरी 2020 में 40 तहसीलों के लिए पहला चरण और मार्च 2020 में 25 तहसीलों के लिए दूसरा चरण।

आपूर्ति के सापेक्ष, फर्म को 90 प्रतिशत भुगतान, आवश्यक गुणवत्ता मानकों की जांच किए बिना किया गया था। शेष 39 तहसीलों में उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित किये बिना ही आपूर्ति की गयी सामग्री के सापेक्ष शेष 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान भी फर्म को कर दिया गया (अप्रैल 2021)।

- 65 तहसीलों में एम आर आर में स्थापित किए जाने वाले उपकरण⁶⁵ पहुंचाने के लिए क्रय आदेश⁶⁶ जारी किए गए। उक्त उपकरण, आवश्यक कार्य के लिए एक⁶⁷ ऑपरेटर की स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष प्रति स्थान पांच के अनुपात में वितरित किए गए थे। उपलब्ध




कर्मचारियों के सापेक्ष खरीदे गए उपकरण/ सामग्री को चार्ट में देखा जा सकता है। तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कर्मचारियों की संख्या के संदर्भ में वास्तविक आवश्यकता का विश्लेषण किए बिना अधिप्राप्ति की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप निष्क्रियता के साथ-साथ व्यर्थ व्यय भी हुआ। इसके अतिरिक्त, वारंटी की जल्दी समाप्ति और नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले उपकरणों की अधिप्राप्ति न करने के कारण अग्रिम खरीद विभाग के लिए नुकसानदेह थी।

⁶⁵ 390 मीडियम बैक कुर्सियाँ और 65 चार सीटों वाले बैक-टू-बैक वर्कस्टेशन (क्यूबिकल डेस्क)। इसके अतिरिक्त, 325 डेस्कटॉप, बायोमेट्रिक डिवाइस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टैंडर्ड 2019 (यह उत्पाद माइक्रोसॉफ्ट ओपन लाइसेंसिंग प्रोग्राम का हिस्सा है और इस उत्पाद की खरीद एक स्थायी सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रदान करती है)।

⁶⁶ आदेश संख्या 4529/IV-41/2019-20 दिनांक 21 जनवरी 2020 एवं आदेश संख्या 5417/IV-41/2019-20 दिनांक 06 मार्च 2020।

⁶⁷ भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए 120 तहसीलों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की स्वीकृत संख्या 126 थी, जो प्रत्येक तहसील में लगभग एक कंप्यूटर ऑपरेटर पर पहुंचती है।

यह इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि (जुलाई 2023) कि उपकरणों की खरीद कंप्यूटर ऑपरेटरों/डेटा एंट्री ऑपरेटरों की तैनाती के संबंध में नहीं की गई है, बल्कि भविष्य के कार्यों की जरूरतों और आधारभूत संरचना के विकास को ध्यान में रखते हुए की गई है।



उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह अधिप्राप्ति के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, [उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 और 2017 अध्याय-1, पैरा 3 (13)] जिसमें उल्लेख किया गया है कि अधिप्राप्ति करने वाले प्राधिकारी को 'वित्तीय औचित्य के मानकों' का कड़ाई से ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी धन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि भविष्य के कार्यों के पूर्वानुमान में।

- एक हिमालयी राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य का 86.07 प्रतिशत भाग पहाड़ी क्षेत्र और 13.93 प्रतिशत भाग मैदानी है। यह पाया गया कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर एयर कंडीशनर की आवश्यकता का विश्लेषण किए बिना, बोर्ड ने 65 तहसीलों के एम आर आर के लिए 130 एयर कंडीशनर (ए सी) खरीदे थे (एक सर्वर रूम के लिए और एक परिचालन क्षेत्र के लिए) और प्रत्येक तहसील को आपूर्ति की थी।

उपर्युक्त तथ्य को चयनित तहसीलों में अधिकतम तापमान दर्शाने वाले चार्ट द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। चार्ट स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विशेष रूप से टिहरी, धनोली, लैंसडाउन और नैनीताल के लिए ए सी की आवश्यकता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत कम थी कि इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 23-26 डिग्री सेल्सियस के बीच था। इस प्रकार, विभाग ने ए सी की आवश्यकता का आकलन किए बिना उन क्षेत्रों के लिए भी ए सी खरीद लिए, जहाँ मौसम की स्थिति के कारण इसकी आवश्यकता नहीं थी।

3.4.5.3 निगरानी एवं समीक्षा तंत्र

कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं को स्वीकृति देने और देश में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना स्वीकृति और निगरानी समिति की स्थापना की जानी थी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य के साथ-साथ राज्य के प्रत्येक जिले में निगरानी एवं समीक्षा समिति का भी गठन किया जाना था।

यह पाया गया कि निगरानी और समीक्षा तंत्र निम्नलिखित कारणों से अप्रभावी था:

- i. जिला-स्तरीय निगरानी और समीक्षा समिति (डी एल एम आर सी) का गठन नहीं किया गया था और डी एल एम आर सी के गठन के लिए राज्य-स्तरीय निगरानी और समीक्षा समिति (एस एल एम आर सी) द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था।

- ii. डी एल एम आर सी के अस्तित्व में न होने के कारण निम्नलिखित अनियमितताएं एवं कमियाँ पायी गईं:

- ❖ जिला स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी नहीं की जा सकी और कार्यक्रम का प्रगति प्रतिवेदन, जिसे एस एल एम आर सी को त्रैमासिक प्रस्तुत किया

राजस्व बोर्ड को प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर/ उपायुक्त और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक डी एल एम आर सी का गठन करना आवश्यक था। समिति में भूमि राजस्व मामलों को देखने वाले ए डी एम/एस डी एम, जिला परिषद के सीईओ/ कार्यकारी अधिकारी, उप जिला रजिस्ट्रार, राज्य वन विभाग के प्रतिनिधि और एन आई सी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होने थे। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार अन्य तकनीकी अभिकरणों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना था। समिति से अपेक्षा की गयी थी कि त्रैमास में कम से कम एक बार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करें और राज्य स्तरीय निगरानी और समीक्षा समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

जाना था, प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

- ❖ कई तहसीलों में सिविल कार्य अपूर्ण थे और क्रय किये गए उपकरण समय पर स्थापित नहीं किये जा सके।
- ❖ यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप है, उपकरण प्रेषण करने से पहले निविदादाता के परिसर में उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया था।

- ❖ उपकरणों की आपूर्ति सीधे तहसीलों को की जानी थी और संबंधित तहसीलों में उपकरणों को अपने कब्जे में लेने के पश्चात, यह जिला प्रमुखों की जिम्मेदारी थी कि वे राजस्व बोर्ड को बतायें कि उपकरण आवश्यकताओं और खरीद विनिर्देशों के अनुरूप हैं। हालाँकि, सामग्री/उपकरण की गुणवत्ता और विशिष्टताओं की जाँच तहसील स्तर पर नहीं की जा सकी।

इस ओर इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22 नवंबर 2021 के अंतर्गत डी आई एल आर एम पी दिशानिर्देश-2018-19 के अनुसार, डी एल एम आर सी का गठन किया गया है और अनुपालन हेतु सभी जिलाधिकारियों को समय-समय पर निर्देश जारी किये गए हैं।

दिसम्बर 2021 से फरवरी 2022 के दौरान, चयनित जिलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि ऐसी कोई समिति अस्तित्व में नहीं थी, जो विभागीय स्तर पर योजना की कमी और कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का संकेतक है। निश्चित समयावधि पर क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम की अप्रभावी निगरानी एवं प्रदर्शन मापदंडों को प्राप्त करने में विफलता के लिए बोर्ड के साथ-साथ जिलाधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

3.4.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आधुनिक अभिलेख कक्ष स्थापित करने से संबंधित कार्य के निष्पादन से पूर्व विभाग द्वारा तहसील कार्यालयों में एम आर आर स्थापित करने के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी। वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना एम आर आर में सिविल कार्य निष्पादित किया गया जिसके परिणामस्वरूप कार्य की अनावश्यक वस्तुओं पर व्यय हुआ। संबंधित तहसीलों में एम आर आर स्थापित करने से पहले बोर्ड द्वारा उपकरण/सामग्री क्रय की गई थी, जिसके कारण कई तहसीलों में उक्त उपकरण अप्रयुक्त/डम्प पड़े रहे। जिन तहसील कार्यालयों में इसे स्थापित किया गया था, वहां भी कर्मचारियों की कमी के कारण उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.5 ₹ 2.84 करोड़ की जुर्माना राशि का गैर-अधिरोपण

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2005 (संशोधित नियम, अक्टूबर 2015) प्रावधानित करता है कि किसी क्षेत्र का अधिकृत प्रभारी अधिकारी (क्षेत्राधिकार के अंतर्गत) उन वाहनों पर नियत जुर्माना लगाएगा जो अवैध रूप से खनिजों का परिवहन कर रहे हैं तथा अवैध रूप से परिवहन किये गये खनिज की लागत जिम्मेदार परिवहनकर्ताओं से निर्धारित दरों पर वसूल करेगा।

इसके अतिरिक्त, उक्त नियमों में प्रावधान है कि जिला कलेक्टर, जहां भी आवश्यक हो, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की जांच करेगा, एवं अवैध रूप से खनन किये गये खनिज ले जाने वाले वाहन को जब्त करने और उस पर जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत है। इसके अतिरिक्त, जिला कलेक्टर उप जिलाधिकारी (एस डी एम) को नियंत्रित करता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में निजी भवन के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री चुनने की अनुमति देता है।

उप जिलाधिकारी (एस डी एम), लक्सर, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच (अक्टूबर/नवम्बर 2020), में पाया गया कि, एस डी एम लक्सर ने अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2016 की अवधि के दौरान खनिज के अवैध परिवहन तथा खनन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 334 वाहन पकड़े। एस डी एम लक्सर द्वारा उपर्युक्त वाहनों पर उत्तराखण्ड खनिज नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत खनिजों के अवैध परिवहन एवं खनन के लिए जुर्माना लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 334 वाहनों पर कम जुर्माना अधिरोपित करते हुये ₹ 2.84 करोड़ की धनराशि कम वसूली गयी थी, क्योंकि लागू की गयी दरें निर्धारित दरों से कम थी जैसा **परिशिष्ट-3.5.1** में ब्योरा दिया गया है।

सरकार ने (नवम्बर 2023) सूचित किया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का मुद्दा विचाराधीन है।

3.6 अवैध रूप से खनन/परिवहन किए गए उप खनिजों के उपयोग के कारण ₹ 252.26 करोड़ की धनराशि का जुर्माना लगाने में विफलता

वित्तीय नियमों⁶⁸ और सरकारी आदेशों⁶⁹ में यह परिकल्पना की गई है कि पूरी या आंशिक रूप से लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण सरकार को हुई वित्तीय हानि की वसूली सरकारी कर्मचारी से की जानी चाहिये।

⁶⁸ उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के प्रस्तर 81 के अनुसार, सरकारी देय का मूल्यांकन और वसूली नियमित रूप से और शीघ्रता से की जानी चाहिए: प्राप्तियों के किसी विशेष वर्ग के संबंध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी विशेष व्यवस्था के अधीन, यह विभागीय नियंत्रण अधिकारियों का कर्तव्य है कि सरकार को देय सभी राशियों का नियमित रूप से और तुरंत मूल्यांकन किया जाए, वसूली की जाए और सरकारी खाते में विधिवत जमा किया जाए। साथ ही, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V के भाग-2 का परिशिष्ट 25 एवं शा. संख्या 28015/39-4-95-57/95 दिनांक 4/9/1995 यह प्रावधान करता है कि यदि अधिकारियों की लापरवाही के कारण कोई हानि होती है तो वे सभी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

⁶⁹ शासनादेश संख्या 466/xxx(2)2005 दिनांक 05 मार्च 2005 में वर्णित है कि यदि किसी कर्मचारी के अनियमित कार्यों के कारण सरकार को वित्तीय हानि होती है, तो इसकी वसूली संबन्धित कार्मिक से की जानी चाहिए।

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली 2005 सपठित उत्तराखण्ड खनन नीति 2020, जिला अधिकारी (जि अ) को अन्य कथनों के साथ-साथ अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की जांच करने, सरकार द्वारा प्रायोजित निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों को सड़क निर्माण के दौरान प्राप्त मलबे का उपयोग करने का लाइसेंस देने, उप खनिज के खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस देने, अवैध खनन सामग्री ले जाने वाले वाहन को जब्त करने और उस पर जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निर्देश दिया है कि जिला अधिकारियों को अवैध खनन के मामले में अनुकरणीय जुर्माना लगाना होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा यह प्रतिवेदित⁷⁰ किया गया (अगस्त 2018) कि जिम्मेदार प्राधिकारियों ने सरकारी परियोजनाओं में ठेकेदारों द्वारा अवैध उप खनिज के उपयोग का उचित संज्ञान नहीं लिया और इस प्रकार ₹ 237.10 करोड़ का जुर्माना लगाने में विफल रहे। जिसकी प्रतिक्रिया में, खनन विभाग द्वारा अवगत कराया गया (अगस्त 2019) कि कार्यदायी संस्था बिना फॉर्म एम एम-11 के खनिजों के परिवहन के मामलों को दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी/ उप जिलाधिकारी/ जिला खनन अधिकारी को प्रेषित कर सकती हैं। पुनः लेखापरीक्षा ने सरकारी एजेंसियों द्वारा ठेकेदारों पर ₹ 104.08 करोड़ का जुर्माना न लगाने के संबंध में प्रतिवेदित किया था⁷¹ (फरवरी 2022)।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई एफ एम एस) आधारित डाटा संचालित लेखापरीक्षा (जुलाई-अगस्त 2022) के दौरान पाया गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान, सरकारी विभागों (पी डब्ल्यू डी, आर डब्ल्यू डी, सिंचाई आदि) द्वारा ठेकेदारों को भुगतान करते समय फॉर्म एमएम-11 या फॉर्म जे (परिशिष्ट-3.6.1) के बिना, निर्माण स्थलों पर लाए गए उप खनिजों का उपयोग करने के लिए ठेकेदारों के बिलों से ₹ 63.06 करोड़ की रॉयल्टी की कटौती की गई। राज्य के सभी 13 जिलों के जिला अधिकारी और अन्य जिम्मेदार प्राधिकारी संयुक्त रूप से सरकारी परियोजनाओं में ठेकेदारों द्वारा अवैध उप-खनिजों के उपयोग के लिए निर्धारित अर्थदण्ड अर्थात् रॉयल्टी का पांच गुना लगाने में विफल रहे। चूंकि ठेकेदारों के बिलों से केवल एक

⁷⁰ मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का प्रस्तर 2.2 ।

⁷¹ वर्ष 2022 के प्रतिवेदन संख्या 3 का प्रस्तर 3.1.7 ।

गुना रॉयल्टी की कटौती की गई, इसलिए न्यूनतम ₹ 252.26 करोड़⁷² के राजस्व की हानि हुई।

सरकार ने सूचित किया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का मुद्दा विचाराधीन हैं (नवम्बर 2023)।

इस प्रकार, खनन नियमों और विनिमयों, बजट नियमावली, वित्तीय पुस्तिका और सरकारी आदेशों में परिकल्पित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य करने के लिए जिलाधिकारियों/अन्य अधिकारियों की लापरवाही के कारण, ₹ 252.26 करोड़ की धनराशि का जुर्माना एकत्र नहीं किया जा सका, जिसके लिए संबन्धित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

राज्य कर विभाग

3.7 जी एस टी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3.7.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) की शुरुआत ने केंद्र और राज्यों द्वारा उद्ग्रहीत और एकत्र किए गए कई करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। जी एस टी, जो 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाने वाला एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है। केंद्र और राज्य एक समान कर आधार पर एक साथ जी एस टी लगाते हैं। केंद्रीय जी एस टी (सी जी एस टी) और राज्य जी एस टी (यू जी एस टी)/ केंद्र शासित प्रदेश जी एस टी (यू टी जी एस टी) प्रान्तीय आपूर्ति पर लगाया जाता है, और एकीकृत जी एस टी (आई जी एस टी) अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है।

उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (यू जी एस टी) अधिनियम 2017 की धारा 59 जी एस टी को एक स्व-मूल्यांकन-आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत कर देयता की गणना करने, संगणित कर देयता का निर्वहन करने और विवरणी दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है। जी एस टी विवरणी को सामान्य जी एस टी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर विलंब शुल्क का भुगतान किया जाएगा। भले ही व्यवसाय का किसी विशेष कर अवधि के दौरान कोई कर दायित्व नहीं रहा हो, उसे अनिवार्य रूप से शून्य

⁷² ₹ 3,15,31,90,630 - ₹ 63,06,38,126 = ₹ 2,52,25,52,504 ।

विवरणी दाखिल करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 में कहा गया है कि उचित प्राधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विवरणों की जांच कर सकता है, करदाताओं को विसंगतियां सूचित कर सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है।

इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र के महत्व और राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के निरीक्षण तंत्र को ध्यान में रखते हुए यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) शुरू की गई थी।

3.7.2 संगठनात्मक व्यवस्था

राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य कर विभाग के समग्र प्रभारी हैं। विभाग राज्य में वस्तु एवं सेवा कर के साथ-साथ उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम का प्रशासन करता है, जो संभागीय स्तर और मुख्यालयों पर राज्य कर के अपर आयुक्त, क्षेत्र स्तर पर संयुक्त आयुक्त, राज्य कर के उपायुक्त, राज्य कर के सहायक आयुक्त और राज्य कर आयुक्त एवं अन्य संबद्ध कर्मचारीगण की सहायता से राज्य कर आयुक्त के समग्र नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन है।

3.7.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जी एस टी व्यवस्था के अंतर्गत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने के लिए उन्मुख थी। 'जी एस टी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' का लेखा-परीक्षण निम्नलिखित लेखा-परीक्षण उद्देश्यों के साथ किया गया था ताकि इन पर आश्वासन प्राप्त किया जा सके:

- i. क्या नियम और प्रक्रियाएं कर अनुपालन पर एक प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गयी थी और करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और
- ii. क्या सेक्टरों की जांच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

3.7.4 लेखापरीक्षा पद्धति एवं आच्छादन

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) मुख्य रूप से डाटा विश्लेषण के आधार पर सम्पादित किया गया था, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से संबंधित जोखिम वाले क्षेत्रों और लाल चेतावनी (यह एक चेतावनी है जो किसी स्थिति या व्यवहार के बारे में सावधान करती है) को उजागर

किया गया था। डाटा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता का निर्वहन, पंजीकरण और विवरणी दाखिल के क्षेत्रों में 14 विचलनों के एक समूह की पहचान की गई। इस तरह के विचलनों का एक सीमित लेखापरीक्षा⁷³ के माध्यम से अनुपालन किया गया, जिसके माध्यम से इन विचलनों को संबंधित राज्य के विभागीय क्षेत्र संरचनाओं (सेक्टर) को सूचित किया गया और फील्ड दौरा किए बिना पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्राधिकार क्षेत्र संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाया गया था। सीमित लेखापरीक्षा (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा) को एक विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा पूरक किया गया था जिसमें क्षेत्राधिकार क्षेत्र संरचनाओं के साथ उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए फील्ड दौरा शामिल था। विवरणी और संबंधित संलग्नक और सूचनाओं को जी एस टी एन पोर्टल एप्लिकेशन-राज्य कर विभाग की बैक-एंड प्रणाली अर्थात् पश्च भाग प्रणाली (बोवेब) के माध्यम से प्राप्त किया गया था ताकि करदाताओं से संबंधित डाटा/दस्तावेजों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणी और अन्य विभागीय कार्यों) की जांच की जा सके। विस्तृत लेखापरीक्षा में करदाताओं से संबंधित क्षेत्र संरचनाओं के माध्यम से बिल जैसे प्रासंगिक बारीक अभिलेखों तक पहुंच भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त, चयनित क्षेत्रों में विवरणी की जांच जैसे विभागीय संरचना की अनुपालन कार्यों की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा विवरणियों की जांच और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा में जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि शामिल थी, जबकि चयनित सेक्टरों के कार्यों की लेखापरीक्षा में वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि शामिल थी।

इस एस एस सी ए का प्रवेश गोष्ठी 13 जनवरी 2022 को अपर आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के साथ आयोजित किया गया था और जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा आच्छादन और पद्धति पर चर्चा की गई थी। बहिर्गमन गोष्ठी 16 जून 2023 को अपर आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के साथ आयोजित की गयी थी जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान विभाग द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मसौदा रिपोर्ट के लिखित उत्तरों को संबंधित प्रस्तरों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

3.7.5 लेखापरीक्षा नमूना

योजना के साथ ही मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए भी एक डाटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस एस एस सी ए के नमूने में

⁷³ सीमित लेखापरीक्षा में करदाता के बारीक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, खाता बही, बिल, समझौते आदि की मांग करना शामिल नहीं था।

सीमित लेखापरीक्षा के लिए डाटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक समूह शामिल था जिसमें फील्ड दौरा शामिल नहीं था; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना शामिल था जिसमें फील्ड दौरा और विभागीय परिसरों में करदाताओं के अभिलेखों की जांच शामिल थी; और सेक्टरों के अनुपालन कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए सेक्टरों का एक नमूना शामिल था।

इस एस एस सी ए के तीन अलग-अलग भाग निम्नलिखित थे:

(i) भाग I- सेक्टरों का लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा प्रकरणों के एक से अधिक चयनित नमूनों पर अधिकार क्षेत्र वाले दस सेक्टरों को उनके निगरानी कार्यों के मूल्यांकन के लिए सेक्टरों के नमूने के रूप में माना गया।

(ii) भाग II- सीमित लेखापरीक्षा

सीमित लेखापरीक्षा के लिए नमूने का चयन विभाग की जांच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डाटा विश्लेषण के माध्यम से विवरणी के मध्य नियमों और विसंगतियों से उच्च-मूल्य या उच्च-जोखिम विचलन की पहचान करके किया गया था। तदनुसार, इस एस एस सी ए के अंतर्गत सीमित लेखापरीक्षा के लिए 376 करदाताओं का चयन किया गया था।

(iii) भाग III- विस्तृत लेखापरीक्षा

यह करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के लिए सेक्टरों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेख तक पहुँच करके संचालित किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के नमूने का चयन अतिरिक्त आई टी सी, (किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर भुगतान की गई जी एस टी धनराशि) कर देयता की विसंगति कुल आवर्त के लिए आनुपातिक छूट वाले आवर्त और अनियमित आई टी सी प्रत्यावर्तन जैसे जोखिम मापदंडों के आधार पर किया गया था। 36 सेक्टरों⁷⁴ से

⁷⁴ सेक्टर-1 अल्मोड़ा, सेक्टर-1,2,3,4,6,7 एवं 8 देहरादून, सेक्टर-2 हल्द्वानी, सेक्टर-1,2,3,4,5 एवं 6 हरिद्वार, सेक्टर-1 एवं 2 काशीपुर, सेक्टर-1 एवं 2 खटीमा, किच्छा, सेक्टर-1 कोटद्वार, सेक्टर-1 पिथौरागढ़, रामनगर, सेक्टर-1, 2 एवं 3 ऋषिकेश, सेक्टर-1,2,3 एवं 4 रुड़की, सेक्टर-1,2 एवं 3 रुद्रपुर, टनकपुर, सेक्टर-1 एवं 2 विकासनगर।

संबंधित 99 करदाताओं का 'विस्तृत लेखापरीक्षा' के लिए चयन किया गया जिसमें बड़े, मध्यम और छोटे स्तर⁷⁵ के करदाता शामिल थे।

इस एस एस सी ए के लिए चुने गए सेक्टरों की लेखापरीक्षा, सीमित लेखापरीक्षा और विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए नमूने का ब्योरा **परिशिष्ट-3.7.1** में दर्शाया गया है।

3.7.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में यू जी एस टी अधिनियम, आई जी एस टी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान तालिका- 3.7.1 में दिए गए हैं:

तालिका- 3.7.1: मानदंडों का स्रोत

क्र. सं.	विषय	अधिनियम और नियम
1	करारोपण और संग्रह	यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 9
2	विपरीत कर संरचना	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 9 (3) और आई जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 5 (3)
3	आई टी सी का उपयोग और उपभोग	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 16 से 21; यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 36 से 45
4	पंजीकरण	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 22 से 30; यू जी एस टी नियम के नियम 8 से 26
5	आपूर्ति	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 7 और 8। यू जी एस टी अधिनियम की अनुसूची I, II और III
6	आपूर्ति का स्थान	आई जी एस टी अधिनियम की धारा 10 से 13
7	आपूर्ति का समय	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 12 से 14
8	आपूर्ति का मूल्य	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 15; यू जी एस टी नियमों के नियम 27 से 34
9	कर का भुगतान	यू जी एस टी अधिनियम के अध्याय X की धारा 49 से 53; यू जी एस टी नियमों के अध्याय IX के अंतर्गत नियम 85 से 88ए
10	विवरणी दाखिल करना	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 37 से 47; यू जी एस टी नियमों के नियम 59 से 68 और 80 से 81। यू जी एस टी नियमों का भाग बी विवरणी का प्रारूप निर्धारित करता है
11	शून्य-श्रेणी की आपूर्ति	आई जी एस टी अधिनियम की धारा 16
12	कर निर्धारण और लेखापरीक्षा कार्य	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 61, 62, 65 12 एवं 66; यू जी एस टी नियमों के नियम 99 से 102

⁷⁵ बड़े करदाता-60, मध्यम करदाता-30 और छोटे करदाता-09 ।

इसके अतिरिक्त, सी बी आई सी⁷⁶/राज्य कर विभाग द्वारा विवरणी दाखिल करने, विभिन्न विवरणी दाखिल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करने, विवरणी दाखिल करने के लिए नियत तारीखों को विस्तारित करने, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों, कर के भुगतान, आई टी सी के लाभ का उपभोग एवं उपयोग करने, विवरणी की जांच और कर अनुपालन की निगरानी और मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी), जिसमें विवरणी दाखिल करने, विवरणी की जांच, पंजीयन का निरस्तीकरण और विश्लेषण एवं जोखिम प्रबन्धन महानिदेशालय (डी जी ए आर एम) तथा अन्य कर प्राधिकारियों की रिपोर्ट के सत्यापन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, से संबंधित जारी की गई अधिसूचनाएं और परिपत्र भी लेखापरीक्षा मानदंड में शामिल हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- विवरणी दाखिल करने पर निगरानी - सेक्टरों की लेखापरीक्षा
- सीमित लेखापरीक्षा
- विस्तृत लेखापरीक्षा

3.7.7 विवरणी दाखिल करने पर निगरानी - सेक्टरों की लेखापरीक्षा

यू जी एस टी नियम के नियम 59 (1) के अनुसार, आई जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को धारा 37 के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति का ब्योरा प्रपत्र जी एस टी आर-1 में सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

यू जी एस टी नियमों के नियम 61 (1) के अनुसार, आई जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति या एक इनपुट सेवा वितरक या एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति या, जैसा भी प्रकरण हो, धारा 52 के अंतर्गत प्रपत्र जी एस टी आर-3 में धारा 39 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट

⁷⁶ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड।

विवरणी सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा।

यू जी एस टी नियम के नियम 61(5) के अनुसार, जहां धारा 37 के अंतर्गत प्रपत्र जी एस टी आर-1 में और धारा 38 के अंतर्गत प्रपत्र जी एस टी आर-2 में विवरण प्रस्तुत करने का समय विस्तारित कर दिया गया है और इस तरह की परिस्थितियां आवश्यक हैं, वहाँ आयुक्त अधिसूचना द्वारा उन तरीकों और शर्तों को निर्दिष्ट कर सकता है जिनके अधीन विवरणी को प्रपत्र जी एस टी आर-3 बी में सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

3.7.7.1 विवरणी की जांच की धीमी गति

यू जी एस टी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा दाखिल किए गये विभिन्न विवरणियों की जांच उचित अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए ताकि विवरणियों की शुद्धता को सत्यापित किया जा सके और विवरणियों में किसी भी विसंगति या विसंगतियों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए नामित उचित अधिकारी सेक्टर अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त, यू जी एस टी नियम, 2017 के नियम 99 में कहा गया है कि विसंगतियाँ, यदि कोई पायी जाती है, तो करदाता को उसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए सूचित किया जाएगा।

विभाग द्वारा परिपत्र पत्र सं. 925/आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड/मुख्यालय/ जी एस टी अनुभाग/2022-23 (मई 2022) ने एकरूपता सुनिश्चित करने और अधिनियम की धारा 61 के अनुसार जांच की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत करने की दृष्टि से विवरणी की जांच पर विस्तृत दिशानिर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) जारी की गई। एस ओ पी के अनुसार, संयुक्त आयुक्त (कार्यकारी) जोखिम प्रबंधन और कर विश्लेषण द्वारा पहचाने गए प्रकरणों को जांच के लिए संबंधित उचित अधिकारियों को प्रेषित करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 10 सेक्टरों में आने वाले 2017-18 से 2020-21 से संबंधित प्रकरणों की कुल संख्या (79,057) को देखते हुए, विभाग उक्त अवधि के दौरान केवल 364 (0.46 प्रतिशत) प्रकरणों की जांच कर सका (परिशिष्ट-3.7.2)। लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त जांच के लिए प्रकरणों की सूची एस ओ पी जारी होने की तिथि से छः महीने के अंतराल के बाद भी उचित अधिकारी को

उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके कारण, वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रकरणों की जांच इस तथ्य के होने पर भी नहीं की गई थी कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी करदाताओं द्वारा 07 फरवरी 2020 तक दाखिल की गई थी और ये प्रकरण सितम्बर 2023 में कालबाधित हो जायेंगी। यह विवरणी की जांच सुनिश्चित करने में विभाग की लापरवाही का संकेत देता है।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किया गया (अगस्त-दिसम्बर 2022), विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

3.7.7.2 कर अधिकारियों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा में विलम्ब/आंतरिक लेखापरीक्षा आरंभ नहीं करना

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी, एक सामान्य या एक विशिष्ट आदेश के माध्यम से, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का लेखापरीक्षा ऐसी अवधि के लिए, ऐसी आवृत्ति पर और उस तरीके से कर सकता है जो निर्धारित किया जाए। यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) "लेखापरीक्षा" को इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य कानून के अधीन पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए गए या प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, विवरणों और अन्य दस्तावेजों की जांच के रूप में परिभाषित करती है। जो घोषित कारोबार भुगतान किए गए करों, दावा किए गए धनवापसी और प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की शुद्धता को सत्यापित करने और इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ उसके अनुपालन का आकलन करने के लिए लागू है।

विभाग ने परिपत्र पत्र सं. 925/आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड/ मुख्यालय/ जी एस टी अनुभाग/2022-23 दिनांक 20 मई 2022 द्वारा एकरूपता सुनिश्चित करने और अधिनियम की धारा 65 और धारा 66 के अनुसार लेखापरीक्षा की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत करने की दृष्टि से विस्तृत दिशा-निर्देश/एस ओ पी जारी की।

जी एस टी के लिए 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा का ब्योरा तालिका-3.7.2 में दिया गया है:

तालिका-3.7.2: वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान संपादित लेखापरीक्षा	करदाताओं की कुल संख्या	लेखापरीक्षा के लिए चुने गए करदाताओं की संख्या (प्रतिशत में)	संपादित की गई लेखापरीक्षा की वास्तविक संख्या (दिसम्बर 2022 तक)	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें कमियां पाई गईं	कमियों में अंतर्ग्रस्त कुल राशि	कुल वसूली
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2019-20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2020-21	312	1,02,280	0.31	272	272	340.02	20.46

स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपर्युक्त तथ्यों से संकेत मिलता है कि एस ओ पी जारी करने में विलंब के कारण, विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखापरीक्षा संपादित की। यह पाया गया है कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के 1,02,280 प्रकरणों में से 312 (0.31 प्रतिशत) प्रकरणों की आंतरिक लेखापरीक्षा वर्ष 2020-21 में संपादित की। विभाग सभी 272 लेखापरीक्षित प्रकरणों में कमियों का पता लगाता है, अन्य प्रकरणों यदि आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए जाते तो उनमें भी कमियों मिलने की उच्च संभावना को दर्शाता है। इसके होने पर भी विभाग ने अपने लेखापरीक्षा चयन में वृद्धि नहीं की जो विभाग के पक्ष पर लापरवाही का संकेत देता है। विभाग को शेष लेखापरीक्षा संपादित करने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ताओं के खिलाफ समय पर कार्रवाई आरंभ की जा सके और वसूली हो सके ताकि राजस्व रिसाव को रोका जा सके क्योंकि स्व-मूल्यांकन कर व्यवस्था के युग में, आंतरिक लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा अनुपालन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य साधनों में से एक है।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने (मार्च 2023), पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

3.7.7.3 अन्य जी एस टी करधान प्राधिकरणों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर कार्रवाई का अभाव

सी बी आई सी (बोर्ड) ने का ज़ा एफ सं ए-11013/19/2017-एड. IV दिनांक 11 जुलाई 2017 द्वारा विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डी जी ए आर एम) का गठन जी एस टी डाटा का अध्ययन, व्याख्या और विश्लेषण

करने और बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के साथ परिणामों को साझा करने के उद्देश्य से किया। लेखापरीक्षा में डी जी ए आर एम और अन्य कर प्राधिकरणों से प्राप्त प्रकरणों के बारे में जानकारी मांगी गई।

चयनित 10 सेक्टरों की लेखापरीक्षा के दौरान, तीन सेक्टरों ने सूचित किया कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ, जबकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन सेक्टरों में अन्य जी एस टी कराधान प्राधिकरणों से उक्त अवधि के दौरान नौ प्रकरण प्राप्त हुए थे। एक सेक्टर ने उक्त अवधि के दौरान प्राप्त एक प्रकरण की सूचना दी थी, लेकिन लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस सेक्टर को छः प्रकरण प्राप्त हुए थे। शेष छः सेक्टरों में कोई विसंगति नहीं देखी गई।
(परिशिष्ट-3.7.3)

लेखापरीक्षा (अगस्त-दिसम्बर 2022) में इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर (मार्च 2024) अप्राप्त था।

3.7.7.4 विवरणी दाखिल न करने वालों की कर देयता का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन का संचालन न करना

यू जी एस टी अधिनियम की धारा 46, सपठित यू जी एस टी नियम के नियम 68 में प्रावधान है कि यदि करदाता नियत तिथि के भीतर विवरणी दाखिल करने में विफल रहा था, तो प्रपत्र जी एस टी आर-3ए में एक नोटिस जारी करना निर्धारित है, जिसके पंद्रह दिनों के भीतर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यदि करदाता इस प्रकार के नोटिस के बाद भी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यक्ति के कर दायित्व का आकलन करना प्रारम्भ कर सकता है और यू जी एस टी अधिनियम की धारा 62 सपठित यू जी एस टी नियम के नियम 100 के अनुसार प्रपत्र ए एस एम टी-13 में कर निर्धारण आदेश जारी कर सकता है।

चयनित 10 सेक्टरों में, 2017-18 से 2020-21 के दौरान 12,804 गैर-दाखिलकर्ता थे, जिनमें से केवल 2,192 (17.12 प्रतिशत) प्रकरणों में विभाग ने जी एस टी आर-3ए नोटिस जारी किया। जी एस टी आर-3ए नोटिस के उत्तर में, 855 (39.01 प्रतिशत) गैर-दाखिलकर्ताओं ने अपनी विवरणी दाखिल की। विभाग ने शेष 1,337 प्रकरणों में से

किसी में भी कर निर्धारण नहीं किया, जहां गैर-दाखिलकर्ताओं ने जी एस टी आर-3ए नोटिस का उत्तर नहीं दिया था। (परिशिष्ट- 3.7.4)।

लेखापरीक्षा (अगस्त-दिसम्बर 2022) में यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बहिर्गमन गोष्ठी (जून 2023) में उत्तर दिया कि यू जी एस टी अधिनियम की धारा 125 के अन्तर्गत अर्थदण्ड नोटिस गैर-दाखिलकर्ताओं के खिलाफ अधिक प्रभावी है। इसलिए, विभाग इसके लिए धारा 125 के अन्तर्गत नोटिस भेज रहा है, लेकिन इसका कोई ब्योरा विभाग ने नहीं दिया है।

विभाग का उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि, सबसे पहले, लेखापरीक्षा टिप्पणी 83 प्रतिशत गैर-दाखिलकर्ताओं को जी एस टी आर 3ए नोटिस जारी नहीं करने में विभाग की निष्क्रियता से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 61 प्रतिशत प्रकरणों में भी सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन नहीं किया, जहां करदाताओं ने यू जी एस टी अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत अपेक्षित जी एस टी आर-3ए नोटिसों का उत्तर नहीं दिया था।

3.7.7.5 पंजीकरण रद्द होने की स्थिति में अंतिम विवरणी (जी एस टी आर-10) प्रस्तुत न करना

यू जी एस टी अधिनियम की धारा 29 पंजीकरण को रद्द करने के लिए शर्तों को निर्धारित करती है, जिसमें उन करदाताओं के पंजीकरण को स्वतः रद्द करना शामिल है जिन्होंने लगातार छः महीने (समाधान करदाताओं के लिए लगातार तीन कर अवधि) से विवरणी दाखिल नहीं किया है। यू जी एस टी अधिनियम की धारा 45 सपठित यू जी एस टी नियम के नियम 81 में निर्दिष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था, उसे रद्द करने की तिथि या रद्द करने के आदेश की तिथि के तीन महीने के अन्दर (जो भी बाद में हो) प्रपत्र जी एस टी आर-10 में अंतिम विवरणी दाखिल करनी चाहिए।

चयनित 10 सेक्टरों के लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2017-21 के दौरान उचित अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार विवरणी दाखिल न करने वालों के 7,143 प्रकरणों में पंजीकरण रद्द करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जबकि करदाताओं के अनुरोध पर 1,994 पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। यह पाया गया कि रद्द किए गए पंजीकरण के कुल 9,137 प्रकरणों में से केवल

194 (2.12 प्रतिशत) करदाताओं ने जी एस टी आर-10 दाखिल किया था (परिशिष्ट-3.7.5)।

जी एस टी आर-10 की गैर-दाखिल का अर्थ है कि अन्तिम स्टॉक, संयंत्र और मशीनरी आदि जिस पर कर आरोपणीय है, का गैर-कर निर्धारण।

लेखापरीक्षा (अगस्त-दिसम्बर 2022) में यह अवगत कराए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि ऐसे जी एस टी आर-10 दाखिल न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

3.7.8 जी एस टी विवरणियों में विसंगति -सीमित लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक के जी एस टी विवरणी के आंकड़ों का विश्लेषण किया- जैसा कि जी एस टी एन द्वारा उपलब्ध कराया गया है। करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जी एस टी विवरणियों के मध्य नियम-आधारित विचलन एवं तार्किक विसंगतियों की पहचान 14 मापदण्डों के एक समूह पर की गई थी, जिन्हें मुख्य रूप से दो क्षेत्रों- आई टी सी एवं कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तेरह निर्धारित जी एस टी विवरणियों⁷⁷ में से, सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित मूलभूत विवरणियों पर विचार किया गया ताकि जी एस टी विवरणियों/ आंकड़ों के बीच विचलन, विसंगतियों और विसंगति की पहचान की जा सके:

- **जी एस टी आर-1:** वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की बाह्य आपूर्ति का विवरण होता है।
- **जी एस टी आर-3 बी:** अधिनियम की धारा 39 (1) में निर्दिष्ट को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा दाखिल कर के भुगतान के साथ बाह्य आपूर्ति और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मासिक सारांश विवरणी है। यह वह विवरणी है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट

⁷⁷ जी एस टी आर-1, जी एस टी आर-3बी, जी एस टी आर-4 (समाधान योजना के अन्तर्गत करदाता), जी एस टी आर-5 (अनिवासी करयोग्य व्यक्ति), जी एस टी आर-5ए (अनिवासी ओ आई डी ए आर सेवा प्रदाता), जी एस टी आर-6 (इनपुट सेवा वितरक), जी एस टी आर-7 (टी डी एस कटौतीकर्ता), जी एस टी आर-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर), जी एस टी आर-9 (वार्षिक विवरणी), जी एस टी आर-10 (अंतिम विवरणी), जी एस टी आर-11 (यू आई एन रखने वाला व्यक्ति और धनवापसी का दावा करने वाला व्यक्ति), सी एम पी-08, और आई टी सी-04 (फुटकर कार्य-कर्मचारी को भेजे गए/प्राप्त माल के विवरण के बारे में प्रधान/फुटकर कार्य-कर्मचारी द्वारा दाखिल किया जाने वाला विवरण)।

लेजर (इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो पंजीकृत करदाता द्वारा दावा किये गये सभी वैध आई टी सी को दर्शाता है) में क्रेडिट और डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (करदाता द्वारा नगद या बैंक के माध्यम से किये गये सभी जी एस टी भुगतान को दर्शाया जाता है) में डेबिट को स्वतः भर देता है।

- **जी एस टी आर-6:** इनपुट सेवा वितरकों हेतु मासिक विवरणी जो उनके द्वारा वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट और आंतरिक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।
- **जी एस टी आर-8:** ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल किया जाने वाला मासिक विवरणी, जिन्हें अक्टूबर 2018 में शुरू किए गए जी एस टी के अंतर्गत टी सी एस (स्रोत पर एकत्र कर) में कटौती करने की आवश्यकता होती है।
- **जी एस टी आर-9:** इनपुट सेवा वितरक (आई एस डी), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, आकस्मिक करयोग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता को छोड़कर सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल किया जाता है। इस विवरणी में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सी जी एस टी, एस जी एस टी और आई जी एस टी) के अन्तर्गत की गई तथा प्राप्त की गई सभी आपूर्ति का विवरण, उसके आवर्त तथा लेखापरीक्षा का विवरण शामिल होता है।
- **जी एस टी आर-9 सी:** किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ दो करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा प्रपत्र है। यह मूल रूप से जी एस टी आर-9 में दाखिल वार्षिक विवरणी और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच एक समाधान विवरण है।
- **जी एस टी आर-2 ए:** यह प्राप्तकर्ता के लिए आंतरिक आपूर्ति का एक प्रणाली-जनित विवरण है। इसमें आपूर्तिकर्ताओं के अपने प्रपत्र जी एस टी आर-1/5 में घोषित सभी बी2बी लेनदेन, जी एस टी आर 6 से आई एस डी विवरण, दूसरे पक्ष द्वारा जी एस टी आर.-7 और जी एस टी आर-8 से क्रमशः विवरण और आयात पत्र पर विदेशों से वस्तुओं के आयात का विवरण शामिल है, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आई सी ई जी ए टी ई पोर्टल से प्राप्त हुआ है।

चौदह चिन्हित मापदंडों और विचलन/विसंगतियों (सीमित लेखापरीक्षा के लिए नमूना) के आधार पर 2017-18 अवधि के लिए उत्तराखण्ड राज्य से संबंधित आंकड़ा विश्लेषण का सारांश तालिका-3.7.3 में दिया गया है:

तालिका-3.7.3: उत्तराखण्ड राज्य आंकड़ा विश्लेषण का सारांश

क्र. सं.	मापदण्ड	प्रयुक्त कलनविधि (कार्यप्रणाली)	विसंगतियों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	जी एस टी आर 2ए और जी एस टी आर 3बी के मध्य आई टी सी की विसंगति	जी एस टी आर-2ए के अनुसार उपलब्ध आई टी सी की तुलना इसके सभी संशोधनों के साथ जी एस टी आर-3बी {तालिका 4ए (5)} (घरेलू आपूर्ति पर उपाजित) में प्राप्त आई टी सी के साथ की गई थी, जो तालिका 4 (बी) (2) में व्युत्क्रम सम्मिलित है, लेकिन इसमें जी एस टी. आर 9 की तालिका 8 (सी) से बाद के वर्ष में प्राप्त आई टी सी भी शामिल है।	50	99.80
2	आर सी एम के अन्तर्गत लाभ लिये गये आई टी सी की तुलना जी एस टी आर 3बी/जी एस टी आर 9 में कर भुगतान से करना	जी एस टी आर 9 तालिका 4जी में घोषित आर सी एम देयता की तुलना जी एस टी आर-9 की तालिका (6सी + 6डी+6एफ) में प्राप्त आई टी सी से की गई थी। जिन प्रकरणों में जी एस टी आर 9 उपलब्ध नहीं था, उनमें जी एस टी आर 3बी तालिका (3.1डी) में आर सी एम देयता की तुलना जी एस टी आर-3बी तालिका {4ए(2)+4ए(3)} से की गई थी।	19	1.55
3	आर सी एम के अन्तर्गत कर के कम भुगतान की तुलना जी एस टी आर 3बी/जी एस टी आर 9 में लाभ लिये गये आई टी सी से करना	जी एस टी आर 3बी तालिका 6.1(बी) में आर सी एम भुगतान की तुलना जी एस टी आर-9 तालिका (6सी+6डी+6एफ) में प्राप्त आई टी सी से की गई थी। जिन प्रकरणों में जी एस टी आर-9 उपलब्ध नहीं था, उन प्रकरणों में जांच जी एस टी आर 3बी में तालिका 6.1(बी) आर सी एम भुगतान के विरुद्ध तालिका {4ए(2)+4ए(3)} में प्राप्त आई टी सी तक सीमित था।	18	7.47
4	आई एस डी क्रेडिट का गलत लाभ	प्राप्तकर्ताओं के जी एस टी आर-9 तालिका 6जी या जी एस टी आर 3बी तालिका 4ए(4) में प्राप्त आई एस डी. की तुलना वितरक के जी एस टी आर 6 में हस्तांतरित आई टी सी से की गई थी।	25	15.50
5	गलत आई एस डी क्रेडिट का विलोमित	जी एस टी आर 9 तालिका 7बी, संबंधित जी एस टी आई एन के आई एस डी की जी एस टी आर 6 की तालिका 8बी+ तालिका 9बी के कुल योग से कम होनी चाहिए।	2	0.0014
6	वार्षिक विवरणी में प्राप्त आई टी सी का वित्तीय विवरण में व्यय के साथ समाधान करना	जी एस टी आर 9सी तालिका 14टी में धनात्मक आंकड़ा।	25	466.73
7	वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच आई टी सी का मिलान न होना	जी एस टी आर 9सी तालिका 12एफ में धनात्मक आंकड़ा।	25	20.97

अध्याय-3: राजस्व क्षेत्र के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

क्र. सं.	मापदण्ड	प्रयुक्त कलनविधि (कार्यप्रणाली)	विसंगतियों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
8	जी एस टी आर 9सी तालिका 5आर* में घोषित आवर्त में मिलान न होना	जी एस टी आर 9सी तालिका 5आर में ऋणात्मक आंकड़ा।	42	87.01
9	जी एस टी आर 9सी तालिका 7जी* में घोषित करयोग्य आवर्त में मिलान न होना	जी एस टी आर 9सी तालिका 7जी में ऋणात्मक आंकड़ा।	42	31.84
10	लेखा बही और विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में विसंगति	जी एस टी आर 9सी तालिका 9आर में ऋणात्मक आंकड़ा।	50	31.56
11	गैर-भुगतान देनदारियाँ	जी एस टी आर 1 (तालिका 4 से 11) और जी एस टी आर-9 (तालिका 4एन, 10 और 11) के बीच अधिक कर देयता की तुलना जी एस टी आर 3बी तालिका {3.1(ए)+3.1(बी)} में कर भुगतान विवरण के साथ की गई थी। जिन प्रकरणों में जी एस टी आर-9 उपलब्ध नहीं था, वहां जी एस टी आर-3बी में भुगतान किए गए कर की तुलना जी एस टी आर-1 देयता से की गई थी। जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया।	25	57.04
12	समाधान करदाता द्वारा ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ लिया जाना	ई-कॉमर्स जी एस टी आर-8 दिनांक 01 जनवरी 2018 से प्रभावी हो गया जब से टी सी एस प्रावधान प्रभावी हो गए। जी एस टी आर-8 में घोषित जी एस टी आई एन जो समाधान योजना के अन्तर्गत जी एस टी आर-4 भी दाखिल कर रहे हैं।	4	0
13	जी एस टी आर 3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जी एस टी आर 1 उपलब्ध है	जिन करदाताओं ने जी एस टी आर-3बी दाखिल नहीं किया था, लेकिन जी एस टी आर-1 दाखिल किया था या जहां जी एस टी आर-2ए उपलब्ध है, यह दर्शाता है कि करदाताओं ने कर का भुगतान किए बिना व्यवसाय किया था।	24	0.49
14	ब्याज का कम भुगतान	जी एस टी आर 3बी को विलम्ब से दाखिल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से गणना, जी एस टी आर 3बी तालिका 6.1 में घोषित ब्याज के रु ब-रु की गई।	25	5.76
योग			376	825.72

**दर्शाई गई धनराशि आवर्त के मिलान न होने पर प्राप्त कर देयता है।*

3.7.8.1 विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न करना

376 नमूनों के आधार पर मई 2022 में 376 लेखापरीक्षा प्रश्नों को करदाताओं के अभिलेखों की आगे की जांच के बिना संबंधित सेक्टरों के कार्यालयों को जारी किए गए थे। इन प्रकरणों में लेखापरीक्षा जांच चिन्हित विचलनों/विसंगतियों पर विभाग की कार्रवाई को सत्यापित करने तक सीमित थी।

आयुक्तालय⁷⁸ (मण्डल), उत्तराखण्ड सरकार⁷⁹ को अनुस्मारक जारी करने तथा विभाग के साथ बहिर्गमन गोष्ठी (16 जून 2023) में किए गए अनुनय के बाद भी, विभाग (मई 2022) को सूचित किए गए 146 प्रकरणों में प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं (मार्च 2024 तक) अभी तक प्राप्त नहीं हुईं।

यह 146 प्रकरणों में कर देयता/आई टी सी/ब्याज के कम भुगतान (कर के विलंबित भुगतान पर) में ₹ 238.39 करोड़ की विसंगति को दर्शाता है जैसा कि तालिका-3.7.4 (परिशिष्ट-3.7.6) में विस्तृत है।

तालिका-3.7.4: उत्तर अप्राप्त

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा मापदण्ड	नमूना		विभाग के उत्तर अप्राप्त		प्रतिशतता	
	संख्या	विसंगति की धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
जी एस टी आर 2ए और जी एस टी आर 3बी के बीच आई टी सी की विसंगति	50	99.80	24	31.79	48	31.85
आर सी एम के अन्तर्गत लाभ उठाये गये आई टी सी के विरुद्ध जी एस टी आर 3बी/जी एस टी आर 9 में कर भुगतान	19	1.55	1	0.07	5.26	4.52
आर सी एम के अन्तर्गत कर के कम भुगतान के विरुद्ध जी एस टी आर 3बी/जी एस टी आर 9 में लाभ उठाये गये आई टी सी (कर के भुगतान के बिना आर सी एम)	18	7.47	4	1.13	22.22	15.13
आई एस डी क्रेडिट का गलत लाभ	25	15.50	10	1.04	40	6.71

⁷⁸ द्वारा पत्र सं ए एम जी IV/एस एस सी ए/विवरणी फाइलिंग/2022-23/3424 दिनांक 30 मई 2022, ए एम जी IV/एस एस सी ए/विवरणी फाइलिंग/2022-23/3702 दिनांक 04 जुलाई 2022, पी ए जी (यू के)/एस एस सी ए/जी एस टी भुगतान/सीमित लेखापरीक्षा/2022-23/5840 दिनांक 20 जनवरी 2023।

⁷⁹ द्वारा अर्द्ध शा पत्र सं ए एम जी IV/एस एस सी ए/विवरणी फाइलिंग/2022-23/4580 दिनांक 02 सितम्बर 2022, ए एम जी-IV/ एस एस सी ए/विवरणी फाइलिंग/2022-23/5512 दिनांक 13 दिसम्बर 2022।

लेखापरीक्षा मापदण्ड	नमूना		विभाग के उत्तर अप्राप्त		प्रतिशतता	
	संख्या	विसंगति की धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
गलत आई एस डी क्रेडिट विलोमित	2	0.0014	1	0.00139	50	100
वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आई टी सी के बीच समाधान	25	466.73	6	81.29	24	17.42
वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच आई टी सी की विसंगति	25	20.97	12	13.35	48	63.66
जी एस टी आर 9सी तालिका 5आर में घोषित आवर्त में विसंगति	42	87.01	18	37.57	42.86	43.18
जी एस टी आर 9सी तालिका 7जी में घोषित करयोग्य आवर्त में विसंगति	42	31.84	20	13.80	47.62	43.34
लेखा बहियों और विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में विसंगति	50	31.56	24	23.85	48	75.57
गैर-भुगतान देनदारियाँ	25	57.04	10	32.143	40	56.35
समाधान करदाता द्वारा ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	4	0	0	0	0	0
जी एस टी आर 3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जी एस टी आर 1 उपलब्ध है।	24	0.49	5	0.1108	44	38.77
ब्याज का कम भुगतान	25	5.76	11	2.24	44	38.89
योग	376	825.72	146	238.39	38.82	28.86

उपर्युक्त तालिका में विसंगतियों की धनराशि तथा संभावित अनुपालन विचलन को ध्यान में रखते हुये विभाग का उत्तर सर्वोपरि है। अतः विभाग को प्राथमिकता के रूप में इन प्रकरणों के सत्यापन में गति की आवश्यकता है।

3.7.8.2 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा का परिणाम

लेखापरीक्षा प्रश्नों पर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर 14 मापदंडों में से प्रत्येक को अनुपालन विचलन में जिस सीमा तक अनुवादित किया गया है, उसे तालिका-3.7.5 (परिशिष्ट-3.7.7) वर्णित किया गया है:

तालिका-3.7.5: कमियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

		लेखापरीक्षा मापदण्ड														योग	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
जिन प्रकरणों में उत्तर प्राप्त हुआ		सं.	26	18	14	15	1	19	13	24	22	26	15	4	19	14	230
लेखापरीक्षा द्वारा विभाग का उत्तर स्वीकार किया गया	आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ	सं.	4	6	5	8	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	27
	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई	सं.	4	1	1	0	0	0	3	1	0	4	1	0	0	6	21
	अन्य वैध स्पष्टीकरण	सं.	4	3	0	0	1	16	5	2	7	7	1	4	1	0	51
	धनराशि	धनराशि	72.47	1.75	5.78	15.94	0	385.44	8.48	50.57	20.21	8.27	40.71	0	0.78	4.76	615.16
	धनराशि	धनराशि	18.17	0.32	1.79	1.98	0	21.39	0	2.01	0	0	0	0	0	0	45.66
अनुपालन विचलन	विभाग द्वारा स्वीकार किए गए प्रकरणों सहित, जहाँ कार्रवाई अभी आरम्भ नहीं की गई है।	वसूली	सं.	1	3	1	1	0	0	0	0	7	2	0	1	4	20
		धनराशि	धनराशि	0.01	0.39	0.01	0.21	0	0	0	0	0	2.67	1.32	0	0.01	0.84
	एससीएन जारी	सं.	4	3	0	3	0	0	3	2	5	5	7	0	16	2	50
		धनराशि	धनराशि	13.77	0.25	0	12.91	0	0	2.26	8.53	4.77	1.39	27.91	0	0.632	1.78
	एसएमटी-10	सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		धनराशि	धनराशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	करदाताओं के साथ पत्राचार के अधीन	सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		धनराशि	धनराशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.14	0	0.14
	लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर अस्वीकार्य है (खंडन)	सं.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
		धनराशि	धनराशि	8.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.83	9.09
योग	सं.	8	6	1	4	0	0	3	2	5	12	9	0	18	7	75	
	धनराशि	धनराशि	22.04	0.64	0.01	13.12	0	0	2.26	8.53	4.77	4.06	29.23	0	0.78	3.45	88.89
विभाग का उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया	सं.	6	2	6	3	0	1	2	17	10	3	4	0	0	0	54	
	धनराशि	धनराशि	18.73	0.24	3.16	0.84	0	7.90	1.04	39.06	9.56	0.49	5.02	0	0	0	86.04
विभाग ने बताया कि वे लेखापरीक्षा प्रश्न की जांच कर रहे हैं	सं.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
	धनराशि	धनराशि	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.11	0.36	
उपर्युक्त तालिका के शीर्षक में उपयोग किए गए शब्द 'ए आर' और 'एफ एस' का अर्थ क्रमशः 'वार्षिक विवरणी' और 'वित्तीय विवरण' है। 'वसूली' और 'एस सी एन जारी' श्रेणी के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में दी गई राशि विभाग द्वारा की गई वसूली और जारी एस सी एन की राशि के अनुसार है, चाहे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई राशि कुछ भी हो।																	

3.7.8.3 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा का सारांश

विभाग ने 376 विचलन/विसंगतियों के प्रकरणों में से 230 प्रकरणों के उत्तर प्रस्तुत किए जो कुल नमूने का 61.17 प्रतिशत हैं। 230 प्राप्त उत्तरों (मार्च 2024) में से 27 प्रकरण धनराशि ₹ 45.66 करोड़ के आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों से संबंधित हैं, 21 प्रकरण धनराशि ₹ 18.63 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रश्नों को जारी करने से पहले विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित हैं, 51 प्रकरण धनराशि ₹ 375.58 करोड़ के अन्य वैध स्पष्टीकरण से संबंधित हैं। जिन प्रकरणों में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया, उनमें 20 प्रकरण ₹ 5.46 करोड़ की आपत्तिगत धनराशि की वसूली से संबंधित थे और 50 प्रकरण ₹ 74.20 करोड़ की धनराशि के जारी किए गए एस सी एन से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने अवगत कराया कि एक प्रकरण पत्राचार के अधीन है। चार प्रकरणों में विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था। विभाग ने 54 प्रकरणों में अपने उत्तर के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए और दो प्रकरणों में कहा कि इन प्रकरणों की जांच की जा रही है।

इन सभी प्रकरणों में, आई टी सी और करदेयता की विसंगतियों, गलत आवर्त की घोषणा और कर के कम भुगतान जैसे जोखिम वाले क्षेत्रों में विसंगतियों की उच्च दरें देखी गईं।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के प्रत्येक लेखापरीक्षा मापदण्डों के उच्च मूल्य के प्रकरण (विभाग द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाई, विभाग से उत्तर प्राप्त न होने सहित से संबंधित अनुपालन विचलन) का विवरण नीचे तालिका-3.7.6 में दिया गया है।

तालिका-3.7.6: लेखापरीक्षा मापदण्डों के उच्च मूल्य के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा मापदण्ड	जी एस टी आई एन	सेक्टर	धनराशि	कृत कार्रवाई
1.	प्रकरण जहाँ जी एस टी आर 3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जी एस टी आर 1 उपलब्ध है।	05XXXXXXXXXX1जेडके	रुद्रपुर - सेक्टर 1	0.14	मांग जारी की गई
2.	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों के बीच आवर्त में विसंगति (प्रपत्र 9सी की तालिका 5आर)	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	देहरादून - सेक्टर 6	11.36	उत्तर अप्राप्त
3.	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों के बीच करयोग्य आवर्त में विसंगति (प्रपत्र 9सी की तालिका 7जी)	05XXXXXXXXXX1जेड4	ऋषिकेश सेक्टर - 1	2.40	विभाग का उत्तर अस्वीकार्य
4.	लेखा बहियों और वार्षिक	05XXXXXXXXXX1जेडडी	काशीपुर	10.37	उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षा मापदण्ड	जी एस टी आई एन	सेक्टर	धनराशि	कृत कार्रवाई
	विवरणों के बीच भुगतान किए गए कर में विसंगति (प्रपत्र 9सी की तालिका 9आर)		सेक्टर - 2		अप्राप्त
5.	वार्षिक विवरणों और वित्तीय विवरणों के बीच उपभोग आई टी सी में विसंगति (प्रपत्र 9सी की तालिका-12एफ)	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हरिद्वार सेक्टर - 1	5.49	उत्तर अप्राप्त
6.	वित्तीय विवरण में व्यय के साथ वार्षिक विवरणों में घोषित आई टी सी के बीच मिलान(प्रपत्र 9सी की तालिका-14टी)	05XXXXXXXXXX1जेड3	हरिद्वार सेक्टर - 4	26.60	उत्तर अप्राप्त
7.	रिवर्स चार्ज तंत्र के अन्तर्गत आई टी सी का अधिक लाभ लिया जाना	05XXXXXXXXXX1जेड0	हरिद्वार सेक्टर - 4	0.19	विभाग का उत्तर अस्वीकार्य
8.	आर सी एम के अन्तर्गत बिना भुगतान के आई टी सी का लाभ लिया जाना	05XXXXXXXXXX1जेडयू	रूड़की सेक्टर - 1	1.55	विभाग का उत्तर अस्वीकार्य
9.	आई टी सी का अधिक लाभ लिया जाना	05XXXXXXXXXX1जेड6	किच्छा	10.34	कारण बताओ नोटिस
10.	विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	05XXXXXXXXXX2जेडवाई	रूद्रपुर सेक्टर - 1	1.63	कारण बताओ नोटिस
11.	प्राप्तकर्ताओं द्वारा गलत तरीके से लिया गया आई एस डी क्रेडिट	05XXXXXXXXXX1जेड0	हल्द्वानी सेक्टर - 4	12.58	कारण बताओ नोटिस
12.	प्राप्तकर्ताओं द्वारा गलत तरीके से लाभ लिये गये आई एस डी क्रेडिट का विलोमित करना	05XXXXXXXXXX1जेडपी	देहरादून सेक्टर - 9	0.00139 11	उत्तर अप्राप्त
13.	गैर-भुगतान देनदारियाँ	05XXXXXXXXXX1जेड9	देहरादून सेक्टर - 5	10.41	उत्तर अप्राप्त

उदाहरणस्वरूप प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

1. जी एस टी आर-3बी दाखिल न किया जाना

यू जी एस टी अधिनियम 2017 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति (निर्दिष्ट व्यक्तियों को छोड़कर) को कर अवधि के दौरान वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आंतरिक और बाह्य आपूर्ति, प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, देय कर, भुगतान किए गए कर आदि का विवरण जी एस टी एन पोर्टल पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन विवरणों को समय-समय पर (मासिक या त्रैमासिक) प्रपत्र-3बी के रूप में निर्दिष्ट विवरणों में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसे प्रत्येक माह/माह के भाग हेतु

संबंधित माह के पश्चातवर्ती माह की 20वें दिन या उससे पहले प्रस्तुत किया जाता है। देय कर का भुगतान उसी तिथि को सरकार को किया जाएगा।

रुद्रपुर सेक्टर 1 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडके वाले करदाता के प्रकरण में लेखापरीक्षा (मई 2022) में पाया गया कि करदाता ने वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु एक भी जी एस टी आर-3बी दाखिल नहीं किया था। जी एस टी आर-1 के अनुसार, करदाता द्वारा ₹ 0.08 करोड़ की कर देनदारी जमा की जानी थी, लेकिन जी एस टी आर-3बी दाखिल न करने से इंगित होता है कि करदाता ने अपनी कर देनदारी का भुगतान नहीं किया था।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने ₹ 0.02 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 0.12 करोड़ की कर मांग जारी की गई (जून 2023)।

2. जी एस टी आर-9सी की तालिका 5आर में घोषित कुल आवर्त में विसंगति

जी एस टी आर-9सी की तालिका 5 में लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त और वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 में घोषित आवर्त के बीच समाधान स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इस तालिका के कॉलम 5आर में वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 और वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त के बीच गैर-समाधान को दर्शाया गया है।

यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 80(3) के अन्तर्गत करदाता द्वारा वर्ष 2017-18 के जी एस टी आर-9सी के रूप में प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण का डाटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में चिन्हित किए गए आवर्त में पायी गई विसंगतियों की सीमा की समीक्षा की जा सके। जिन प्रकरणों में जी एस टी आर-9 में घोषित आवर्त, वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त से कम था, वहां आपूर्ति की घोषणा में गैर-घोषित, कम-घोषित, निम्न-घोषित, चूक और त्रुटि का जोखिम था, जिससे करापवंचन या कम भुगतान की संभावना हो सकती थी। यह करयोग्य और छूट प्राप्त दोनों आपूर्तियों की गैर-घोषित का प्रकरण भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में पाया गया कि देहरादून सेक्टर-6 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडएक्स वाले करदाता के प्रकरण में जी एस टी आर-9सी की तालिका 5आर में ₹ 63.11 करोड़ का गैर-समाधान आवर्त था जिससे ₹ 11.36 करोड़ का कर का प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किये जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

3. जी एस टी आर-9सी की तालिका 7जी में घोषित कुल आवर्त में विसंगति

जी एस टी आर-9सी की तालिका 7 में लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त (कारोबार या कुल बिक्री) और वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 में घोषित आवर्त के बीच समाधान करने का प्रयास किया गया है। इस तालिका का कॉलम 7जी, वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 और वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त के बीच गैर-समाधान आवर्त को दर्शाता है।

यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 80(3) के अन्तर्गत करदाता द्वारा वर्ष 2017-18 के जी एस टी आर-9सी के रूप में प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण का डाटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में चिन्हित किए गए आवर्त में पायी गई विसंगतियों की सीमा की समीक्षा की जा सके। जिन प्रकरणों में जी एस टी आर-9 में घोषित आवर्त, वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त से कम था, वहां गैर-घोषित, निम्न-घोषित कम-घोषित, चूक और आपूर्ति की घोषणा में त्रुटि का जोखिम था, जिससे करापवंचन या कम भुगतान की संभावना हो सकती थी। यह करयोग्य और छूट प्राप्त दोनों आपूर्तियों की गैर-घोषित का प्रकरण भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में पाया गया कि ऋषिकेश सेक्टर-1 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेड4 वाले करदाता के प्रकरण में जी एस टी आर-9सी की तालिका 7जी में ₹ 13.34 करोड़ का गैर-समाधान आवर्त था जिससे ₹ 2.40 करोड़ का कर का प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने आवर्त के मिलान के सत्यापन के लिए आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। (मार्च 2024)।

4. वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों के बीच भुगतान किए गए कर में विसंगति (जी एस टी आर-9सी की तालिका-9 आर)

जी एस टी आर-9सी की तालिका 9आर में दर के अनुसार आवर्त को अलग करके भुगतान किये गये कर तथा इसकी तुलना वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 के अनुसार जमा किए गए कर के साथ करने का प्रयास किया गया है। गैर-समाधान राशि संभावित रूप से गलत दरों पर लगाए गए कर, करयोग्य आवर्त को छूट के रूप

में गलत चित्रण या इसके विपरीत या सी जी एस टी/एस जी एस टी/आई जी एस टी के गलत आरोपित किये जाने का संकेत दे सकती है। ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं जिनमें अप्रैल से सितम्बर 2018 तक बाद के वर्ष में किए गए 2017-18 लेनदेन के संबंध में संशोधनों (डेबिट नोटों/क्रेडिट नोटों का शुद्ध) के माध्यम से घोषित आपूर्ति/कर को कम किया जाता है।

यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 80(3) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के प्रपत्र जी एस टी आर-9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक प्रमाणित समाधान विवरण का वार्षिक विवरण और वित्तीय विवरण के बीच भुगतान किए गए कर में पहचाने गए असंतुलन की सीमा की समीक्षा करने के लिए डाटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में पाया गया कि काशीपुर, सेक्टर-2 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडडी वाले करदाता के प्रकरण में जी एस टी आर-9सी की तालिका 9आर में ₹ 10.37 करोड़ के कर का भुगतान गैर-समाधान था। लेखापरीक्षा (मई 2022) में यह इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

5. वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों के बीच प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगति (जी एस टी आर-9सी की तालिका 12एफ)

जी एस टी आर-9सी की तालिका 12, वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ मिलान करती है।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी 2022) पाया कि हरिद्वार, सेक्टर-1 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडएक्स वाले करदाता के प्रकरण में जी एस टी आर 9सी की तालिका 12एफ में ₹ 5.49 करोड़ का गैर-समाधान इनपुट टैक्स क्रेडिट था।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

6. वित्तीय विवरण में व्यय एवं वार्षिक विवरणी में घोषित आई टी सी के बीच समाधान (प्रपत्र 9सी की तालिका 14 टी)

धारा 122 (1) (vii) के अनुसार, जहां एक करयोग्य व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वस्तुओं या

सेवाओं की वास्तविक प्राप्ति के बिना या पूरी तरह से या आंशिक रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है या उपयोग करता है, तो वह दस हजार रुपये अथवा करापवंचन की समतुल्य धनराशि या धारा 51 के अधीन नहीं काटा गया कर या कम कटौती या कटौती की गई लेकिन सरकार को भुगतान नहीं किया गया कर या धारा 52 के अधीन एकत्र नहीं किया गया कर या कम एकत्र किया गया या एकत्र किया गया लेकिन सरकार को भुगतान नहीं किया गया या लिये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ या अनियमित रूप से स्थानांतरित किया गया या वितरित किया गया, या धोखाधड़ी से दावा किया गया धन वापसी, जो भी अधिक हो, के अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 80(3) के अन्तर्गत करदाता द्वारा वर्ष 2017-18 के जी एस टी आर-9सी के रूप में प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण का डाटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक विवरणी में घोषित आई टी सी और वित्तीय विवरण में घोषित किए गए व्यय में पायी गई विसंगतियों की सीमा की समीक्षा की जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हरिद्वार, सेक्टर-4 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेड3 वाले करदाता के प्रकरण में जी एस टी आर-9सी की तालिका 14(एस) में कुल आई टी सी धनराशि ₹ 178.48 करोड़ का दावा किया गया था, परन्तु जी एस टी आर-9सी की तालिका 14(आर) में ₹ 151.88 करोड़ आई टी सी उपलब्ध था। इस प्रकार, ₹ 26.60 करोड़ की आई टी सी की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

7. रिवर्स चार्ज तंत्र के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करना

समान कर देयता का निर्वहन किए बिना या दूसरे शब्दों में, रिवर्स चार्ज तंत्र (आर सी एम अर्थात् विक्रेता के स्थान पर प्राप्तकर्ता द्वारा जी एस टी का भुगतान करने की विधि) के अन्तर्गत कर का कम भुगतान करके वर्ष 2017-18 की आर सी एम के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की सीमा का विश्लेषण जी एस टी आर-3बी और वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 से संबंधित डाटासेट की तुलना करके किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि आर सी एम के अन्तर्गत गतिविधियों/लेनदेन पर कर का पूरी तरह से निर्वहन किया गया है या नहीं। जिन

प्रकरणों में जी एस टी आर-9 दाखिल किया गया था, वहां, तालिका 4जी में आर सी एम भुगतान की तुलना तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी। जिन प्रकरणों में जी एस टी आर-9 उपलब्ध नहीं था, उनमें जी एस टी आर-3बी की तालिका 3.1(डी) में आर सी एम भुगतान की तुलना तालिका 4(ए)(2) और 4(ए)(3) से की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हरिद्वार, सेक्टर-4 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेड0 वाले करदाता के प्रकरण में, जी एस टी आर 3बी (3.1डी) के अनुसार, रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आंतरिक आपूर्ति पर भुगतान किया गया जी एस टी ₹ 'शून्य' था, जबकि जी एस टी आर 9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ के अनुसार, ₹ 0.19 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) का लाभ उठाया गया था। इस प्रकार, ₹ 0.19 करोड़ की आई टी सी की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि आई टी सी का लाभ आर सी एम आपूर्ति से संबंधित नहीं था। लेकिन विभाग ने सत्यापन के लिए बिलों की प्रतियों जैसे प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। (मार्च 2024)

8. भुगतान किए गए संबंधित कर की तुलना में रिवर्स चार्ज तंत्र पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ प्राप्त करना

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 9 (3), धारा 9 (4) और एकीकृत जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 5 (3), धारा 5 (4) के प्रावधानों के अनुसार, कुछ श्रेणियों की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के स्थान पर वस्तुओं या सेवाओं के प्राप्तकर्ता पर कर का भुगतान करने का दायित्व है। शर्तों में से एक यह है कि वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का आपूर्तिकर्ता जी एस टी के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है।

जी एस टी आर-9, नियमित करदाताओं सहित एस ई जेड इकाइयों और एस ई जेड डेवलपर्स द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक बार दाखिल किया जाने वाला वार्षिक विवरणी है। करदाताओं को खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट या दावा किए गए प्रतिदाय या जारी की गई मांग आदि का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वर्ष 2017-18 के रिवर्स चार्ज तंत्र के अंतर्गत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, जी एस टी आर-3बी और

वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 से संबंधित डाटासेट की तुलना यह जांचने के लिए की गई कि क्या रिवर्स चार्ज तंत्र के अन्तर्गत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, भुगतान किए गए कर की सीमा तक सीमित था। अपनाई गई पद्धति, जी एस टी आर-3बी की तालिका 6.1(बी) में भुगतान किए गए कर की तुलना जी एस टी आर 9 की तालिका 6सी⁸⁰, 6डी⁸¹ और 6एफ⁸² में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से करना था। जिन प्रकरणों में जी एस टी आर-9 उपलब्ध नहीं था, वहां जांच जी एस टी आर-3बी के अन्तर्गत सीमित था तथा जी एस टी आर-3बी की तालिका 6.1(बी) में भुगतान किए गए कर की तुलना तालिका 4ए(2)⁸³ और 4ए(3)⁸⁴ के अंतर्गत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रुड़की, सेक्टर-1 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडयू वाले करदाता के प्रकरण में, जी एस टी आर-9(4जी) के अनुसार, उस वित्तीय वर्ष के दौरान की गई आंतरिक आपूर्ति जिस पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना था, ₹ 0.02 करोड़ थी, जबकि जी एस टी आर 9 तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में ₹ 1.57 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) का लाभ दिखाया गया है। इस प्रकार, ₹ 1.55 करोड़ की आई टी सी की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग दस्तावेजी साक्ष्य जैसे-सत्यापन हेतु ट्रान-1 उपलब्ध नहीं कराया (मार्च 2024)।

9. इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ प्राप्त करना

जी एस टी आर-2ए क्रय से सम्बन्धित गतिशील कर विवरणी है जो जी एस टी पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जबकि जी एस टी आर-3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें करदाता द्वारा स्वयं घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर के भुगतान के साथ बाह्य आपूर्ति का सारांश होता है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 की जी एस टी आर-3बी और जी एस टी आर-2ए से प्रासंगिक डाटासेट

⁸⁰ अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आंतरिक आपूर्ति, जो रिवर्स चार्ज के अधीन हैं।

⁸¹ पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आंतरिक आपूर्ति, जो रिवर्स चार्ज के अधीन हैं।

⁸² सेवाओं का आयात।

⁸³ सेवाओं का आयात।

⁸⁴ आंतरिक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के अधीन)।

निकाले गए थे, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान प्राप्तकर्ता करदाताओं द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से किया गया था। अपनाई गई पद्धति में जी एस टी आर-2ए में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा इसके सभी संशोधनों सहित की तुलना जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए(5)⁸⁵ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ करना था, जिसमें तालिका 4बी(2)⁸⁶ में व्युत्क्रम पर विचार किया गया था, लेकिन इसके बाद के वर्ष 2018-19 में जी एस टी आर-9 की तालिका 8सी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में पाया गया कि किच्छा सेक्टर के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेड6 वाले करदाता के प्रकरण में, जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए(5) के अनुसार उपलब्ध आई टी सी ₹ 18.37 करोड़ थी। जी एस टी आर-2ए का बी2बी ₹ 13.35 करोड़ था। जी एस टी आर-2ए का बी2बीए ₹ 0.40 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, जी एस टी आर-9 की तालिका 8सी के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट अवधि तक ली गई आंतरिक आपूर्ति (आयात और रिवर्स चार्ज के उत्तरदायी आंतरिक आपूर्ति के अतिरिक्त, लेकिन इसमें एस ई जेड से प्राप्त सेवाएं शामिल हैं) पर आई टी सी ₹ 'शून्य' था। जी एस टी आर-2ए के अनुसार, शुद्ध क्रेडिट नोट (सी डी एन आर) का मूल्य ₹ 0.06 करोड़ था। जी एस टी आर-3बी की तालिका 4बी(2) के अनुसार व्युत्क्रम आई टी सी ₹ शून्य है। इस प्रकार, ₹ 4.69 करोड़ की आई टी सी की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया तथा ₹ 10.34 करोड़ की मांग जारी की (मार्च 2024)।

10. कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 50 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसके किसी भी भाग का भुगतान नहीं करता है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

⁸⁵ अन्य सभी उपयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट।

⁸⁶ अन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट व्युत्क्रम।

जी एस टी आर-3बी में कर भुगतान का विवरण और इस विवरणी को दाखिल करने का दिनांक का उपयोग करके वर्ष 2017-18 के दौरान कर के विलंब से जमा करने के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान की गई थी। देय ब्याज का निर्धारण करने के लिए केवल शुद्ध करदेयता (नकद भाग) पर विचार किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया रुद्रपुर सेक्टर-1 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX2जेडवाई वाले करदाता के प्रकरण में वर्ष 2017-18 की जी एस टी आर-3बी (माहवार) के अनुसार, कुल कर का भुगतान ₹ 51.38 करोड़ (नकद भाग) था। कर भुगतान में 18 दिनों से 110 दिनों तक विलम्ब से था। अतः विलंबित कर भुगतान पर देय कुल ब्याज ₹ 1.58 करोड़ था, लेकिन करदाता द्वारा कोई ब्याज जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार, कुल ब्याज ₹ 1.58 करोड़ देय था।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया तथा डी आर सी-7 के माध्यम से ₹ 1.63 करोड़ की मांग जारी की (मार्च 2024)।

11. आई एस डी क्रेडिट का गलत लाभ प्राप्त करना

यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 39(1)(ए) में प्रावधान है कि एक इनपुट सेवा वितरक अपने पास उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट को वितरित करेगा और जी एस टी आर-6⁸⁷ विवरणी में उसका विवरण प्रदान करेगा।

वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त अधिक आई टी सी की सीमा की पहचान जी एस टी आर-9 तालिका 6जी या जी एस टी आर-3बी तालिका 4(ए)(4) की तुलना संबंधित जी एस टी आई एन के जी एस टी आर-6 की तालिका 5(ए), तालिका 8(ए) और तालिका (9ए) के योग के साथ करके की गई थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में पाया गया कि, वर्ष 2017-18 में हल्द्वानी सेक्टर-4 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेड0 वाले करदाता के प्रकरण में जी एस टी आर-9-वार्षिक विवरणी की तालिका 6(जी) के अनुसार, इनपुट सेवा वितरक (आई एस डी) के आधार पर दावा कि गई आई टी सी की धनराशि ₹ 44.27 करोड़ (आई जी एस टी) थी। समान राशि जी एस टी आर-3बी की तालिका 4(ए)(4) में परिलक्षित हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 की

⁸⁷ जी एस टी आर-6: इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक विवरणी है, जिसमें उनके द्वारा वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट और आंतरिक आपूर्ति का विवरण होता है।

जी एस टी आर-2ए विवरणी में शामिल आई एस डी क्रेडिट ₹ 32.82 करोड़ था। हालांकि, जी एस टी एन में उपलब्ध केंद्रीकृत आंकड़ों के अनुसार, आई एस डी की जी एस टी आर-6 की तालिका 5ए, 8ए और 9ए का कुल मूल्य ₹ 32.82 करोड़ था। इस प्रकार, ₹ 11.43 करोड़ की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने नोटिस जारी किया तथा ₹ 12.58 करोड़ की मांग जारी की (मार्च 2024)।

12. करदेयता का गैर-निर्वहन

जी एस टी आर-1 वस्तुओं या सेवाओं की बाह्य आपूर्ति के मासिक विवरण को दर्शाता है। इस विवरण का करदाता द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है और वार्षिक विवरणी जी एस टी आर 9 के संबंधित कॉलम में घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, करयोग्य मूल्य और उसका भुगतान किया गया कर मासिक विवरणी जी एस टी आर-3बी में भी प्रदर्शित है।

करदेयता का गैर-निर्वहन का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 की जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 से प्रासंगिक डाटासेट निकाले गए और इन विवरणियों में देय कर की तुलना जी एस टी आर-9 में घोषित भुगतान किये गये कर से की गई। जहां जी एस टी आर-9 उपलब्ध नहीं था, वहां जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-3बी के बीच देय कर की तुलना का सहारा लिया गया। इस उद्देश्य के लिए जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजन पर भी विचार किया गया।

कलन विधि के लिए, जी एस टी आर-1 की तालिका 4 से 11 और जी एस टी आर-9 की तालिका 4 एन, 10 और 11 पर विचार किया गया। जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक करदेयता की तुलना जी एस टी आर-9 की तालिका 9 और 14 में दर्शाए गए भुगतान किए गए कर के साथ की गई थी ताकि कर के कम भुगतान की पहचान की जा सके। जी एस टी आर-3बी के प्रकरण में, तालिका 3.1(ए)⁸⁸ और 3.1(बी)⁸⁹ को ध्यान में रखा गया था।

देहरादून-सेक्टर 5 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेड9 वाले करदाता के प्रकरण में लेखापरीक्षा (मई 2022) में

⁸⁸ वाह्य करयोग्य आपूर्ति (शून्य दर, दर रहित तथा छूट प्राप्त के अतिरिक्त)

⁸⁹ वाह्य करयोग्य आपूर्ति (शून्य दर)

पाया गया कि जी एस टी आर-1 में देय कर ₹ 23.21 करोड़ था और जी एस टी आर-9 (तालिका 4एन, 10 और 11) के अनुसार भुगतान किया गया कर ₹ 12.80 करोड़ था। इस प्रकार, जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच ₹ 10.41 करोड़ की करदेयता में विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

3.7.8.4 कारणों के अवयव का विश्लेषण

230 प्रकरणों में विचलन/विसंगतियों पर विभाग की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, डाटा विचलन/विसंगतियों का कारण बनने वाले अवयवों पर नीचे चर्चा की गई है:

अ. एक उदाहरणस्वरूप प्रकरण जिसमें विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करने के बाद एस सी एन जारी किया था:

प्राप्त 230 उत्तरों में से, 20 प्रकरणों में (कुल उत्तर का 8.7 प्रतिशत) विभाग ने वसूली की और 50 प्रकरणों में (कुल उत्तर का 21.7 प्रतिशत), विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और एस सी एन/कर की मांग की पुष्टि जारी की। एक प्रकरण नीचे वर्णित किया गया है:

दायित्व का गैर-निर्वहन:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू के प्रकरण में, जी एस टी आर-01 के अनुसार करदाता का दायित्व ₹ 2.45 करोड़ था, लेकिन करदाता द्वारा 'शून्य' कर का भुगतान किया गया था। अतः कुल गैर-निर्वहन कर देयता ₹ 2.45 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने डी आर सी-07 में ₹ 4.91 करोड़ की मांग का आदेश जारी करके करदेयता के साथ समान अर्थदण्ड की पुष्टि की थी (जून 2023)।

ब. एक उदाहरणस्वरूप प्रकरण, जिसमें विभाग का उत्तर अस्वीकार्य था:

प्राप्त 230 उत्तरों में से चार धनराशि ₹ 9.09 करोड़ के प्रकरणों (कुल उत्तर का 1.7 प्रतिशत) में विभाग का उत्तर अस्वीकार किया गया। एक प्रकरण नीचे वर्णित किया गया है:

आई टी सी का अधिक लाभ प्राप्त करना (जी एस टी आर-3बी बनाम जी एस टी आर-2ए):

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडओ के प्रकरण में, जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए(5) के अनुसार उपलब्ध आई टी सी ₹ 7.84 करोड़ था। जी एस टी आर-2ए की तालिका बी2बी ₹ 1.34 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, जी एस टी आर-9 की तालिका (8सी) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त आंतरिक आपूर्ति (आयात और आंतरिक आपूर्ति जो रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी है को छोड़कर, लेकिन इसमें एस ई जेड से प्राप्त सेवाएं शामिल हैं) पर आई टी सी ₹ 0.09 करोड़ था, जिसका अगले वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट अवधि तक इसका लाभ उठाया गया। जी एस टी आर-2ए के अनुसार, शुद्ध क्रेडिट नोटों (सी डी एन आर) का मूल्य ₹ शून्य था। जी एस टी आर-3बी की तालिका 4बी(2) के अनुसार विलोमित आई टी सी ₹ शून्य था। इसके अतिरिक्त, जी एस टी आर-2ए की शुद्ध तालिका बी2बीए ₹ शून्य था। इस प्रकार, ₹ 6.60 करोड़ की आई टी सी की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने अपने उत्तर में आई टी सी की विसंगतियों के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया, अतएव यह अस्वीकार्य है (जून 2023)।

स. एक उदाहरणस्वरूप प्रकरण, जहां आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण विसंगति थी:

प्राप्त 230 उत्तरों में से 27 प्रकरण (11.7 प्रतिशत) धनराशि ₹ 45.66 करोड़ में करदाताओं द्वारा की गई डाटा प्रविष्टि त्रुटियों से संबंधित थे। सभी प्रकरण आई टी सी (जी एस टी आर 3बी बनाम जी एस टी आर 2ए) का अधिक लाभ प्राप्त करने से संबंधित आई टी सी का गलत लाभ उठाने से संबंधित हैं, जिसका कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था। उदाहरणस्वरूप, एक प्रकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

आई टी सी (जी एस टी आर 3बी बनाम जी एस टी आर 2ए) का अधिक लाभ उठाना:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रुद्रपुर सेक्टर-3 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXX1जेडएस रखने वाले करदाता के प्रकरण में, जी एस टी आर 3बी की तालिका 4ए (5) के अनुसार उपलब्ध आई टी सी ₹ 1,351.98 करोड़ थी। जी एस टी आर 2ए का बी2बी ₹ 1,416.95 करोड़ था। जी एस टी आर 2ए का

बी2बीए ₹ 1.29 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, जी एस टी आर 9 की तालिका 8सी के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान आंतरिक आपूर्ति (आयात और आंतरिक आपूर्ति के अतिरिक्त, जो रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इसमें एस ई जेड से प्राप्त सेवाएं शामिल हैं) पर प्राप्त आई टी सी ₹ 77.60 करोड़ थी, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट अवधि तक इसका लाभ उठाया गया। जी एस टी आर 2ए के अनुसार, शुद्ध क्रेडिट नोटों (सी डी एन आर) का मूल्य ₹ 3.93 करोड़ था। जी एस टी आर 3बी की तालिका 4बी (2) के अनुसार आई टी सी का व्युत्क्रम ₹ शून्य है। इस प्रकार, ₹ 15.27 करोड़ की आई टी सी की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि विसंगति करदाता द्वारा आयात और आई एस डी के आधार पर आई टी सी की गलत प्रविष्टि के कारण थी।

द. एक उदाहरणस्वरूप प्रकरण, जिसमें लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करने से पूर्व कार्रवाई की गई थी:

विभाग का उत्तर 21 प्रकरणों में स्वीकार किया गया था (कुल 230 उत्तरों का 9.1 प्रतिशत) जिसकी धनराशि ₹ 18.63 करोड़ थी, जहां विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करने से पूर्व कार्यवाही की गयी थी। उदाहरणस्वरूप, एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

आई टी सी का अधिक लाभ प्राप्त करना:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडएन के प्रकरण में, जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए(5) के अनुसार आई टी सी धनराशि ₹ 6.48 करोड़ थी और जी एस टी आर-2ए की तालिका-बी2बी के अनुसार, ₹ 0.102 करोड़ थी। जी एस टी आर-2ए के अनुसार, शुद्ध क्रेडिट ₹ शून्य करोड़ था। करदाता ने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में समान धनराशि ₹ 6.48 करोड़ जमा भी की है और इसका उपयोग किया है। इस प्रकार, आई टी सी की धनराशि ₹ 6.38 करोड़ की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि करदाता द्वारा जून 2019 में ₹ 6.38 करोड़ की अतिरिक्त आई टी सी को विलोमित (वापस) कर दिया गया था।

3.7.9 जी एस टी विवरणी की विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में कानून के अनुपालन की जिम्मेदारी करदाता पर होती है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र की स्थापना और कायम रखना है। सीमित स्तर के संसाधनों के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून का अनुपालन और राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए, एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। आई टी आधारित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर राज्य सरकार की एक गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाह्य लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने डाटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, पैन-स्टेट डाटा विश्लेषण के माध्यम से जी एस टी विवरणी में विसंगतियों/विचलन की पहचान करने के अतिरिक्त, इस समीक्षा के एक हिस्से के रूप में जी एस टी विवरणी का एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी किया गया था। समीक्षा के इस भाग के लिए 99 करदाताओं के जोखिम-आधारित नमूने का चयन किया गया था। अपनाई गई पद्धति शुरू में संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/ विचलनों और लाल चेतावनी की पहचान करने के लिए जी एस टी आर 9सी और बैंक-एंड प्रणाली में उपलब्ध अन्य अभिलेख के हिस्से के रूप में करदाताओं द्वारा दाखिल जी एस टी विवरणी और वित्तीय विवरणों की एक डेस्क समीक्षा करना था। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के कार्यालय में डेस्क समीक्षा की गई। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर, चिन्हित जोखिमों के कारणों के अवयवों की पहचान करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय खाते, बिल आदि जैसे करदाताओं के संबंधित बारीक अभिलेखों की मांग करके राज्य क्षेत्र संरचनाओं में विस्तृत लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी।

जैसा कि पूर्व प्रस्तर में उल्लेख किया गया था कि विस्तृत लेखापरीक्षा में जोखिमों और लाल चेतावनी की पहचान करने के लिए जी एस टी विवरणी और अन्य बुनियादी अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा शामिल थी, जिसके पश्चात् करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन की सीमा की पहचान करने और राज्य क्षेत्र संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई की पहचान करने के लिए फील्ड लेखापरीक्षा की गयी थी। विभिन्न

चरणों में करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन अंततः दाखिल किए गए विवरणों की सत्यता, आई टी सी के उपयोग और कर भुगतान के निर्वहन को प्रभावित करता है। अतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों को क) विवरणी ख) आई टी सी का उपयोग और ग) करदेयता का निर्वहन के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

3.7.9.1 कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेखों को प्रस्तुत न करना)

विभाग द्वारा बारीक अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखापरीक्षा का दायरा सीमित था। बैंक-एंड प्रणाली में उपलब्ध करदाताओं के विवरणी की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त आई टी सी और करदेयता में विसंगति से संबंधित जोखिमों की पहचान की। आई टी सी के बिन्दु पर, जी एस टी आर 3बी की तुलना जी एस टी आर 2ए और जी एस टी आर 9 से करके और जी एस टी आर 9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं से विसंगतियों की पहचान की गई। करदेयता बिन्दु पर, जी एस टी आर 3बी की तुलना जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर 9 के साथ और जी एस टी आर 9सी की तालिका 5, तालिका 7 और तालिका 9 में घोषणाओं की तुलना करके विसंगतियों की पहचान की गई। हालांकि, किसी भी चयनित प्रकरण में, विभाग ने पूरक वित्तीय खाते, बिल, अनुबन्ध की प्रतियां आदि जैसे संबंधित बारीक अभिलेख जो आई टी सी और करदेयता के असंतुलन के लिए कारणात्मक अवयवों की जांच हेतु आवश्यक है, प्रदान नहीं किए। लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित सेक्टर के माध्यम से करदाताओं के इन बारीक अभिलेखों की मांग की गई।

जैसा कि किसी भी प्रकरण में विभाग द्वारा अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसके कारण आई टी सी में विसंगति होने, कर देनदारियों में विसंगति होने तथा आवर्त में विसंगति होने से संबंधित पहचान किए गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तार से जांच नहीं की जा सकी।

3.7.9.2 विवरणियाँ

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 50 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, वह उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसके किसी भी भाग का भुगतान नहीं किया

गया है, वह स्वयं ही 18 प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

उप-धारा (1) के अधीन ब्याज की गणना, उस दिन के उत्तरवर्ती दिन से, जिस दिन ऐसा कर देय था, ऐसी रीति से की जाएगी जो विहित की जाए।

जी एस टी आर 3बी में कर भुगतान विवरण और जी एस टी आर 3बी दाखिल करने की तिथि का उपयोग करके वर्ष 2017-18 के दौरान कर के विलंबित जमा के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान की गई थी। देय ब्याज का निर्धारण करने के लिए केवल शुद्ध कर देयता (नकद भाग) पर विचार किया गया था। इस संबंध में पाई गई विसंगतियां इस प्रकार थीं: -

अ) करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 37 प्रकरणों में करदाता ने या तो अपने जी एस टी आर-3बी विवरणी को विलंब से दाखिल किया था या शुद्ध करदेयता (नकद भाग) का भुगतान विलंब से किया था, परन्तु ₹ 1.00 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर सात प्रकरणों में ₹ 20.77 लाख की ब्याज राशि जमा की गई थी और विभाग द्वारा दो प्रकरणों में ₹ 5.47 लाख की मांग की गई है। 28 प्रकरणों के संबंध में विभाग का उत्तर अप्राप्त था (परिशिष्ट-3.7.8)।

एक प्रकरण नीचे वर्णित किया गया है:

राज्य कर, सेक्टर 5, हरिद्वार के उपायुक्त (कर निर्धारण) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वाली करदाता मेसर्स शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी (जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडसी), जिसने जुलाई 2017 से मार्च 2018 के माहों से संबंधित विवरणी (जी एस टी आर 3बी) में कुल कर देयता ₹ 1.59 करोड़ शामिल थी, जिसका भुगतान विलंब से किया गया था। विलंबित कर भुगतान पर देय कुल ब्याज ₹ 29.19 लाख था जो करदाता द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022) में यह इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

3.7.9.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) का अर्थ है माल और सेवा कर (जी एस टी) जिसका भुगतान किसी करयोग्य व्यक्ति द्वारा माल और/या सेवाओं के क्रय पर किया जाता है जिसका उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसकी उन्नति में किया जाता है। करों के व्यापक प्रभाव से परहेज़ के लिए, आन्तरिक आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग बाहरी आपूर्ति पर करों के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (61) के अनुसार, इनपुट सेवा वितरक (आई एस डी) का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता का एक कार्यालय जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 31 के अन्तर्गत जारी कर बिल प्राप्त करता है और करयोग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता, जिनका पैन आई एस डी के समान होता है को उक्त सेवाओं पर भुगतान किए गए केंद्रीय कर (सी जीएस टी), राज्य कर (यू जी एस टी)/ केंद्र शासित प्रदेश कर (यू टी जी एस टी), एकीकृत कर (आई जी एस टी) के क्रेडिट को वितरित करने के उद्देश्य से एक निर्धारित दस्तावेज जारी करता है।

अ) इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगतियाँ

लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जी एस टी आर 3बी, जी एस टी आर-9 और जी एस टी आर-9सी के डाटासेट के साथ चयनित करदाताओं के संबंध में जी एस टी आर-2ए के डाटासेट का विश्लेषण किया और विवरणियों के मध्य इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिवर्स चार्ज तंत्र (आर सी एम) की विसंगति देखी। लेखापरीक्षा विसंगतियों की विस्तार से जांच नहीं कर सका क्योंकि विभाग द्वारा प्रासंगिक बारीक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगतियों का विवरण तालिका-3.7.7 में दिया गया है।

तालिका-3.7.7: करदाताओं द्वारा दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	असमान राशि	टिप्पणियाँ
1.	आर सी एम के अंतर्गत प्राप्त आई टी सी में कर के भुगतान के साथ विसंगति: जी एस टी आर-3बी की तालिका 3.1 (डी) का डाटा, जिसमें रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आंतरिक आपूर्ति का विवरण शामिल है, की तुलना जी एस टी आर-9 तालिका 6सी + 6डी + 6एफ	2	2	7.48	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर, एक प्रकरण में विभाग ने कहा कि कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया। इसके अतिरिक्त,

अध्याय-3: राजस्व क्षेत्र के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	असमान राशि	टिप्पणियाँ
	में प्राप्त आर सी एम आई टी सी से की गई थी। (परिशिष्ट- 3.7.9.i)				अन्य प्रकरण में कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2024)।
2	आर सी एम के अंतर्गत प्राप्त आई टी सी में विसंगति : जी एस टी आर-3बी की तालिका 3.1 (डी) के डाटा, जिसमें रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आंतरिक आपूर्ति का विवरण शामिल है, की तुलना जी एस टी आर-9 तालिका 4जी में आर सी एम करदेयता के साथ की गई थी। (परिशिष्ट- 3.7.9.ii)	3	3	0.13	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में इसका उल्लेख किए जाने पर, एक प्रकरण में ₹ 2.96 लाख का कर जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त, शेष दो प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
3	छूट प्राप्त और गैर-जी एस टी और पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त आई टी सी का गैर/न्यून व्युत्क्रम: यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 42 और 43 सपठित उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 17 (2) के अनुसार, क्रेडिट की राशि इनपुट कर के उतने भाग तक सीमित होगी जो शून्य-दर वाली आपूर्ति सहित उक्त करयोग्य आपूर्ति के कारण है। (परिशिष्ट- 3.7.9.iii एवं 3.7.9.iv)	18	9	13.17	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह अवगत कराया कि चार प्रकरणों में कर और ब्याज ₹ 10.88 लाख जमा किए गए हैं और एक प्रकरण में ₹ 0.48 लाख की मांग जारी की गई है और चार प्रकरणों में विभाग के उत्तर साक्ष्यों से समर्थित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, शेष नौ प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था। (मार्च 2024)।
4	इनपुट सेवा वितरण क्रेडिट के अन्तर्गत आई टी सी का लाभ उठाने में विसंगति : उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 20 (2) के अनुसार, आई एस डी वितरण के लिए उपलब्ध क्रेडिट को उसी माह में वितरित किया जा सकता है जिसमें इसका लाभ उठाया जाता है। जी एस टी आर 3बी की तालिका 4ए (4) जिसमें प्राप्त आई एस डी क्रेडिट का विवरण शामिल है, जी एस टी आर 9 की तालिका 6जी से मेल खाएगा। (परिशिष्ट- 3.7.9.v)	2	2	7.10	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
5	जी एस टी आर-2ए और जी एस टी आर-9 के बीच आई टी सी का विसंगति: जी एस टी आर-2ए के अनुसार उपलब्ध आई टी सी की तुलना जी एस टी आर-9 विवरणी के अंतर्गत प्राप्त आई टी सी से की गई थी। (परिशिष्ट- 3.7.9.vi)	46	26	35.19	लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) चार प्रकरणों में कर और ब्याज ₹ 14.49 लाख जमा किए गए हैं और आठ प्रकरणों में ₹ 1667.46 लाख की मांग

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	असमान राशि	टिप्पणियाँ
					की गई है। पांच प्रकरणों में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य हैं। इसके अतिरिक्त, शेष 29 प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
6	समायोजन के बाद जी एस टी आर 9 में असंबद्ध आई. टी. सी:- जी एस टी आर 9 की तालिका 8डी जी एस टी आर 2ए के अनुसार उपलब्ध आई टी सी और बाद की अवधि के समायोजन के साथ जी एस टी आर 3बी के अनुसार प्राप्त आई टी सी के बीच के अंतर को दर्शाती है। जी एस टी आर 9 की तालिका 8डी में नकारात्मक आंकड़ा इंगित करता है कि आई टी सी का लाभ पात्र से अधिक लिया जाता है। <i>(परिशिष्ट- 3.7.9.vii)</i>	51	25	53.26	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर, पांच प्रकरणों में ₹ 74.05 लाख की मांग की गई है। 16 प्रकरणों में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य हैं। इसके अतिरिक्त, 30 प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था। (मार्च 2024)।
7	जी एस टी आर-9सी (तालिका 14टी) में आई टी सी के संबंध में पाई गई विसंगतिया: जी एस टी आर-9सी तालिका 14टी में पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं या सेवाओं पर किए गए व्यय की तुलना इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई है और तालिका 14टी में अपात्रता, अवरुद्ध क्रेडिट के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई अतिरिक्त लाभ उठाने पर प्रकाश डाला गया है। <i>(परिशिष्ट- 3.7.9.viii)</i>	18	12	112.09	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर, एक प्रकरण में ₹ 2.44 लाख कर और ब्याज जमा किए गए और एक प्रकरण में ₹ 5.54 लाख कर और ब्याज की मांग की गई है। पांच प्रकरणों में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष 11 प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
8	आई टी सी का लाभ उठाने में विसंगति: प्रपत्र जी एस टी आर-3बी के माध्यम से आई टी सी (प्रपत्र जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए का योग) जैसा कि जी एस टी आर 9 तालिका 6 (ए) में घोषित किया गया है, जबकि जी एस टी आर 9 तालिका 6 (आई) के मूल्य में जी एस टी आर 3बी में प्राप्त आई टी सी और जी एस टी आर-9 क्र सं 6(आई) में घोषित आई टी सी के बीच ₹ (-) का अंतर है, जी एस टी आर 9 के आई टी सी में समायोजन। <i>(परिशिष्ट- 3.7.9.ix)</i>	26	16	104.26	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर, तीन प्रकरणों में ₹ 106.58 लाख की मांग की गई है और ₹ तीन लाख की वसूली की गई है। छः प्रकरणों में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष 17 प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

अध्याय-3: राजस्व क्षेत्र के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	असमान राशि	टिप्पणियाँ
9	कर देनदारियों के डेबिट और आई टी सी तुलना विवरण और इलेक्ट्रॉनिक नकद/क्रेडिट खाता बही: -जी एस टी आर 3बी डेबिट का माह के देयता खाता बही डेबिट तथा वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट/कैश खाता बही डेबिट के साथ मिलान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट/कैश लेज़र में कम डेबिट को मूर्त रूप देने के लिए जी एस टी आर 3बी तालिका 6.1 से डेबिट करने के बाद भी करदाताओं द्वारा देयता रजिस्टर की राशि में परिवर्तन के संकेत से विसंगति हो सकती है। <i>(परिशिष्ट- 3.7.9.x)</i>	4	4	5.46	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा दो प्रकरणों में उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष दो प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
10	वस्तुओं के आयात पर दावाकृत आई टी सी और 2ए में आई टी सी में बेमेल- जी एस टी आर-2ए के विरुद्ध वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त आई टी सी दावे की अनुमति देना। <i>(परिशिष्ट- 3.7.9.xi)</i>	5	5	1.66	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर एक प्रकरण में ₹ 5.48 लाख का कर और ब्याज जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त, शेष चार प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
11	जी एस टी आर-9सी में दावाकृत आई टी सी और 2ए आई टी सी में विसंगति - जी एस टी आर-9सी और जी एस टी आर-2ए में विसंगति आई टी सी का दावा <i>(परिशिष्ट- 3.7.9.xii)</i>	2	2	1.05	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर एक प्रकरण में मांग जारी की। इसके अतिरिक्त, अन्य प्रकरण में उत्तर अप्राप्त था। (मार्च 2024)।
12	सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना आई टी सी का लाभ उठाना:- अधिनियम की धारा 16 (2) आई टी सी का लाभ उठाने के लिए शर्तों को निर्धारित करती है। लेखापरीक्षा आई टी सी का लाभ उठाने की जांच नहीं कर सका क्योंकि कर्मचारी की लागत, वेतन, मजदूरी, किसी अन्य खर्च आदि पर प्राप्त आई टी सी के लिए सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया गया था <i>(परिशिष्ट- 3.7.9.xiii)</i>	14	12	27.00	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर एक प्रकरण में कर और ब्याज ₹ 0.21 लाख जमा किया गया है और एक प्रकरण में ₹ 103.55 लाख की मांग जारी की गई है। तीन प्रकरणों में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष नौ प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

ब) अतिरिक्त संक्रमणकालीन क्रेडिट का लाभ उठाना

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 140 (1) समाधान करदाता के अतिरिक्त एक पंजीकृत व्यक्ति को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में, वैट की धनराशि का क्रेडिट, यदि कोई हो, प्राप्त करने की अनुमति देती है, जो निर्धारित तिथि से ठीक पूर्व की अवधि से संबंधित विवरणी में टी आर ए एन-1 और टी आर ए एन-2 दाखिल करके अग्रसारित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने तीन सेक्टरों से संबंधित तीन प्रकरणों में (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में पाया कि करदाताओं ने ₹ 32.91 करोड़ के अतिरिक्त संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया था। एक प्रकरण में टी आर ए एन-1 दाखिल न करने, एक प्रकरण में शून्य राशि के साथ टी आर ए एन-1 दाखिल करने और एक प्रकरण में वर्ष 2017-18 के जी एस टी आर-9 विवरणी में दावा की गई राशि से कम राशि का टी आर ए एन-1 दाखिल करने के कारण अतिरिक्त दावा किया गया था **(परिशिष्ट-3.7.9.xiv)**

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में इसे इंगित किये जाने पर किसी भी प्रकरण में विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

एक उदाहरणस्वरूप प्रकरण नीचे दिया गया है:-

जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडबी वाले एक करदाता ने टी आर ए एन-1 दाखिल नहीं करने के बावजूद जी एस टी आर-9 में संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 31.12 करोड़ का दावा किया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.12 करोड़ की आई टी सी का अतिरिक्त दावा हुआ था।

लेखापरीक्षा (जनवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

3.7.9.4 करदेयता का निर्वहन

जी एस टी के प्रकरण में करयोग्य स्थिति वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है। उत्तराखण्ड/केंद्रीय जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 9 वह प्रभारित धारा है जो मानव उपभोग के लिए मादक पेय (शराब) की आपूर्ति को छोड़कर, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की समस्त प्रान्तीय आपूर्ति पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य पर और प्रत्येक अधिनियम, यानी सी जी एस टी अधिनियम और यू जी एस टी अधिनियम के अन्तर्गत 20 प्रतिशत से अनधिक दरों पर राज्य/

केंद्र माल और सेवा कर नामक कर लगाने और संग्रह करने को अधिकृत करता है। आई जी एस टी की धारा 5 वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर 40 प्रतिशत की अधिकतम दर के साथ एकीकृत जी एस टी का उद्ग्रहण एवं संग्रहण केंद्र सरकार में निहित है।

वस्तु और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 की धारा 8 के अन्तर्गत, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर आपूर्ति पर उपकर लगाया जाता है जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे कि तंबाकू उत्पाद, वातित (गैस से भरा हुआ) पेय, सिगरेट, वाहन आदि। उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 9 (3) और 9 (4) और एकीकृत जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 5 (3) और 5 (4) में कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर कर के विपरीत शुल्क लगाने का प्रावधान है, जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

कर देनदारियों के निर्वहन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष और विसंगति पर नीचे चर्चा की गई है:

अ) कर देयता के निर्वहन से संबंधित विसंगतियाँ

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के लिए करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जी एस टी आर-1, जी एस टी आर-3बी और जी एस टी आर-9 विवरणी की जांच की और विवरणी में दी गई कर देयता की तुलना करके कर देयता के निर्वहन में विसंगति पायी। लेखापरीक्षा इन विसंगतियों की विस्तार से जांच नहीं कर सका क्योंकि विभाग द्वारा प्रासंगिक बारीक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। विसंगति का विवरण तालिका-3.7.8 में दिया गया है।

तालिका-3.7.8: कर देयता के निर्वहन से संबंधित विसंगति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	विसंगति की राशि	टिप्पणियाँ
1	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-3बी-के बीच देय कर का असंतुलन: जी एस टी आर-1 की कर देयता जी एस टी आर-3बी में घोषित कर देयता से विसंगति थी (परिशिष्ट- 3.7.10.1)	15	12	6.16	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर तीन प्रकरणों में कर और ब्याज ₹ 35.27 लाख जमा किए गए हैं और एक प्रकरण में ₹ 0.58 लाख की मांग की गई है। चार प्रकरणों में

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	विसंगति की राशि	टिप्पणियाँ
					विभाग द्वारा अवगत कराया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष सात प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
2	जी एस टी आर-9 में कर भुगतान के संदर्भ में जी एस टी आर 1, जी एस टी आर 9 की अधिक से अधिक कर देयता की तुलना करने पर गैर-प्रभारित कर देयता: वर्ष 2017-18 के लिए जी एस टी आर 1 और जी एस टी आर 9 और इन विवरणों में देय कर की तुलना जी एस टी आर 9 में भुगतान और घोषित कर से की गई थी। (परिशिष्ट- 3.7.10.ii)	27	19	24.98	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर सात प्रकरणों में ₹ 54.99 लाख का कर और ब्याज जमा किए गए हैं और चार प्रकरणों में ₹ 264.64 लाख की मांग की गई है। तीन प्रकरणों में विभाग का उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष 14 प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
3	जी एस टी आर 9 के कर भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और नकद खाता बही के डेबिट के बीच बेमेल: इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही (ई सी एल) और नकद खाता बही के साथ कर भुगतान का अंतर। (परिशिष्ट- 3.7.10.iii)	03	03	5.42	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
4	जी एस टी आर 9सी में घोषित करयोग्य कारोबार में असंबद्धता: जी एस टी आर-9सी की तालिका 5आर और तालिका 7जी में वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 में घोषित सकल आवर्त और लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच सामंजस्य को दर्शाया गया है। (परिशिष्ट- 3.7.10.iv)	10	08	80.71	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किये जाने पर एक प्रकरण में ₹ 8.02 लाख का कर जमा किया गया है और एक प्रकरण में ₹ 0.97 लाख की मांग जारी की गई है। एक प्रकरण में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष सात प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
5	जी एस टी आर 9सी में घोषित असंबद्ध कर भुगतान: जी एस टी	10	7	1.61	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह

अध्याय-3: राजस्व क्षेत्र के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	विसंगति की राशि	टिप्पणियाँ
	आर-9सी की तालिका 9आर में वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 में घोषित कर भुगतान और लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच सामंजस्य को दर्शाया गया है। <i>(परिशिष्ट- 3.7.10.v)</i>				इंगित किए जाने पर, एक प्रकरण में विभाग ने मांग जारी की थी। दो प्रकरणों में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष सात प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)
6	कर भुगतान के संबंध में लेखा पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के बीच विसंगति: जी एस टी आर-9सी तालिका 5क्यू में शामिल जी एस टी आर-9 में घोषित आवर्त और जी एस टी आर-9 तालिका 5एन में घोषित कुल आवर्त (अग्रिम सहित) के बीच विसंगति। <i>(परिशिष्ट- 3.7.10.vi)</i>	4	3	3.10	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर एक प्रकरण में ₹ 11.41 लाख का कर जमा किया गया है। एक प्रकरण में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष दो प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
7	कर भुगतान के संबंध में लेखा पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के मध्य विसंगति जी एस टी आर 9सी तालिका 9क्यू में घोषित जी एस टी आर 9 में भुगतान किए गए कर और जी एस टी आर 9 तालिका 9 के अनुसार भुगतान किए गए कर (नकद + आई टी सी) के बीच असमानता <i>(परिशिष्ट- 3.7.10.vii)</i>	6	5	67.63	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा पांच प्रकरणों में उत्तर दिए गए हैं जो अस्वीकार्य हैं। इसके अतिरिक्त, शेष एक प्रकरण में उत्तर अप्राप्त था। (मार्च 2024)।
8	करयोग्य कारोबार में विसंगति होने के कारण कर न लगाना: जी एस टी आर-9सी की तालिका 5 (ओ) अर्थात् ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए कारणों से आवर्त में समायोजन में समायोजन के 16 शीर्ष शामिल हैं। जिनमें से 12 प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी और	3	3	30.41	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर, एक प्रकरण में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष दो प्रकरणों (मार्च 2024) में उत्तर

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	विसंगति की राशि	टिप्पणियाँ
	चार प्रविष्टियां आवर्त से घटा दी जाएंगी ⁹⁰ । करदाता ने जी एस टी आर-9सी, तालिका 5(ओ) में आवर्त को समायोजित किया था, जिसके परिणामस्वरूप करयोग्य आवर्त में विसंगति थी जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था। (परिशिष्ट- 3.7.10.viii)				अप्राप्त है।

(ब) 2017-18 (प्रथम तिमाही) की वैट अवधि के आवर्त पर कर का न्यूनारोपण

उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसार, उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, सभी प्रान्तीय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर, धारा 15 के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य पर और ऐसी दरों पर, जो 20 प्रतिशत से अधिक न हों, राज्य वस्तु एवं सेवा कर नामक कर लगाया जाएगा, जैसा परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए और ऐसे तरीके से संग्रहित किया जाए जो विहित किया जाए और करयोग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जायेगा।

वर्ष 2017-18 के लिए आठ सेक्टरों से संबंधित 99 करदाताओं में से 10 करदाताओं द्वारा प्रस्तुत जी एस टी आर-9सी (समाधान विवरण) की जांच करने पर यह पाया

90

क्र. सं.	विवरण	कार्रवाई
1	फार्मास्युटिकल कंपनी द्वारा चिकित्सक को मुफ्त में वितरित चिकित्सकीय नमूना	(+)
2	कर्मचारी से वेतन की वसूली का नोटिस	(+)
3	ग्राहकों/विक्रेताओं/वितरकों को दिए गए उपहार	(+)
4	सीएसआर दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किए गए स्टॉक	(+)
5	बिक्री संवर्धन/विज्ञापन प्रतिपूर्ति प्राप्त को आपूर्ति के रूप में माना जाता है	(+)
6	आपूर्ति के मूल्य में माने जाने वाले से बाहर जब से बाहरी खर्च	(+)
7	पूँजीगत वस्तुओं का मूल्य जिस पर बिक्री पर जी एस टी का भुगतान किया जाता है	(+)
8	लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में घोषित पूँजीगत वस्तुओं की बिक्री पर लाभ	(-)
9	लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकट पूँजीगत वस्तुओं की बिक्री पर नुकसान	(+)
10	विशेष परिस्थितियों के आधार पर मान्यता प्राप्त लाभ और हानि खाते में आय	(-)
11	वह मूल्य जिस पर विशेष परिस्थितियों के आधार पर आय को मान्यता दिए जाने वाले लेनदेन के संबंध में जी एस टी का भुगतान किया जाना देय है।	(+)
12	छूट जिन्हें धारा 15 के अनुसार आपूर्ति के मूल्य से बाहर नहीं रखा जाना है।	(+)
13	जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण के रूप में वित्तीय में बिक्री व्युत्क्रमण।	(+)
14	संदिग्ध ऋणों को वापस लिखने का प्रावधान	(+)
15	ब्याज आय	(-)
16	विविध आय या कोई अन्य राशि	(-)

गया कि वैट अवधि (अप्रैल 2017 से जून 2017 तक) के कर निर्धारण आदेश के अनुसार वैट का आवर्त ₹ 134.79 करोड़ था, जबकि जी एस टी आर-9सी में वैट आवर्त (अप्रैल 2017 से जून 2017 तक) ₹ 170.58 करोड़ था। इस प्रकार, वैट आवर्त में ₹ 35.79 करोड़ का अंतर था जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.26 करोड़ का कर का भुगतान नहीं किया गया था जो ब्याज और अर्थदण्ड के साथ वसूल किये जाने योग्य था।

इसके अतिरिक्त, दो प्रकरण पाए गए जिनमें ₹ 42.04 करोड़ के बचे हुए आवर्त पर ₹ 5.04 करोड़ का कर आरोपित नहीं किया गया था (*परिशिष्ट-3.7.10.ix* का क्र सं 11 एवं 12)।

लेखापरीक्षा (जुलाई 2022 से नवंबर 2022) में यह अवगत कराया कि दो प्रकरणों में ₹ 4.08 लाख का कर और ब्याज जमा किया गया है और दो प्रकरणों में ₹ 144.21 लाख की मांग की गई है। एक प्रकरण में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, सात प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)। (*परिशिष्ट-3.7.10.ix*)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:-

एक करदाता (जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेड2) ने जी एस टी आर-9सी तालिका 5जी में वैट अवधि का आवर्त ₹ 43.48 करोड़ घोषित किया है। हालाँकि, अप्रैल से जून 2017 के लिए वैट कर निर्धारण आदेश के अनुसार, यह ₹ 25.42 करोड़ था। इस आवर्त में से ₹ 18.06 करोड़ के वैट आवर्त में अंतर था, जिस पर ब्याज और अर्थदण्ड के साथ ₹ 2.17 करोड़ का कर देय था।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

(स) कर का भुगतान

उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसार, उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, सभी अंतर-राज्यीय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर, धारा 15 के अधीन निर्धारित मूल्य पर और ऐसी दरों पर, जो 20 प्रतिशत से अधिक न हों, राज्य वस्तु एवं सेवा कर नामक कर लगाया जाएगा, जैसा परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए और ऐसे तरीके

से संग्रहित किया जाए जो विहित किया जाए और करयोग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जायेगा।

उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसका कोई भाग भुगतान नहीं किया जाता है, वह स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो 18 प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 122 की उपधारा (1) के अनुसार, जहां कोई करयोग्य व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई कर एकत्र करता है, लेकिन उस तिथि से तीन महीने की अवधि के बाद जिस तिथि को ऐसा संदाय देय था, सरकार को उसका भुगतान करने में विफल रहता है, वह ₹ दस हजार या कर चोरी के बराबर राशि या धारा 51 के अधीन कटौती नहीं किए गए कर या कम कटौती या कटौती किए गए कर को सरकार को भुगतान न किए गए या धारा 52 के अन्तर्गत एकत्र नहीं किए गए कर या कम एकत्र या एकत्रित लेकिन सरकार को भुगतान न किए गए कर या अनियमित रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिये गये या अन्तरित किये गये या वितरित किये गये या धोखाधड़ी से वापसी का दावा किये गये, जो भी अधिकतम हो, के समतुल्य राशि को अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(i) कर का कम भुगतान

वर्ष 2017-18 से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि पाँच सेक्टरों से संबंधित पाँच करदाताओं ने अपने जी एस टी आर-9 विवरणी में घोषित पूर्ण कर धनराशि का भुगतान नहीं किया था। ₹ 115.73 करोड़ के देय कर के विरुद्ध, करदाताओं द्वारा केवल ₹ 96.58 करोड़ का भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.16 करोड़ के कर का भुगतान कम हो गया था, जिस पर करदाता कर के साथ-साथ ब्याज और अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे (परिशिष्ट-3.7.10.x)।

लेखापरीक्षा (सितम्बर-अक्टूबर 2022) में यह इंगित किए जाने पर, एक प्रकरण में ₹ 18.25 लाख का कर और ब्याज जमा किया गया है। एक प्रकरण में विभाग द्वारा डी आर सी-01 जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, शेष तीन प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:-

एक करदाता (जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXXओजेडजी) के प्रकरण में, वार्षिक विवरणी (जी एस टी आर-9) के अनुसार कुल देय कर ₹ 110.98 करोड़ था। हालाँकि, केवल ₹ 92.60 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसलिए, ₹ 18.37 करोड़ कर का भुगतान कम किया गया था।

लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि ₹ 18.46 करोड़ का कारण बताओ नोटिस (जी एस टी डी आर सी-1) जारी किया गया था। (मार्च 2024)।

(ii) कर का भुगतान न करना

2017-18 से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि दो सेक्टरों से संबंधित दो करदाताओं ने कुल ₹ 26.92 करोड़ को छूट, शून्य दर, गैर-जी एस टी आपूर्ति के रूप में घोषित किया है, जिस पर करदाताओं द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया था। दो प्रकरणों में, करदाताओं ने ब्रांड नाम वाली पैकिंग में सामान की निकासी की थी जिस पर कर देय था। उक्त पर ब्याज और अर्थदण्ड सहित कुल ₹ 1.35 करोड़ का कर देय था *(परिशिष्ट-3.7.10.xi)*।

लेखापरीक्षा (सितम्बर-अक्टूबर 2022) में इसे इंगित किए जाने पर सभी प्रकरणों में विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:-

एक प्रकरण में (जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडएक्स), करदाता ने गेहूँ के आटे को यूनिट कंटेनर में तैयार किया गया था और इसे जी एस टी आर-9 में ₹ 14.08 करोड़ की छूट वाली आपूर्ति के रूप में घोषित किया था, जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था। उत्तराखण्ड के 25 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना संख्या 837/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 के अनुसार यदि किसी ब्रांड नाम के अन्तर्गत यूनिट कंटेनर में माल को तैयार किया जाता है, तो उस पर जी एस टी देय है। अतः इस प्रकरण में इस कारोबार पर कर आरोपणीय था जिसका भुगतान करदाता

द्वारा नहीं किया गया था। यह धनराशि ब्याज और अर्थदण्ड के साथ वसूल की जानी थी।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

(iii) जॉब वर्कर से तैयार माल निर्धारित समय के भीतर वापस प्राप्त न होने के बावजूद भी कर का भुगतान न करना

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 143 की उपधारा (1) के अनुसार, एक पूंजीकृत व्यक्ति (इसके बाद इस धारा में "प्रधान" के रूप में संदर्भित) सूचना के अधीन और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, किसी भी इनपुट या पूंजीगत सामान को बिना कर के संदाय के किसी जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए भेज सकता है और वहां से बाद में किसी अन्य जॉब वर्कर को भेज सकता है और इसी तरह, और-

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 143 की उपधारा 1 (क) के अनुसार, जॉब वर्क का काम पूरा होने के बाद या अन्यथा, या मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या उपकरणों के अतिरिक्त अन्य पूंजीगत सामान, उन्हें उनके किसी भी व्यवसाय के स्थान पर भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्षों के भीतर, कर का भुगतान किए बिना वापस लाएगा।

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 143 की उपधारा 1 (ख) के अनुसार, भारत के भीतर कर के भुगतान पर, या निर्यात के लिए कर के भुगतान के साथ या उसके बिना, जैसे भी प्रकरण हो, किसी प्रधान के व्यवसाय के स्थान से भेजे जाने के बाद, क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्षों के भीतर, जॉब वर्क का काम पूरा होने के बाद या अन्यथा, या मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या उपकरणों के अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति करें।

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 143 की उपधारा (3) के अनुसार, जहां जॉब वर्क के काम के लिए भेजे गए इनपुट उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रावधानों के अनुसार या अन्यथा जॉब वर्क के काम के पूरा होने के पश्चात् प्रधान को वापस नहीं किए जाते हैं या उन्हें भेजे जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रावधानों के अनुसार जॉब वर्कर के व्यवसाय के स्थान से आपूर्ति नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे इनपुट की आपूर्ति प्रधान द्वारा जॉब वर्कर को उस दिन की गई थी जब उक्त इनपुट भेजे गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दौरान दो सेक्टरों से संबंधित दो करदाताओं ने जी एस टी आई टी सी-4 के विरुद्ध जॉब वर्क के लिए ₹ 5.40 करोड़ का माल प्रेषित किया। उक्त अधिनियम के अनुसार करदाताओं को जी एस टी आई टी सी-4 में जॉब वर्क करने वाले करदाता से माल की वापसी का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालांकि, संबंधित करदाताओं के जी एस टी आई टी सी-4 में माल की वापसी का ऐसा कोई विवरण नहीं दिया गया था जो इंगित करता है कि जॉब वर्क करने वाले जॉब वर्कर को भेजा गया तैयार माल निर्धारित समय सीमा के भीतर वापस नहीं किया गया था। इसलिए, करदाताओं को ब्याज और अर्थदण्ड के साथ-साथ ₹ 5.40 करोड़ पर ₹ 0.97 करोड़ का कर देय है (परिशिष्ट-3.7.10.xii)।

लेखापरीक्षा (सितम्बर-अक्टूबर 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने एक प्रकरण में ₹ 40.60 लाख की मांग जारी की। अन्य प्रकरण में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है: -

एक करदाता (जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडएल) ने जॉब वर्कर को वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 1.66 करोड़ का माल प्रेषित किया था जो सितम्बर 2022 तक जॉब वर्कर से वापस नहीं प्राप्त हुआ था। इसलिए, जॉब वर्कर को भेजे गए माल पर ब्याज और अर्थदण्ड सहित ₹ 29.87 लाख का कर देय है।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 40.60 लाख धनराशि की कर और अर्थदण्ड की मांग जारी की गई है। (मार्च 2024)।

3.7.9.5 अतिरिक्त धनवापसी की अनुमति

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो ऐसे कर या उसके द्वारा भुगतान की गई किसी अन्य धनराशि पर भुगतान किए गए किसी भी कर और ब्याज, यदि कोई हो, की वापसी का दावा करता है, वह संबंधित तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पहले ऐसे प्रपत्र और तरीके से आवेदन कर सकता है जो निर्धारित किया जाए:

इसके अतिरिक्त यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (2) के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संगठन की कोई विशेष एजेंसी या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचित कोई बहुपक्षीय वित्तीय

संस्थान और संगठन, विदेशों के वाणिज्य दूतावास या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जैसा कि धारा 55 के अधीन अधिसूचित किया गया है, माल या सेवाओं या दोनों की आंतरिक आपूर्ति पर उसके द्वारा भुगतान किए गए कर की वापसी का हकदार, उस तिमाही जिसमें ऐसी आपूर्ति प्राप्त हुई थी, के अंतिम दिन से छः महीने की समाप्ति से पूर्व, जो निर्धारित किया जाए, ऐसे रूप और तरीके से ऐसी वापसी के लिए आवेदन कर सकेगा।

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 55 के अनुसार, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संगठन की किसी भी विशेष एजेंसी या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित किसी भी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, विदेशों के वाणिज्य दूतावास या दूतावास और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाए, जो ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होगा जैसा इस सम्बन्ध में विहित किया जाए, के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित आपूर्ति पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होंगे।

अधिसूचना संख्या 06/2017 दिनांक 28 जून 2017 और अधिसूचना संख्या 520/2017/9 (120)/XXVII (8) दिनांक 29 जून 2017 एक करदाता सीएसडी कैंटीन को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आंतरिक आपूर्ति पर उसके द्वारा भुगतान किए गए कर की वापसी का हकदार बनाती है। करदाता को इस तरह के धनवापसी के लिए उस तिमाही के अंतिम दिन से छः महीने की समाप्ति से पहले आवेदन करना था, जिसमें ऐसी आपूर्ति प्राप्त हुई थी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि चार सेक्टरों से संबंधित चार करदाताओं ने ₹ 38.61 करोड़ के प्रतिदाय का दावा किया था, जिसे उचित अधिकारी द्वारा ₹ 1.49 करोड़ के स्वीकार्य प्रतिदाय के विरुद्ध स्वीकृति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.13 करोड़ के प्रतिदाय का अतिरिक्त दावा किया गया। ₹ 37.13 के प्रतिदाय के अतिरिक्त दावे में से, एक प्रकरण में प्रतिदाय दावा विलंब से दायर करने के कारण ₹ 35.09 करोड़ का प्रतिदाय अस्वीकार्य था, दो प्रकरणों में उल्टे शुल्क प्रतिदाय में सेवा इनपुट पर प्रतिदाय दावे के कारण ₹ 1.85 करोड़ का अतिरिक्त प्रतिदाय अस्वीकार्य था और एक प्रकरण में समायोजित

आवर्त और आई टी सी के बीच अंतर के कारण ₹ 0.18 करोड़ के प्रतिदाय का शेष अतिरिक्त दावा अस्वीकार्य था। इसलिए, करदाताओं द्वारा ब्याज और अर्थदण्ड के साथ ₹ 37.13 करोड़ का भुगतान किया जाना है (परिशिष्ट-3.7.10.xiii)।

लेखापरीक्षा (अगस्त-नवंबर 2022) में इंगित किए जाने पर विभाग ने एक प्रकरण में ₹ 1.00 करोड़ की मांग जारी की है और एक प्रकरण में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, दो प्रकरणों में विभाग का उत्तर अप्राप्त है। (मार्च 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:-

एक करदाता (05XXXXXXXXXX1ZO) ने धनवापसी दावा दायर करने की अंतिम तिथि के बाद दिसम्बर 2018 में 2017-18 की तीन तिमाहियों के लिए तीन धनवापसी आवेदन दायर किए थे जैसा कि उपर्युक्त धारा 54 (2) में कहा गया है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन दायर किए जाने के बावजूद विभाग ने ₹ 35.09 करोड़ के प्रतिदाय को स्वीकृति दी थी।

लेखापरीक्षा (नवंबर 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि अधिसूचना सं. 18/2022-CT दिनांकित 28 सितम्बर 2022 में, समय सीमा को छः महीने से विस्तार कर दो वर्ष कर दिया गया है। अतः आपत्ति उचित नहीं है। विभाग का उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि उल्लिखित अधिसूचना 01 अक्टूबर 2022 से प्रभावी है न कि पूर्वव्यापी तिथि से। अतः ऊपर वर्णित प्रकरण पर लागू नहीं होता है। (मार्च 2024)।

3.7.10 अपर्याप्त क्षमता निर्माण प्रयास

सभी स्तरों पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रभावशीलता के लिए क्षमता निर्माण आवश्यक है। विभाग अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए जी एस टी पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है ताकि नई कर व्यवस्था में उनके ज्ञान को बढ़ाया जा सके और राजस्व में वृद्धि हो सके। वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान विभाग द्वारा जी एस टी पर दिए गए प्रशिक्षण का विवरण नीचे दी गई तालिका-3.7.9 में दिया गया है:

तालिका-3.7.9: जी एस टी पर प्रशिक्षण का विवरण

वर्ष	पदों का नाम	वास्तविक मानव शक्ति	प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कार्यदिवस (स्तंभ 3x5)	प्रशिक्षण के वास्तविक कार्यदिवस	कमी
1	2	3	4	5	6
2017-18	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	240	1,200	274	926
	सहायक कर्मचारी	441	2,205	517	1,688
2018-19	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	239	1,195	278	917
	सहायक कर्मचारी	433	2,165	492	1,673
2019-20	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	237	1,185	278	907
	सहायक कर्मचारी	400	2,000	479	1,521
2020-21	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	219	1,095	252	843
	सहायक कर्मचारी	389	1,945	28	1,917

स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

यदि किसी व्यक्ति को पाँच दिनों के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि प्रशिक्षित व्यक्ति वास्तव में उपलब्ध मानव-शक्ति के सापेक्ष बहुत कम थे। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत करदाताओं की लेखापरीक्षा शुरू करने के लिए एस ओ पी जारी होने के बाद प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या इन कार्यों में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम है और इसलिए विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता है।

3.7.11 श्रमशक्ति की अपर्याप्तता

विभाग के कुशल संचालन के लिए, इसके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उचित मानव शक्ति योजना और इसकी उचित तैनाती आवश्यक है।

वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी) और अन्य सहायक कर्मचारी के संबंध में राज्य कर विभाग की स्वीकृति और कार्य शक्ति का विवरण निम्न तालिका-3.7.10 में दिए गए हैं:-

तालिका-3.7.10: राज्य कर विभाग की स्वीकृति और कार्य शक्ति

वर्ष	पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या का प्रतिशत
2017-18	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	305	240	65	21.31
	सहायक कर्मचारी	1051	441	610	58.04
2018-19	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	305	239	66	21.64
	सहायक कर्मचारी	1051	433	618	58.80
2019-20	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	306	237	69	22.55
	सहायक कर्मचारी	1050	400	650	61.90
2020-21	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	267	219	50	17.98
	सहायक कर्मचारी	925	389	536	57.95

स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान न्याय निर्णायक प्राधिकरण के संबंध में रिक्त पद 17.98 प्रतिशत से 22.55 प्रतिशत के मध्य थे। इसके अतिरिक्त, सहायक कर्मचारियों के संबंध में रिक्त पद 57.95 से 61.90 प्रतिशत के मध्य थे। पर्याप्त श्रमशक्ति की अनुपस्थिति ने विभाग की कार्य दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जो जांच या विवरणी की धीमी गति, पंजीकरण रद्द करने के प्रकरणों में कार्रवाई की कमी आदि से स्पष्ट है।

3.7.12 निष्कर्ष

जी एस टी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) विवरणी दाखिल करने की बदलती प्रवृत्ति और विवरणी दाखिल और कर भुगतान की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता, अनुपालन की सीमा और अन्य विभागीय कार्यों का आकलन करने के उद्देश्य से निरंतर डाटा विसंगतियों के संदर्भ में किया गया था।

यह एस एस सी ए मुख्य रूप से करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी के विश्लेषण पर आधारित था, जिसमें जोखिम वाले क्षेत्रों, लाल चेतावनी और कुछ प्रकरणों में वर्ष 2017-18 के लिए दाखिल किए गए जी एस टी विवरणी में नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया था। एस एस सी ए में दो स्तरों पर उत्तराखण्ड राज्य कर विभाग के क्षेत्राधिकार संरचनाओं (सेक्टरों)/राज्य क्षेत्राधिकार गठन के निरीक्षण कार्यों का आकलन करना शामिल है-वैश्विक डाटा प्रश्नों के माध्यम से डाटा स्तर और कार्यात्मक स्तर पर सेक्टरों, जी एस टी विवरणी और

आंतरिक लेखापरीक्षा के गहन विस्तृत लेखापरीक्षा सहित जिसमें करदाता के अभिलेखों तक पहुंच शामिल है।

विभाग ने विवरणियों की जांच के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (मई 2022) तैयार करने के बाद, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए विवरणी की जांच शुरू की है। विभाग को करदाताओं द्वारा कर देयता के स्व-मूल्यांकन की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए विवरणी की जांच और आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए करदाताओं के अतिरिक्त अभिलेख प्रदान नहीं किए, जिसके कारण लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए विवरणियों में पायी गई विसंगतियों को तार्किक निष्कर्षों में स्थापित नहीं कर सकी। विभाग को लेखापरीक्षा में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि करदाताओं के अभिलेखों की विस्तृत जांच के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच सके।

विभाग को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र प्रतिक्रिया देने की भी आवश्यकता है ताकि सीमित और विस्तृत लेखापरीक्षा के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विसंगतियों को शीघ्रता से निराकरण किया जा सके और सरकार को देय राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके।

अनुपालन कमियों की महत्वपूर्ण दर को ध्यान में रखते हुए, विभाग को उनके कालबाधित होने से पहले उपचारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए। एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से, विभाग को विवरणी की जांच और आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने और विवरणी दाखिल, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, अन्य कर प्राधिकरणों के प्रतिवेदनो का पालन, पंजीकरण रद्द करने और चूककर्ताओं से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए सेक्टरों में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

3.7.13 अनुशंसाएं

राज्य सरकार निम्न पर विचार कर सकती है:

- **विभाग वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए विवरणी की जांच के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है;**

- उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अन्तर्गत वर्षवार लक्ष्यों की आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप उत्पन्न अतिरिक्त कर मांग को देखते हुए वृद्धि की जा सकती है;
- विभाग प्रकरणों के कालबाधित होने से पहले निर्दिष्ट बकाया राशि की वसूली के साथ-साथ विवरणी और आंतरिक लेखापरीक्षा की जांच सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्रीय दलों को भी निर्देश दे सकता है;
- विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 146 विसंगतियों को तत्काल आगे बढ़ा सकता है, जिनके लिए प्रतिक्रियाएं प्रदान नहीं की गई हैं और परिणामों को लेखापरीक्षा को सूचित कर सकता है;
- विभाग इस प्रतिवेदन में इंगित किए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए उनके कालबाधित होने से पूर्व उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

3.8 ₹ 5.37 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) का लाभ केवल एक पंजीकृत व्यापारी को ही अनुमन्य होगा और किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा पंजीकृत होने के पश्चात किसी कर अवधि के लिए देय कर की गणना करने के उद्देश्य से ऐसे पंजीकृत व्यापारी को अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय या ऐसा विक्रय, जैसा कि निर्धारित किया जाए, से भिन्न, ऐसे समस्त कर योग्य विक्रय के बारे में जमा किए गए अथवा देय कर के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ, जैसा कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया गया, अनुमन्य होगा। अधिनियम की धारा 34(4) के अनुसार, भुगतान न की गई धनराशि पर निर्धारित अन्तिम तिथि के ठीक अगली तिथि से ऐसी धनराशि के भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

उपायुक्त (कर निर्धारण)-III, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच (मार्च 2021) में पाया गया कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2019 के अनुसार, ₹ 39.44 लाख की स्वीकार्य/सत्यापित/देय आई टी सी के स्थान पर व्यापारी⁹¹ को ₹ 44.81 लाख की आई टी सी का लाभ दिया गया था। इसके कारण, अर्थदण्ड एवं

⁹¹ मै. बालाजी सेल्स कार्पोरेशन (टिन 05011836353)।

01 अक्टूबर 2015 से जमा करने की तिथि तक 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की परिणामी देनदारियों के साथ ही ₹ 5.37 लाख का कम करारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार द्वारा चूक को मानवीय त्रुटि के रूप में स्वीकार किया गया (अगस्त 2022) एवं अवगत कराया कि संशोधित कर निर्धारण आदेश 26 जुलाई 2021 को जारी किया गया था। वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड बजट मैन्युअल और शासनादेश दिनांक 05 मार्च 2005, जिसमें संबन्धित अधिकारी से राजस्व क्षति की वसूली अपेक्षित है, के प्रावधानों के कारण राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

सरकार ने भविष्य में रोकथाम और पहचान के कोई उपाय भी नहीं किए हैं।

3.9 कर का अनारोपण

कारोबार के हस्तान्तरण के पश्चात अचल परिसम्पत्तियों पर कर आरोपित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 45.38 लाख की राजस्व क्षति हुई जिस पर ₹ 37.44 लाख का ब्याज भी देय है।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 9(4)(क) के अनुसार, जहाँ व्यापारी एक फर्म या व्यक्तियों का समूह या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब है और ऐसी फर्म, समूह अथवा कुटुम्ब ने कारोबार बन्द कर दिया है तो ऐसी फर्म, समूह अथवा कुटुम्ब द्वारा ऐसा कारोबार बन्द करने की तिथि तक इस अधिनियम के अधीन देय कर जिसमें अर्थदण्ड, यदि कोई हो, शामिल है, का निर्धारण और अवधारण किया जा सकता है मानो कि ऐसा कोई कारोबार बन्द न हुआ हो। साथ ही, धारा 18(5) निर्धारित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका पंजीकरण इस धारा के अधीन निरस्त होता है, निरस्तीकरण की तिथि को स्टॉक के रूप में या पूंजीगत वस्तुओं के रूप में धारित प्रत्येक कराधेय वस्तुओं के संबंध में देय कर यदि वस्तु की बिक्री उस तिथि में उचित बाजार कीमत पर की गयी होती या ऐसी वस्तुओं के संबंध में पूर्व में दावाकृत कुल इनपुट टैक्स का लाभ, जो भी अधिक हो, के समतुल्य धनराशि का भुगतान करेगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 4(2)(ख)(i)(द) में प्रावधानित है कि एक व्यापारी किसी भी अनुसूची में शामिल वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के संबंध में 13.5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा एवं 04 अक्टूबर 2016 से एक प्रतिशत का अतिरिक्त कर भी आरोपणीय था।

उपायुक्त (कर निर्धारण)-1, राज्य कर, रुड़की, के अभिलेखों की जांच (फरवरी-मार्च 2020) में पाया गया कि फर्म मैसर्स बी ए इण्टरनेशनल⁹² बंद⁹³ कर दी गयी थी एवं उक्त फर्म का अधिग्रहण मैसर्स बिरला एयरकॉन इण्डस्ट्रीज⁹⁴ द्वारा किया गया था। फर्म मैसर्स बी ए इण्टरनेशनल ने ₹ 8.11 करोड़⁹⁵ की वस्तुओं को मैसर्स बिरला एयरकॉन इण्डस्ट्रीज को हस्तांतरित किया जिस पर कारोबार के अधिग्रहण के कारण कर आरोपित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स बी ए इण्टरनेशनल द्वारा मैसर्स बिरला एयरकॉन इण्डस्ट्रीज को ₹ 3.13 करोड़⁹⁶ की स्थायी परिसम्पत्तियाँ (भूमि और भवन के अतिरिक्त) हस्तांतरित नहीं की गई थीं क्योंकि मैसर्स बिरला एयरकॉन इण्डस्ट्रीज ने केवल कच्चा माल, पैकिंग सामग्री, तैयार माल और अर्ध-तैयार माल ही स्वीकार किया था और यह भी कि मैसर्स बिरला एयरकॉन इण्डस्ट्रीज ने 01 अप्रैल 2017 को अपने तुलन पत्र में स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रारम्भिक अवशेष मात्र ₹ 12.03 लाख⁹⁷ दर्शाया था। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 18(5) के अनुसार ₹ 3.13 करोड़ की स्थायी परिसम्पत्तियों पर कर आरोपणीय था किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर आरोपित नहीं किया गया। इसके कारण ब्याज⁹⁸ की परिणामी देनदारियों के साथ ही ₹ 45.38 लाख⁹⁹ का कर आरोपित नहीं हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया (अक्टूबर 2021) कि लेखापरीक्षा टिप्पणी पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है और तदनुसार संबंधित व्यापारी पर संशोधित कर निर्धारण आदेश दिनांक 06 जूलाई 2020 के अंतर्गत ₹ 45.38 लाख का कर आरोपित किया गया है। इस बीच व्यापारी ने अतिरिक्त कर लगाने के विरुद्ध 2021 में संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। अपील पर अभी निर्णय¹⁰⁰ होना बाकी है।

⁹² टिन 05005757654 ।

⁹³ वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण आदेश के अनुसार, फर्म को 14 फरवरी 2017 को बंद कर दिया गया।

⁹⁴ टिन 05018537889 ।

⁹⁵ ₹ 7,66,39,160 का कच्चा माल एवं ₹ 45,03,300 की पैकिंग सामग्री।

⁹⁶ 31 मार्च 2017 को।

⁹⁷ 01 अप्रैल 2017 को।

⁹⁸ 01 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए ब्याज ₹ 37.44 लाख (₹ 45,38,358 × 15 प्रतिशत × 66 माह/ 12) है।

⁹⁹ ₹ 3,12,99,024 × 14.5 प्रतिशत = ₹ 45,38,358 ।

¹⁰⁰ संयुक्त आयुक्त (अपील) ने आदेश दिया कि अपील का निर्णय आने तक आरोपित कर राशि का 90 प्रतिशत निलंबित रहेगा एवं कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार, निलंबित धनराशि के लिए प्रतिभूति जमा की जाएगी। आदेश के अनुसार, व्यापारी ने विवादित कर का 10 प्रतिशत (₹ 5.00 लाख) जमा किया और कर की 90 प्रतिशत राशि के लिए, मांग पर स्थगन के सापेक्ष क्षतिपूर्ति बांड जमा किया। लेकिन विभाग द्वारा इस बांड को अस्वीकार कर दिया गया और शेष धनराशि के सापेक्ष वसूली प्रमाण पत्र (मई 2022) जारी किया गया।

3.10 कर का अनारोपण

विभाग ने अन्तिम स्टॉक पर कर नहीं लगाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.44 लाख के राजस्व की क्षति हुई।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3(2) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत पंजीकृत है, एक कराधेय व्यक्ति होगा और अधिनियम में उपबंधित रीति के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि एक व्यापारी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दर पर अपने कराधेय विक्रय आवर्त पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-2, राज्य कर, ऋषिकेश के अभिलेखों की जांच (मार्च 2022) में पाया गया कि व्यापारी¹⁰¹ ने वैट के अन्तर्गत वस्तु का अन्तिम स्टॉक ₹ 4.29 करोड़¹⁰² दर्शाया था। अभिलेखों में अन्तिम स्टॉक को वैट से जी एस टी में ले जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था एवं व्यापारी¹⁰³ से संबन्धित जी एस टी आई एन¹⁰⁴ की जांच में यह भी पाया गया कि जी एस टी के अन्तर्गत अन्तिम स्टॉक पर कर का भुगतान नहीं किया गया था। अतः, अन्तिम स्टॉक पर वैट के अन्तर्गत कर आरोपणीय था किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर आरोपित नहीं किया गया था जैसा कि कर निर्धारण आदेश¹⁰⁵ में पाया गया। इसके कारण ब्याज और अर्थदण्ड की परिणामी देनदारियों के साथ ही कर की न्यूनतम दर¹⁰⁶ से ₹ 21.44 लाख¹⁰⁷ का कर आरोपित नहीं हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि उक्त अन्तिम स्टॉक कोई वस्तु अथवा कच्चा माल नहीं है, बल्कि वैट अवधि के अनुबंध कार्य का अवशेष भुगतान है और यह धनराशि अभी तक ठेकेदार को प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि, बकाया भुगतान को ठेकेदार द्वारा आयकर विवरणी में दर्शाने के लिए

¹⁰¹ मेसर्स नभ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड (टिन 05011216523)।

¹⁰² कर निर्धारण वर्ष 2017-18 (अप्रैल से जून 2017) के लिए प्रपत्र-IV (बी) (संकर्म संविदा हेतु वार्षिक विवरणी) का संलग्नक-004 के अनुसार।

¹⁰³ जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए।

¹⁰⁴ जी एस टी आई एन 05AADCN7045A1ZX ।

¹⁰⁵ वैट अधिनियम की धारा 7(2) के अंतर्गत।

¹⁰⁶ वैट अधिनियम की धारा 4(2)(ख)(i)(आ) के अनुसार, अनुसूची II (बी) में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में कर की दर पाँच प्रतिशत है।

¹⁰⁷ ₹ 4,28,84,004 × 05 प्रतिशत = ₹ 21,44,200 ।

संदर्भित किया जाना होता है, अतः उक्त धनराशि व्यापारी द्वारा अपनी विवरणी में दर्शायी गई थी। यह वैट अवधि का लंबित भुगतान है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि व्यापारी की वार्षिक विवरणी¹⁰⁸ के अनुसार, उक्त धनराशि अन्तिम स्टॉक से संबन्धित है। इसके अतिरिक्त, इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया कि कौन सा विभाग बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, अन्तिम स्टॉक पर कर आरोपित करने की ज़िम्मेदारी कर निर्धारण अधिकारी की थी किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर आरोपित नहीं किया गया।

3.11 कर निर्धारण अधिकारी की उचित सतर्कता में कमी के कारण ₹ 4.40 करोड़ के विक्रय आवर्त पर ₹ 18.81 लाख का करापवंचन

वैधानिक विवरणी दाखिल नहीं करने एवं जी एस टी विवरणियों के साथ प्रति सत्यापन की कमी के कारण व्यापारी को एकतरफा करमुक्त घोषित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.40 करोड़ के विक्रय आवर्त पर ₹ 18.81 लाख का करापवंचन हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3(2) में प्रावधानित है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत पंजीकृत है, अधिनियम में उपबंधित रीति के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही, अधिनियम की धारा 23 प्रत्येक व्यापारी के कर्तव्य को निर्धारित करती है, जो आवधिक विवरणी जमा करने और कर के भुगतान के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 39 और 44 भी प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के क्रमशः आवधिक विवरणी एवं वार्षिक विवरणी जमा करने के कर्तव्यों को निर्धारित करती है।

पुनः, उत्तराखण्ड वैट अधिनियम की धारा 45(1) में निर्धारित है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी, जो आयुक्त द्वारा नियुक्त एवं तैनात अधिकारी के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रशासन या प्रवर्तन से संबन्धित किसी प्रयोजन हेतु नोटिस के द्वारा किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति को सूचना या दस्तावेज़, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सम्मिलित हैं, जो उसके संज्ञान में

¹⁰⁸ प्रपत्र-IV (बी)(संशोधित-1) (संकर्म संविदा हेतु वार्षिक विवरणी) का संलग्नक-004 ।

हैं या उसके पास है, को उपलब्ध कराने के लिए आदेशित कर सकता है। जब कभी ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा व्यापारी या व्यक्ति सही, सम्पूर्ण और सत्य सूचना उपलब्ध कराएगा।

सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-2, राज्य कर, ऋषिकेश के अभिलेखों की जांच (मार्च 2022) में पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने एक व्यापारी¹⁰⁹ को अप्रैल से जून 2017 की अवधि के लिए इस आधार पर एकतरफा कर मुक्त घोषित कर दिया (अगस्त 2021) कि व्यापारी के व्यवसाय से संबन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। हालांकि, यह भविष्य में व्यवसाय के संचालन के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कर निर्धारण को फिर से खोलने के अधीन था। आगे जांच करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त व्यापारी ने अपने जी एस टी विवरणी में अप्रैल से जून 2017 की अवधि के लिए ₹ 4.40 करोड़¹¹⁰ का विक्रय आवर्त प्रदर्शित किया था और इस प्रकार वैट¹¹¹ के अन्तर्गत कर के लिए उत्तरदायी था। चूंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी को कर मुक्त घोषित किया गया था, इसके परिणामस्वरूप ब्याज एवं अर्थदण्ड की परिणामी देनदारियों के साथ ही ₹ 4.40 करोड़ के विक्रय आवर्त पर कर आरोपित नहीं हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि जी एस टी विवरणियों¹¹² में करदाता द्वारा की गयी घोषणाओं का संज्ञान लेने के पश्चात पुनः करनिर्धारण आदेश पारित किया गया (अक्टूबर 2022) एवं वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के लिए ₹ 4.40 करोड़ के विक्रय आवर्त पर वैट के उपयुक्त प्रावधानों¹¹³ के अन्तर्गत, स्रोत पर अग्रिम कर जमा (टी डी एस) ₹ 11.78 लाख को समायोजित करने के पश्चात ₹ 7.04 लाख¹¹⁴ की मांग सृजित की गयी। व्यापारी

¹⁰⁹ मैसर्स ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन (टिन 05007907368) ।

¹¹⁰ जी एस टी आई एन 05AAHFG7312C2ZV से संबन्धित जी एस टी आर-9सी (लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित विक्रय आवर्त का वार्षिक विवरणी में घोषित विक्रय आवर्त के साथ मिलान) के अनुसार।

¹¹¹ जी एस टी 01 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।

¹¹² मैसर्स ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन (टिन 05007907368) के जी एस टी आई एन-05AAHFG7312C2ZV से संबन्धित जी एस टी आर-9सी।

¹¹³ धारा 7(2)/29(4) एवं 25/29(4) ।

¹¹⁴ धारा 7(2)/29(4) के अनुसार, कर निर्धारण अधिकारी ने व्यापारी को प्राप्त हुए ₹ 3.60 करोड़ के भुगतान पर दो प्रतिशत की दर से ₹ 7.20 लाख की समाधान धनराशि निर्धारित की एवं धारा 25/29(4) के अनुसार, कर निर्धारण अधिकारी ने ₹ 0.80 करोड़ के विक्रय आवर्त पर 14.5 प्रतिशत की दर से ₹ 11.61 लाख कर आरोपित किया। इस प्रकार, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कुल समाधान धनराशि/कर ₹ 18.81 लाख था जिसे व्यापारी द्वारा जमा किए गए जी एस टी से समायोजित किया गया एवं ₹ 7.04 लाख की मांग सृजित की गयी।

दिनांक 01 जुलाई 2017 से कर जमा करने की तिथि तक ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। अप्रैल 2023 को, संयुक्त आयुक्त (अपील) ने प्रकरण को पुनः करनिर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को वापस प्रेषित कर दिया।

पूरे घटनाक्रम की समीक्षा पर, लेखापरीक्षा का विचार है कि कर निर्धारण अधिकारी की ओर से उचित सतर्कता का अभाव था क्योंकि वह: (i) व्यापारी/करदाता द्वारा वैट के अन्तर्गत सांविधिक त्रैमासिक और वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने को लागू करने में विफल रहा; (ii) व्यापारी/करदाता के जी एस टी विवरणियों से कर निर्धारण अवधि (अप्रैल-जून 2017) के लिए विक्रय आवर्त नहीं निकाला, इस तथ्य के बावजूद कि संकर्म संविदाकार, करापवंचन के लिए वैट/जी एस टी व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च जोखिम श्रेणी में से एक थे। इसके अतिरिक्त, यदि लेखापरीक्षा में इस चूक का पता नहीं चलता, तो राज्य सरकार उक्त राजस्व से वंचित हो जाती।

3.12 मिथ्या प्रपत्र-सी के उपयोग पर अनियमित कर छूट

कर की रियायती दर का लाभ लेने के लिए व्यापारी द्वारा मिथ्या प्रपत्र-सी उपयोग किए गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.70 लाख के कर का न्यूनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 47.63 लाख का अर्थदण्ड एवं कर की भुगतान न की गयी राशि पर जमा करने की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय था।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 (2) (ख) (i) (ई) के अनुसार, किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर देय है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(4) में निर्धारित किया गया है कि पंजीकृत व्यापारियों को अंतर-राज्यीय बिक्री, रियायती दर पर कर योग्य होती है जब ऐसी बिक्री प्रपत्र-सी में घोषणा द्वारा समर्थित हो। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(xxxii) के अन्तर्गत, यदि कोई व्यापारी मिथ्या प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र जारी या प्रस्तुत करता है तो वह अंतर्ग्रस्त माल के मूल्य के 40 प्रतिशत से अनधिक या ऐसी वस्तुओं पर आरोपणीय कर का तीन गुना, जो भी अधिक हो, के अर्थदण्ड के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

उपायुक्त (कर निर्धारण)-II, राज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की जांच (अक्टूबर-नवम्बर 2020) में पाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान, व्यापारी¹¹⁵ ने

¹¹⁵ मेसर्स जैक हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड टिन 05007250387 ।

₹ 17.86 करोड़ के ऑटो पार्ट्स की केन्द्रीय बिक्री प्रपत्र-सी के सापेक्ष रियायती दर¹¹⁶ पर की थी। कर निर्धारण आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2019 के अनुसार, ₹ 17.86 करोड़ की बिक्री पर एक प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपित किया गया था। तथापि, नमूना जांच में, लेखापरीक्षा ने सत्यापन हेतु उक्त व्यापारी से संबन्धित दो¹¹⁷ प्रपत्र-सी का चयन किया। प्रपत्र-सी के प्रति सत्यापन पर, संबन्धित राज्य के जारीकर्ता प्राधिकारी¹¹⁸ ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020 एवं जनवरी 2021) कि संबंधित राज्य द्वारा व्यापारी को ₹ 1.18 करोड़¹¹⁹ की धनराशि के ये दो प्रपत्र-सी जारी नहीं किए गए थे। इसलिए, ₹ 1.18 करोड़ के ऑटो पार्ट्स की बिक्री पर एक प्रतिशत के स्थान पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.70 लाख¹²⁰ के कर का न्यूनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, नियमानुसार व्यापारी पर कर की भुगतान न की गयी राशि पर भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ ही ₹ 47.63 लाख¹²¹ का अर्थदण्ड भी देय था।

इसे इंगित किए जाने पर आयुक्त, राज्य कर ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि अधिनियम की धारा 9(2) के साथ पठित धारा 31/धारा 29(4) के अनुसार व्यापारी पर ₹ 14.56 लाख का कर आरोपित किया गया था। जिसके पश्चात धारा 58(1) (xxix) के अंतर्गत ₹ 47.16 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया है।

उत्तर की जाँच करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने इन दोनों प्रपत्र-सी का ₹ 1.16 करोड़ का विक्रय मूल्य लिया एवं कर और अर्थदण्ड की गणना तदनुसार की गयी, जबकि इन दोनों प्रपत्रों में उल्लिखित कुल बिक्री मूल्य ₹ 1.18 करोड़ है। साथ ही विभाग की ओर से इस अंतर का कोई कारण नहीं बताया गया।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था (अप्रैल 2022); और और बारंबार इस ओर ध्यान आकर्षित करने पर भी (मई, अगस्त एवं सितम्बर 2022) राज्य सरकार उत्तर देने में विफल रहा (मार्च 2024)।

¹¹⁶ एक प्रतिशत की दर से।

¹¹⁷ प्रपत्र-सी संख्या 14 पी 448278 एवं 14पी 448279 ।

¹¹⁸ व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।

¹¹⁹ प्रपत्र-सी संख्या 14पी 448278 (धनराशि ₹ 54,77,554) एवं प्रपत्र-सी संख्या 14पी 448279 (धनराशि ₹ 62,83,452)।

¹²⁰ ₹ 1,17,61,006 × 12.5 (13.5-1) प्रतिशत = ₹ 14,70,126।

¹²¹ ₹ 1,17,61,006 × 13.5 प्रतिशत × 3 गुना = ₹ 47,63,207 अथवा ₹ 1,17,61,006 × 40 प्रतिशत = ₹ 47,04,402, जो भी अधिक हो।

3.13 कर का न्यूनारोपण

कर की गलत दर लागू करने एवं व्यापारी द्वारा आयातित वस्तुओं (डीजल/पेट्रोल) की कम खरीद प्रदर्शित करने के परिणामस्वरूप ₹ 32.71 लाख की राजस्व क्षति हुई।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3(1) निर्धारित करती है कि किसी व्यापारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जाएगा। उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 16 सितम्बर 2015¹²² के अनुसार, मोटर स्पिरिट और डीजल पर कर निम्नलिखित प्रकार से आरोपणीय होगा:

क्र.सं.	वस्तु का विवरण	कर की दर	कराधान बिन्दु
1.	मोटर स्पिरिट (पेट्रोल)	25 प्रतिशत अथवा ₹ 17 प्रति लीटर, जो भी अधिक है	विनिर्माता या आयातकर्ता
2.	डीजल	21 प्रतिशत	

उपायुक्त (कर निर्धारण)-III, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच (मार्च 2022) में पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान व्यापारी¹²³ ने ₹ 3.08 करोड़¹²⁴ के डीजल और पेट्रोल का आयात किया था एवं इन वस्तुओं की ₹ 3.25 करोड़ (डीजल ₹ 22.67 लाख एवं पेट्रोल ₹ 3.03 करोड़) की बिक्री घोषित की थी। कर निर्धारण आदेश दिनांक 06 नवम्बर 2020 के अनुसार, पेट्रोल की बिक्री पर ₹ 75.66 लाख (₹ 3.03 करोड़ पर 25 प्रतिशत की दर से) कर आरोपित किया गया था जिसे दिनांक 16 सितम्बर 2015 की अधिसूचना के अनुसार ₹ 99.96 लाख¹²⁵ (5,88,000 लीटर पर ₹ 17 प्रति लीटर की दर से) आरोपित किया जाना चाहिए था। इसके कारण ब्याज की परिणामी देनदारियों के साथ ही ₹ 24.30 लाख¹²⁶ का कम कर आरोपित किया गया।

इसके अतिरिक्त, फार्म-16 (ऑनलाइन) की जांच में पाया गया कि व्यापारी ने ₹ 3.08 करोड़ की घोषित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में ₹ 3.33 करोड़ के माल (डीजल/ पेट्रोल) का आयात किया था। इस प्रकार, ₹ 25.02 लाख के कम प्रदर्शित माल की खरीद पर कर आरोपित नहीं किया जा सका।

¹²² उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-08, संख्या 809/146(120)/2015/XXVII(8)/2008 ।

¹²³ मैसर्स चन्दन फिलिंग स्टेशन (टिन 05015313027)।

¹²⁴ ₹ 12,85,036 की धनराशि का 30,000 लीटर डीजल एवं ₹ 2,95,11,253 की धनराशि का 5,88,000 लीटर पेट्रोल।

¹²⁵ ₹ 3,02,63,278 × 25 प्रतिशत = ₹ 75,65,819 अथवा 5,88,000 लीटर × ₹ 17 प्रति लीटर = ₹ 99,96,000, जो भी अधिक हो।

¹²⁶ ₹ 75,65,819 एवं ₹ 99,96,000 का अन्तर।

अप्रैल 2023 में, राज्य कर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 29(4) के अंतर्गत सितम्बर 2022 में पुनःकरनिर्धारण की सूचना दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.49 लाख की मांग और ₹ 0.31 लाख के अतिरिक्त उपकर की मांग की गई। इसके अतिरिक्त, संयुक्त आयुक्त (अपील) ने कर निर्धारण आदेश को अमान्य करते हुए पुनः सुनवाई हेतु वापस कर दिया था। तत्पश्चात्, पुनः सुनवाई के उपरान्त, राज्य कर आयुक्त ने समायोजित कराधान की पुष्टि¹²⁷ की और आयातित डीजल का विक्रय मूल्य ₹ 34.14 लाख निर्धारित किया किन्तु आरोपणीय कर की सूचना नहीं दी गई। लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करने के पश्चात्, विभाग ने व्यापारी पर ₹ 32.71 लाख¹²⁸ का अतिरिक्त कर आरोपित किया। हालांकि, विभाग का उत्तर, समान/ अलग कर निर्धारण अधिकारी के अधीन अन्य व्यापारियों के प्रकरणों में कम कर आरोपित करने के समान प्रकरणों की पुनः जांच करने एवं इसी तरह की भूल की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कोई निवारक तंत्र स्थापित करने पर मौन था।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने पर (मई 2022); राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया (सितम्बर 2024) कि व्यापारी ने विभिन्न चालानों के माध्यम से ₹ 29.79 लाख की कर धनराशि जमा कर दी थी एवं बकाया राशि पर समस्त ब्याज माफ कर दिया गया था।

¹²⁷ सितम्बर 2023 में।

¹²⁸ ₹ 1,13,13,176-₹ 80,41,896 (मूल कर निर्धारण आदेश और पुनःकरनिर्धारण आदेश में आरोपित कर का अंतर)।